खण्ड-153, अंक-3
बुधवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1877
(30 मार्च, 1955 ई0)

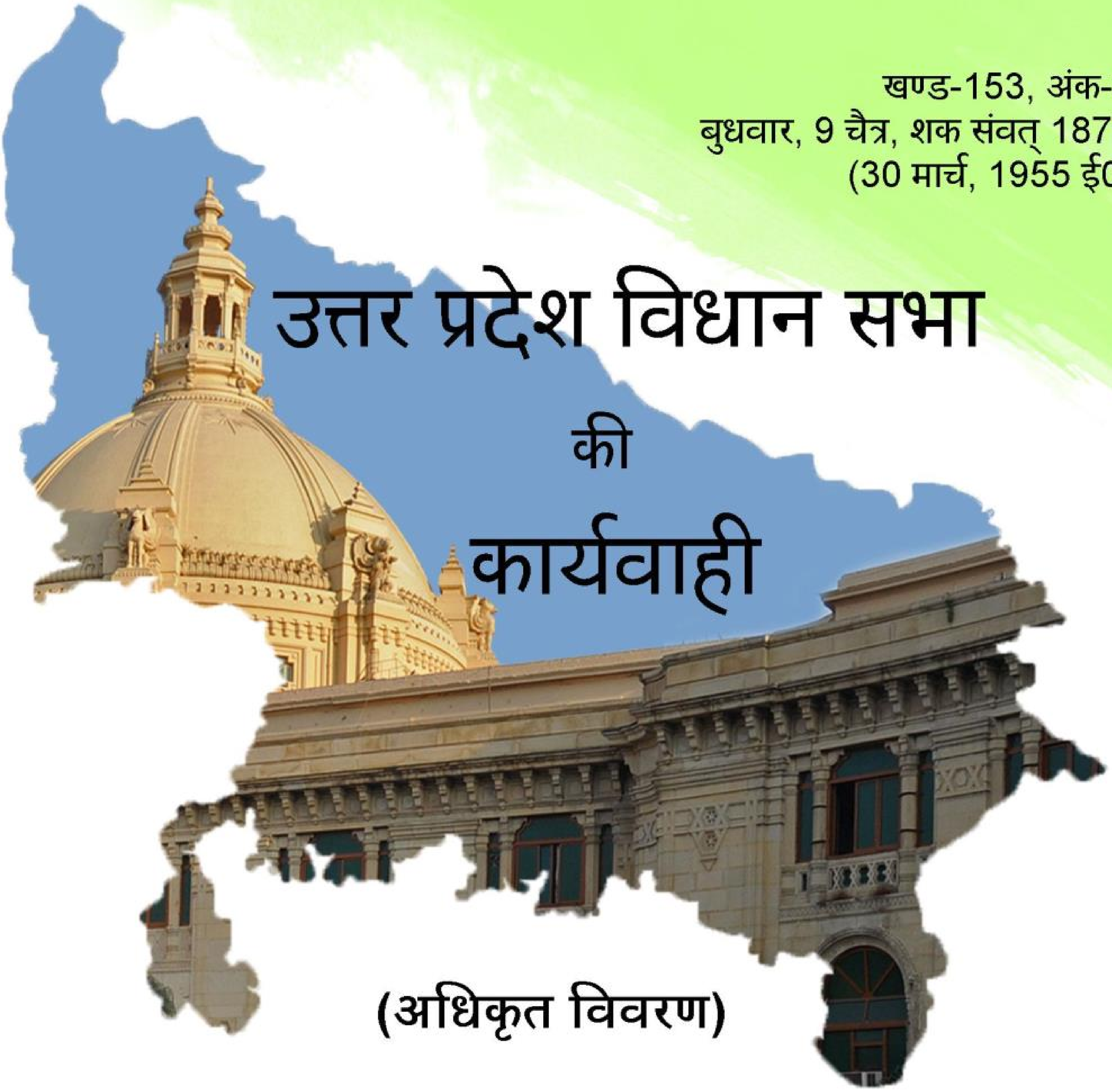

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 153 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के संबंध में श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह का प्रार्थना-पत्र (स्वीकृत)	२१२
रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरेजेज (निरसन) विधेयक १९५४ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	२१२
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५५ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२१२
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२१२-२१३
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५३ में कृत संशोधन (मेज पर रखे गये)	२१३
श्री नारायणदत्त तिवारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न को तथा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन विधेयक संकल्प को समाप्त करने के लिये संकल्प (विचार स्थगित)	२१३-२१६
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५ (विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक विचारोपरान्त पारित	२१७-२५५
नस्थियां	२५६-२५९

संसद पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३० मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री

बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्रीहाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
बिष्णुदयाल वर्मा, श्री
विश्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र , श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यवली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोबिन्द पंत, श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३० मार्च, १९५५

तारांकित प्रश्न

रेयन फैक्टरी खोलने के लिये बम्बई की ब्रिटिश फर्म को दिया गया धन

*१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग द्वारा रेयन फैक्ट्री खोलने के संबंध में पांच लाख रुपया बम्बई की एकी बृटिश फर्म को दिया गया था परन्तु बाद में यह प्रोजेक्ट त्याग दिया गया ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—जी हां ।

*२—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यदि हां, तो क्या उक्त फर्म ने वह रुपया सरकार को वापस दिया ?

श्री बनारसी दास—डोबसन और बारलो की फर्म ने ५ लाख में से ४ लाख रुपया सरकार को वापिस कर दिया ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार वह बताने की कृपा करेगी कि यह पांच लाख रुपया फर्म को किस काम के लिये और किस शर्त पर दिया गया था ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—सन् ४९ में यहां पर एक रेयन फैक्ट्री बनाने का फैसला किया गया था। उस फैक्ट्री की ड्राइंग तथा उसको लगाने आदि के लिये कैपिटल अकाउन्ट से यह रुपया दिया गया था।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—किस शर्त पर दिया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शर्त यह थी कि वे रेयन की फैक्ट्री बनाकर और फैक्ट्री के लगने के बाद पूरी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार को यह एक लाख रुपया वापस हो जायगा या इसमें कोई कठिनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उन्होंने चार लाख रुपया वापिस कर दिया है । जो कार्य उन्होंने यहां पर किया था वह एक लाख रुपये से ज्यादा का था, लेकिन यह कम्पनी के चलाने वालों की ईमानदारी थी कि उन्होंने ४ लाख रुपया वापस कर दिया, जब सरकार ने यह निर्णय किया कि हमें रेयन फंक्ट्री चलाना नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रेयन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट को त्यागने के क्या कारण थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---धनाभाव ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस ब्रिटिश फर्म का नाम क्या था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने धन की आवश्यकता होती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---दो ढाई करोड़ रुपये की आवश्यकता थी ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---यह प्रोजेक्ट किसकी सिफारिश पर तैयार किया गया था ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उस जमाने के इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री केशवदेव मालवीय, तथा एक विशेषज्ञ ने इसकी सिफारिश की थी । इस फैक्ट्री के बारे में मुख्य सचिव ने भी अपनी रजामंदी दे दी थी तथा कैबीनेट में भी यह मामला विचारार्थ गया था ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---इस फैक्ट्री में कौन सा माल तैयार हुआ था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---आर्टिफिशियल सिल्क जिसकी साड़ियां आदि बनती है, वह इस फैक्ट्री के द्वारा तैयार होने वाली थीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या जिस समय यह ५ लाख रुपया एडवांस किया गया था उस समय ढाई करोड़ रुपया प्राप्त होना संभव था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सन् १९४९ के पहले हमारे सामने ऐसी बहुत सी योजनायें थीं और आशा करते थे उनके लिये रुपये की कमी नहीं होगी । लेकिन ४९ के बाद खाद्यान्न बढाने से संबंध रखने वाली योजनाओं में हमें इतना रुपया लगाना पड़ा कि धनाभाव हो गया ?

पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की खोज के लिए प्रयास

*३---श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पर्वतीय प्रदेश में जो सर्वे किया गया है उसके फलस्वरूप कौन-कौन से खनिज पदार्थ किन-किन जगहों पर वहां निकलने की संभावना है ?

श्री बनारसी दास---पर्वतीय प्रदेश में सरकार द्वारा कोई ऐसा सरबे नहीं किया गया है, परन्तु प्रतिवर्ष अन्वेषण के योग्य विषय के संबंध में जिओलोजिकल सर्वे आफ इंडिया को

लिखा जाता है। समय-समय पर सरकार को जो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं उनसे निम्नलिखित खनिज पदार्थों के निकलने की संभावना पाई जाती है--

१--चूनाखां--जिला नैनीताल के निकट कैलकेरियस तूफा (Calcareous Tufa) और नैनीताल के पश्चिमी भाग में लाइम स्टोन (Limestone),

२--लक्ष्मणझूला, ऋशीकेश के निकट जिप्सम (Gypsum),

३--सहसधारा (देहरादून) के निकट जिप्सम (Gypsum),

४--जिला टेहरी गढ़वाल में अन्य खनिज पदार्थ जैसे तांबा, लाइम स्टोन, जिप्सम, लेड, सिलवर इत्यादि,

५--देहरादून जिले में लाइम स्टोन,

६--गढ़वाल जिले में तांबा,

७--बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में मैगनेसाइट (Magnesite)।

*४--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार कोई योजना ऐसी बनी रही है कि निकट भविष्य में जहां प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज पदार्थ निकलने की संभावना है उन स्थानों से उन्हें निकाला जाय?

श्री बनारसीदास--जी नहीं, उपरोक्त १-५ में बताये हुये खनिज पदार्थों का निकाला जाना आर्थिक दृष्टिकोण से संभव नहीं जान पड़ता। देहरादून जिले में लाइमा स्टोन निकालने का काम पहले से हो रहा है। शेष दो खनिज पदार्थ अर्थात् जिला गढ़वाल में तांबा तथा बागेश्वर (जिला अल्मोड़ा) में मैगनेसाइट निकाले जाने के विषय में भारत सरकार तथा जिलाधीश अल्मोड़ा से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि मिर्जापुर जिले के दूधी क्षेत्र में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों का भी पता लगा है?

श्री बनारसी दास--इस साल एक सर्वे होने वाला है और सर्वे होने के बाद ही पता लग सकेगा कि मिर्जापुर जिले में कौन-कौन से खनिज पदार्थों के मिलने की संभावना हो सकती है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार को विदित है कि लोहाघाट में लोहा, छाना राइ-आगर देवलथल में तांबा, घोट में अबरख व गंधक पाया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी तो इतनी सूचना पूरे ब्योरे के साथ हमारे पास है नहीं। गवर्नमेंट आफ इंडिया के जियोलाजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत खोज की है जिनके बारे में अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया है और उसके द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त है उस जानकारी की बुनियाद पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि जितनी चीजों का नाम उन्होंने लिया है वे सब उस क्षेत्र में प्राप्त हो सकती हैं। जैसा कि अभी श्री बनारसीदास जी ने बतलाया कि इस साल एक जियोलाजिकल सर्वे गवर्नमेंट नियुक्त कर रही है और उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बातों की जानकारी प्राप्त करके हम सदन को सूचना दे सकेंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि रिहंद बांध के अन्वेषण के सिलसिले में बहुत सी चीजों का पता लगा है और उसकी एक किताब भी तैयार हो चुकी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने किताब देखी नहीं है, लेकिन कुछ बातों की जानकारी है और वह ऐसी नहीं है कि उसकी बुनियाद पर सरकार वहां बड़े-बड़े उद्योग धंधे चलाने का निर्णय दे दें।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि परगना नागपुर, जिला गढ़वाल में जोशीमठ के पास चांदी की खान भी है?

श्री बनारसी दास--इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात का पता है कि गत वर्ष खरई में केन्द्रीय सरकार ने ताबे और शीशे की खानों की खुदाई की थी जिसका जिक्र इसमें नहीं है ?

श्री बनारसीदास---जैसा कि कहा गया है कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया की तरफ से जो सर्वे किया गया है, उसमें बहुत सी चीजों की तरफ संकेत किया गया है, लेकिन उनका निकालना वहां अनइकोनामिक होगा। लेकिन अब विस्तार के साथ उसका सर्वे होगा, और तभी कहा जा सकता है कि कहां-कहां क्या खनिज पदार्थ हैं और उनका निकाला जाना उपयुक्त भी होगा ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या सरकार अपने सर्वेयर्स को यह आदेश देगी कि वे स्थानीय एम० एल० एज० से भी जानकारी हासिल करें ?

श्री बनारसी दास---जहां से भी सूचना मिल सकेगी वह प्राप्त की जायगी और आपने तो बहुत कुछ सूचना दी है, इसलिए आपसे तो अवश्य ही प्राप्त की जायगी।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार को मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स में पहाड़ के जिलों के खनिज पदार्थों का पूरा विवरण दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गजेटियर्स में थोड़ा बहुत जिक्र अवश्य है, लेकिन वह जिक्र ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह खोज चलायी जा सके और जैसा कि अभी बताया गया है, हम ने इरादा किया है कि ज्यादा इन्टेन्सिव ढंग से जानकारी प्राप्त कर के काम आरम्भ किया जाय।

चम्पावत व पिथौरागढ़ में एन० ई० एस० ब्लाक की आवश्यकता

*५---श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़ा जिले की तहसील चम्पावत व पिथौरागढ़ में कोई भी N. E. S. Block या community project नहीं खोले गये ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)---जी हां, अल्मोड़ा में एक ब्लाक इस वर्ष खुलना था। जिला नियोजन कमेटी अल्मोड़ा की सिफारिश के अनुसार वह सल्ट में खोला गया।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार भविष्य के लिए जिला नियोजन कमेटी को आदेश देगी कि जब तक प्रत्येक तहसील में एन० ई० एस० ब्लाक्स न खुल जायं, उस वक्त तक किसी भी तहसील में दो या तीन ब्लाक्स कहीं न खोले जायें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सुझाव तो अच्छा है, लेकिन कहीं-कहीं इस में भेद करना पड़ेगा, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का यह आदेश है कि जहां-जहां ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं वहां-वहां ब्लाक्स अवश्य खोले जायं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या सरकार बतायेगी कि अल्मोड़ा में ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि आधे में वहाँ ४ ब्लाक्स हैं और आधे में कोई नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब इस वर्ष में जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, उसके ऊपर विचार करने का हम प्रयत्न करेंगे और आगे एन० ई० एस० ब्लाक्स खोलने के समय इस बात का ध्यान रखा जायगा कि कहां-कहां किन-किन क्षेत्रों के रहने वालों ने किस प्रकार का कार्य किया है ? और जहां के लोग उद्योगी हैं, और समय, धन और श्रम आदि देते हैं, वहीं एन० ई० एस० ब्लाक्स खोलने का निर्णय किया जायगा।

लखनऊ में पक्का स्टेडियम बनाने की योजना

*६—श्री जोरावर वर्मा (ज़िला हमीरपुर)—क्या सरकार तीन वर्ष के भीतर ही लखनऊ में पक्का स्टैडियम बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री फूलसिंह—जी हां, स्थान का निर्णय हो गया है और अगले साल के बजट में रुपया रक्खा गया है और शीघ्र ही काम चालू हो जायगा।

*७—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसके लिए उसने कौन सा स्थान चुना है ?

श्री फूलसिंह—मोती महल के सामने लखनऊ स्पोर्टस् एसोसिएशन के खेलने के मैदान का स्थान चुना गया है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई एस्टिमेट बना लिये हैं ? यदि हां, तो कितने के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो एस्टिमेट्स साढ़े तीन, पौने ४ लाख के बने हैं ?

श्री जोरावर वर्मा—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अगले साल के बजट से उनका मतलब सन् ५५-५६ से है या सन् ५६-५७ से है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरा मतलब ५५-५६ के वित्तीय वर्ष से है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्पोर्टस् एसोसिएशन को जो मैदान मिला है, तो क्या यह प्लाट एसोसिएशन ने सरकार को वैसे ही दे दिया है, या सरकार को उसका मुआवजा देना पड़ेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह नजूल की सम्पत्ति है जो एसोसिएशन को लीज पर दी गयी है, और अगले साल उस का लीज समाप्त होने वाला है। लेकिन इस वर्ष उन्होंने कहा कि इस स्थान पर बना लीजिये और हम कोई मुआवजा नहीं चाहेंगे, इस तरह से इस साल बिना मुआवजा दिये मिली है। और जमीन चूंकि सरकार की है इसलिए वह अगले साल सरकार के पास वैसे ही आ जायगी।

श्री जोरावर वर्मा—यह जो स्थान चुना गया है, वह स्पोर्टस् एसोसिएशन की सलाह से चुना गया है या सरकार ने स्वयं तय किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—स्पोर्टस् एसोसिएशन की भी सलाह थी, कितने ही एम० एल० एज० की, दूसरे सम्मानित सदस्यों की और नागरिकों की सलाह थी। उन तमाम पर विचार करके ही यह निर्णय हुआ है।

*८—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—[स्थगित किया गया।]

*९-१०—श्री झारखंडे राय—[स्थगित किये गये।]

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में कार्य

* ११—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कौन-कौन से कार्य किये गये हैं और प्रत्येक तहसील में अलग-अलग व्यय कितना किया गया है ?

श्री फूल सिंह—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५८-२६० पर)

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में कौन-कौन कार्य कितने-कितने रुपये की लागत के शेष हैं ?

श्री फूलसिंह—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६१ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूची नम्बर १ और २ में रुपया जिन कार्यों पर खर्च कया गया है या खर्च किया जाने वाला है, उन कार्यों की स्वीकृति और रुपयों का खर्च किस विभाग से लिया गया है ?

श्री फूलसिंह—साधारण तौर से प्लानिंग कमेटी को रुपया स्वयं खर्च करने का अधिकार है। जहां कुछ बड़ी-बड़ी रकमें खर्च होती हैं, उसकी स्वीकृति वह प्लानिंग कमीशन से लेते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि इस सूची के देखने से यह पता चलता है कि जो रुपये खर्च किये गये, उसमें तहसीलों की आबादी और क्षेत्रफल का ख्याल न करके रुपया खर्च किया गया है ?

श्री फूलसिंह—जो सूची है, उससे तो यह प्रतीत होता है कि कुछ तहसीलों में रुपया कम खर्च हुआ है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—(सूची नम्बर १ में सिंचाई मद से सम्बन्धित) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन सरकारी नलकूपों और कुओं के लिए रुपया प्रदान किया गया, वे बन गये हैं ?

श्री फूलसिंह—कुछ कुएं तो बन गये होंगे, और कुछ बनने वाले होंगे, क्योंकि ३१ मार्च के बाद ही रिपोर्ट आयेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—(सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इतना रुपया खर्च करके जो सड़क बनेगी, उसमें क्या जिला बोर्डों को जो रुपया प्लानिंग विभाग द्वारा दिया गया है, वह भी इसमें शामिल है ?

श्री फूलसिंह—जिला बोर्ड को प्लानिंग विभाग द्वारा कोई रुपया नहीं दिया गया है ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी तहसीलवार रुपया बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप उनसे उनके दफ्तर में ले सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे कौन-कौन से जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनमें जनरल साइंस के लिए रुपया प्रदान किया गया है ?

श्री फूलसिंह—सूचना की आवश्यकता है ।

जिला गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल में भांग के पेड़

*१३—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को विदित है कि जिला गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के जंगलों में भांग के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं ?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां, जिला गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के जंगलों में भांग के पेड़ अधिक मात्रा में उगते हैं।

*१४—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि जिला गढ़वाल की कुछ संस्थाओं ने भांग के जंगली पौधों को निर्मूल (root out) करने के लिए सरकार से आज्ञा मांगी है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है या करने जा रही है?

श्री गिरधारीलाल—इस जिले की किसी भी संस्था ने भांग के जंगली पौधों को निर्मूल करने के लिए सरकार से आज्ञा नहीं मांगी है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मन्त्री महोदय ने जिला एक्साइज इन्स्पेक्टर, गढ़वाल से यह जानकारी करायी गयी है कि जिला गढ़वाल की कुछ संस्थाओं ने जो भांग वहां पैदा होती है, उसे निकालने की इजाजत मांगी थी?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, इसकी जानकारी सब से करायी गयी है जिलाधीश से, एक्साइज कमिश्नर से और जंगलात विभाग से भी और यह मालूम हुआ कि किसी भी संस्था ने उसे निकालने की इजाजत नहीं मांगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल के लोगों पर इस भांग के पीने पर कोई प्रतिबन्ध भी लगाया गया है या नहीं?

श्री गिरधारीलाल—भांग के पीने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी दूकानों पर भांग बिकती है, वह भांग वहीं से आती है या दूसरी जगहों से?

श्री गिरधारीलाल—वहां से तो वह भांग नहीं आती।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार ने इसकी भी खोज करने की चेष्टा की है कि इस प्रदेश में भांग के अतिरिक्त सोमलता भी होती है?

श्री गिरधारीलाल—अभी तो खोज करने की कोई जरूरत नहीं हुई। प्रोहिबिशन का प्रश्न तय हो जाय, तब काटजू साहब इस प्रश्न पर सोचेंगे और जरूरत होगी तो खोज भी करेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या भांग के पौधों को रूट आउट करने के लिए सरकार की आज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक है?

श्री गिरधारीलाल—अगर वर्मा जी के मकान में भांग के पौधे हैं तो वे बिला इजाजत निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर जंगलात वगैरह में हैं तो उसके लिए इजाजत की जरूरत पड़ेगी।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—क्या सरकार का ऐसा विचार है कि टेहरी गढ़वाल और गढ़वाल के जिन हिस्सों में भांग ज्यादा पायी जाती है, वहां उन हिस्सों में सरकार लोगों को उसे बेचने के लिए लाइसेंस दे?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्न अभी सरकार के सामने नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रासायनिक विशेषज्ञों से इस बात की जांच करायी है कि भांग की पत्तियों का और भी कोई उपयोग हो सकता है?

श्री गिरधारीलाल—टेहरी में इसका थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है। वहां पर कुछ लोग, जो इसका कल्टीवेशन करते हैं, इसके रेशे को निकाल कर उससे रस्सी बना लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—मालूम होता है कि सदन का हर सदस्य भांग में बहुत दिलचस्पी रखता है, क्योंकि हर तरफ से बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

अल्मोड़ा जिले की मोटर मार्ग योजनायें

*१५—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन समिति, अल्मोड़ा ने जिले की मोटर मार्ग योजनाओं में जिन मार्गों को सम्मिलित किया है उनमें अल्मोड़ा-लोहाखाट मोटर मार्ग भी है ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

*१६—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या इस मार्ग के १० और ८ मील लम्बे दो टुकड़े लोहाघाट से धूनाघाट और पोधार से डोल तक श्रमधन द्वारा तथा टेस्ट वर्क्स से बनाये जा चुके हैं ?

श्री फूलसिंह—अल्मोड़ा-लोहा घाट मार्ग में ९० मील के टुकड़े पोधार शहर फाटक के हिस्से में श्रमदान व टेस्ट वर्क द्वारा बनाये गये हैं और लोहाघाट से धूनाघाट तक करीब १३ मील का टुकड़ा सिलसिलेवार पूर्णतया इस मार्ग के अन्दर श्रमदान द्वारा तैयार हो जावेगा। इस समय १३ मील के टुकड़े में जीप जा चुकी है, और अगले माह तक मोटर चलने योग्य हो जावेगी।

*१७—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार इस मार्ग के बाकी हिस्से को बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री फूलसिंह—इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात का पता है कि श्रमदान से बनी हुई यह मोटर सड़क जो है, इसको अल्मोड़े से जोड़ना जरूरी है ?

श्री फूलसिंह—माननीय सदस्य की इत्तिला सही होगी।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि अल्मोड़े से पोधार तक जो ५ मील का टुकड़ा है, इसको मिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह—इस पर विचार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश शुगर इंडस्ट्रीज इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट

*१८—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश शुगर इन्डस्ट्रीज इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार का क्या निर्णय हुआ और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसीदास—जहां तक सम्भव हो सका है इस कमेटी की सभी सिफारिशें सरकार ने मंजूर कर ली थी और उन्हें विभिन्न विभागों ने अपनी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं में प्रमुख स्थान दिया है। यू० पी० शुगरकेन रेगुलेशन आफ सप्लाई एन्ड परचेज एक्ट, १९५३ तथा उसके अन्तर्गत नियम भी उक्त कमेटी का रिपोर्ट का ही परिणाम था।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह सिफारिशें तो पन्द्रह बीस हैं। अब उनका तो उल्लेख इस सदन में इस वक्त करना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि बताया गया जो मुख्य-मुख्य सिफारिशें थीं उनके ऊपर कार्य करने के लिये उस एक्ट में तब्दीली कर दी गई और नियम भी बन गये।

नोट—तारांकित प्रश्न १८ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की कौन-कौन सी बातें ऐसी हैं जिन पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--- निर्णय तो सब पर लिया है । एक सिफारिश ऐसी थी जिसमें अधिक पैसा व्यय करने का प्रश्न था, उसको हम मंजूर नहीं कर सके और कुछ केन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के रखने का प्रश्न था, उसमें हमने सब सिफारिशें अधिकारियों की नियुक्ति के विषय में मंजूर नहीं की और जहां तक केन के डेवलपमेंट का और उसके विकास का सम्बन्ध है, वह सारी सिफारिशें सरकार ने मंजूर कर ली हैं । जिन सिफारिशें से अधिक सफलता मिल सकती थी, वह भी मंजूर कर ली और उसके लिए नियम भी बना दिये गये ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह कमेटी कब बनी थी और इसके कौन-कौन से सदस्य थे ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त---इसके सदस्य तो तेरह, चौदह थे और यह बनी थी सन् ५१ में । स्वामीनाथन, जो उस जमाने में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, वह उसके सभापति थे, अंडर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उसके सेक्रेटरी थे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शुगर इंडस्ट्रीज इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी था कि सेस टैक्स का अधिकांश रुपया केन डेवलपमेंट के ऊपर ही खर्च किया जाय ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब मुझे रिपोर्ट की सब सिफारिशें तो याद नहीं हैं । लेकिन कदाचित इस प्रकार की कोई सिफारिश थी जरूर ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उस पर कार्यवाही क्या हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उस पर जो धन के व्यय करने की कार्यवाही थी, वह तो हो हीर ही है, क्योंकि उसमें तो यह सिफारिशें भी थीं कि कितने ट्यूबवेल्स बनने चाहिये, कितनी सड़कें बननी चाहिये । अब जहां तक ट्यूबवेल्स बनाने का विषय है, उनको एनरजाइज करने का विषय है यानी बिजली लगाने, उन सबके ऊपर सरकार ने आदेश जारी किये और उन विभागों ने जिनका सम्बन्ध इन तमाम खर्चे के विषयों से था उन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजना में उन तमाम चीजों को रख लिया ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी ने सरकार को कब अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इसकी सिफारिशें कब से लागू की गयी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कमेटी ने तो रिपोर्ट सन् १९५१ में दी थी, उसके बाद जब सन् ५३ ऐक्ट में संशोधन हुआ उसके बाद नियम बने । वह पिछले साल आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये गये थे ।

*१९---श्री व्रज भूषण मिश्र---[स्थगित किया गया ।]

मिर्जापुर जिले में अस्पतालों की कमी

*२०---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिले के पर्वतीय भाग में होने वाले निर्माण कार्यों में दुर्घटनाओं में तथा जंगली हिंसक पशुओं द्वारा प्रतिवर्ष अनेकों मृत्युएं तत्काल उपचार सहायता न मिल सकने के कारण होती है ?

*२१---क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अस्पताल खोलने की कृपा करेगी ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---इस प्रकार की किसी दुर्घटना की सूचना सरकार के पास नहीं है । पर्वतीय क्षेत्रों में अर्थात कुमायूं प्रदेश में तथा मिर्जापुर जिले के अन्तर्गत अस्पताल खुले हैं जहां जानवरों से सताये हुए मरीजों को चिकित्सा की सुविधा दी जाती है और भी अस्पताल व औषधालय इन क्षेत्रों में हर साल बढ़ाये जा रहे हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने कि कृपा करेंगे कि ऐसी दुर्घटनाओं की जो रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है, उनकी जानकारी किस प्रकार हो सकती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---सरकार को इन दुर्घटनाओं का कोई पता नहीं है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी जो पिछले तीन वर्षों में ऐसी घटनायें थानों में अंकित हैं, उनकी रिपोर्ट मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यदि माननीय सदस्य इस संबंध में लिख कर देंगे, तो सूचना मंगा ली जायगी ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५ मील अर्ध व्यास के सिद्धांत के अनुसार मिर्जापुर जिले में कितने अस्पताल होने चाहिये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---धनाभाव के कारण ५ मील की परिधि के अन्दर बनाने की नीति के अनुसार जितने अस्पताल मिर्जापुर जिले में होने चाहिये, वह अभी मालूम नहीं हैं। जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तब इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है । इस समय जो अस्पताल वहां हैं उनकी एक लम्बी लिस्ट मेरे पास है ।

श्री अध्यक्ष---आप उनका टोटल बता सकते हैं कि कुल कितने हैं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य---उनकी नंबरिंग तो मेरे पास है नहीं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि मिर्जापुर जिले में ६० मील और ७० मील के दौरान में अस्पताल नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, यह सत्य है ।

*२२-२३---श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)---[स्थगित किये गये ।]

*२४---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---[स्थगित किया गया ।]

खाद्य तथा रसद विभाग से छटनी किए हुए आफिसरों की बेरोजगारी

*२५---श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस समय खाद्य तथा रसद विभाग में कितने गजेटेड आफिसरों की अब तक छटनी हो चुकी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---१३२ ।

*२६---श्री तेजासिंह---क्या छटनी वालों को और जगहों पर कहीं लगा दिया गया है या उनमें से कुछ बेकार भी हैं ? अगर बेकार हैं तो कितने ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इस विभाग में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार छटनी किये हुये आफिसरों में से ६१ को दूसरे विभागों में नियुक्त कर लिया गया है । बाकी ७१ अफसर इस समय बेकार हैं ।

श्री तेजा सिंह---यह जो प्रश्न २६ में बताया गया है कि ७१ अफसर अभी बेकार है, क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इनमें कितने हरिजन, कितने पोलिटिकल सफरर और कितने शरणार्थी हैं और उनको काम पर लगाने के लिये क्या योजना बन रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक इस विषय का संबंध है कि कितने हरिजन हैं और कितने इसमें और प्रकार के हैं उसकी सूचना तो मेरे पास इस समय नहीं है और जहां उनको काम दिलाने का विषय है तो उस विषय में सरकार बराबर इस बात का उद्योग करती रही है कि जहां किसी विभाग में कोई नौकरी खाली हो, उसमें इन व्यक्तियों की अर्जियों पर विचार किया जाय और उन्हें रोजगार दिया जाय ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि खाद्य और रसद विभाग में कितने गजेटेड अफसर इम्प्लायड हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--१३५५ और अफसरों की संख्या इस प्रकार है--गजेटेड राशनिंग अफसर ५८, गजेटेड मार्केटिंग अफसर १४ और गजेटेड अफसर पी० आई० एस० सी० ४, कुल ७६ ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जो संख्या माननीय मंत्री जी ने बतलाई है, क्या वह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इनको कितने दिनों तक कांटीन्यू करने का सरकार का इरादा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी तो अगले वर्ष तक उनकी अवधि बढ़ाई गई है ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ६१ अधिकारियों को जगह दी गई है, उनमें कितने ऐसे अधिकारी हैं कि जो डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से आये हुए थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है । यदि आवश्यक होगा, तो बाद में दे दूंगा ।

रायबरेली जनाना अस्पताल में लेडी डाक्टर की सेवाओं का अभाव

*२७--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली के जनाना अस्पताल में फरवरी, सन् १९५४ ई० से फरवरी, १९५५ तक कितने समय तक अस्पताल बिना लेडी डाक्टर के रहा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--फरवरी सन् १९५४ से फरवरी, सन् १९५५ तक रायबरेली का जनाना अस्पताल कुल मिला कर छः माह २८ दिवस तक बिना लेडी डाक्टर के रहा ।

श्री गुरुप्रसाद पांडेय (जिला फतेहपुर)--६ माह, २८ दिन तक लेडी डाक्टर नहीं रही, तो उसका कारण क्या था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--कभी कोई लेडी डाक्टर छुट्टी चली गयी, कभी कोई बीमार पड़ गई इसलिए सिलसिला ऐसा चलता रहा जिसके कारण लेडी डाक्टर उस अस्पताल में इतने समय तक नहीं रही ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिस लेडी डाक्टर को वहां भेजने का आदेश दिया गया था, वह वहां जाना नहीं चाहती थी और सरकार की आज्ञा की उपेक्षा करने का उसका उद्देश्य था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह हमारे पास सूचना नहीं है कि वह वहां जाना नहीं चाहती थी। बहरहाल दो तीन लेडी डाक्टर्स इस दरमियान में वहां गयीं । कोई बीमार पड़ गयी, किसी ने छुट्टी ले ली । इस तरह से बीच बीच में इस प्रकार का काम होता रहा ।

नोट--तारांकित प्रश्न २७ श्री गुरु प्रसाद पाण्डेय ने पूछा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लेडी डाक्टर के अभाव में उस अस्पताल की देखभाल कौन करता था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वैसे तो इन अस्पतालों में कम्पाउंडर्स वगैरा रहते हैं लेडी कम्पाउंडर्स भी रहते हैं और इसके अतिरिक्त जो मेल डाक्टर्स हैं वह भी जाते हैं सिविल सर्जन के तहत में ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस लेडी डाक्टर को पहले वहां जाने का आदेश दिया गया था वही अब वहां काम कर रही है या कोई दूसरी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इस समय जो लेडी डाक्टर काम कर रही है वह कुमारी हरबंस कौर है ।

कठकुइयां जगदीश शुगर मिल पर गन्ना उत्पादकों का बकाया

*२८--श्री राज वंशी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कठकुइयां जगदीश शुगर मिल में फरवरी, सन् १९५४ के अन्त तक कितना गन्ना आ चुका था और तब तक कितना दाम गन्ना उत्पादकों को दिया गया है ?

श्री बनारसी दास-- कठकुइयां जगदीश शुगर मिल में फरवरी, १९५४ के अन्त तक ९,२७,४०७,१/२ मन गन्ना आया था और अब तक ११,५३,६४१ रु० ३ आना ९ पाई गन्ना उत्पादकों को दिया गया था ।

*२९--श्री राज वंशी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि मिल की चीनी जिला कलेक्टर ने जब्त कर ली है ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं, चीनी जब्त नहीं की गई है परन्तु १७३९६ बोरे चीनी कुर्क कर ली गई है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या यह सही है कि यहां चीनी कुर्क होने के कारण बैंक ने रुपया देना बन्द कर दिया है, जिससे किसानों के गन्ने के दाम और मजदूरों की तनख्वाह नहीं मिली ?

श्री बनारसी दास--यह वजह नहीं है, बल्कि शुरू में जो पेमेंट नहीं हुए थे, बैंक से उनका अरेंजमेंट नहीं हुआ था इस वजह से पेमेंट नहीं हुए और जब केन कमिश्नर का आदेश रुपये की वसूलयाबी के पहुंचा, तो चीनी को अटैच किया गया ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चीनी कब कुर्क की गई ?

श्री बनारसी दास--यह दिसम्बर, १९५४ में इस बात की सूचना गई और उसी समय इसको अटैच किया गया ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह चीनी अब तक क्यों नहीं बेची गई ?

श्री बनारसी दास--रुपया अदा हो गया है, लेकिन इसकी सूचना नहीं है कि चीनी बेची गई या नहीं । यदि माननीय सदस्य इसकी सूचना चाहें, तो वहां से मालूम किया जा सकता है कि चीनी बेची गई या नहीं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कठकुइयां मिल किस तारीख से चली ?

नोट--तारांकित प्रश्न २८ व २९ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे ।

श्री अध्यक्ष---इस वर्ष की बात आप पूछ रहे हैं या किसी पिछले वर्ष की ?

श्री जगन्नाथ मल्ल---जी हां, इसी साल के बारे में पूंछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आप फिर से स्पष्ट सवाल पूछिये ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कठकुइयां मिल इस साल किस तारीख से चली ?

श्री बनारसी दास---तारीख की ठीक सूचना मुझे तो नहीं है, लेकिन जब से सीजन शुरू होता है उसी समय से चली ।

श्री रामेश्वर लाल---क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि गन्ने की कीमत के बकाया होने के कारण तकावी और सरकारी मालगुजारी की वसूली में दिक्कत हो रही है ?

श्री बनारसी दास---यह तो अनुमान है कि जब गन्ने की कीमत नहीं मिली, तो तकावी वगैरा की वसूली में दिक्कत हो रही होगी । लेकिन ज्यादा रुपया वसूल होने के लिये बाकी नहीं है । करीब-करीब दो हजार रुपया बाकी होगा और बाकी सब रुपया अदा हो चुका है ।

श्री रामेश्वरलाल---अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि मंत्री जी ने किसानों का गन्ने का बकाया रुपया केवल दो हजार बताया है, वह गलत है, उसको मंत्री जी ठीक कर लें तो अच्छा होगा । दो लाख के करीब रुपया बाकी है ।

श्री बनारसी दास---यह तो उत्तर में दिया जा चुका है कि केन यूनियन को रुपया दे दिया गया है, उसके ऊपर रुपया बाकी हो सकता है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---दो हजार रुपया किसका है और किसके ऊपर बाकी है ?

श्री बनारसी दास---केवल दो हजार रुपया किसानों का बाकी है और बाकी सब भुगतान हो चुका है ।

आजमगढ़ जिले के सरायमीर टाउन एरिया में चिकित्सालय भवन के निर्माण की व्यवस्था

*३०---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की सरायमीर टाउन एरिया के अन्तर्गत स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन के लिये मदर्सतुल इस्लाह प्रबन्धक समिति ने करीब चार हजार रुपये की रकम देने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये और रकम अपने कोष से देकर चिकित्सालय के भवन के निर्माण की व्यवस्था करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, मदर्सतुल इसलाह ने ३५०० रुपये व जमीन देने को कहा है। एक अस्पताल का भवन ५०,००० रुपये में बनता है और मय क्वार्टर आदि के उनसे १४,००० रु० देने को कहा गया परन्तु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। धनाभाव के कारण सरकार अपनी ओर से भवन निर्माण करने में असमर्थ है ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजकल वह अस्पताल किसकी बिल्डिंग में चल रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---स्कूल के दो कमरों में ।

श्री उमाशंकर---क्या उसी स्कूल के लोगों ने रुपया देने को कहा है जिनकी बिल्डिंग में यह अस्पताल चल रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरायमीर के आस-पास इस अस्पताल के अलावा और कोई अस्पताल नहीं है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—उस क्षेत्र में यही एक अस्पताल है । जिला चिकित्सालय सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की है कि इस अस्पताल को सरायमीर में बदल दिया जाय और उस पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इस चिकित्सालय की बिल्डिंग का कोई एस्टीमेट बनवाया है ? यदि हां, तो कितना है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, जैसा मैंने बतलाया अभी कोई एस्टीमेट नहीं कराया गया है । हमारी इमारतों पर जो सरकार की ओर से बनायी जाती है, उन पर ५० हजार रुपया खर्च होता है ।

देवरिया चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*३१—श्री रामेश्वर लाल—क्या उद्योग मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया चीनी मिल में कितना रुपया किसानों के गन्ने का दाम सन् १९५३–५४, १९५४–५५ का अलग-अलग मिल के जिम्मे अब तक शेष है ?

श्री बनारसी दास—१५ मार्च १९५५ तक देवरिया चीनी मिल के जिम्मे किसानों का गन्ने का दाम सन् १९५३–५४ का ८३९ रु० ७ आना तथा १९५४–५५ का ५,०७,०९९ रु० ७ आना ३ पाई शेष था ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या यह सही है कि १५ मार्च, १९५५ तक जितना गन्ना गेट पर देवरिया की पंजाब मिल ने खरीदा उसकी आधी कीमत उसने नहीं दी ?

श्री बनारसी दास—इसकी तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार किसानों को गन्ने का मूल्य शीघ्र दिलवाने की किसी व्यवस्था पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—अभी इस प्रकार की कोई शिकायत कलेक्टर के पास नहीं पहुंची है कि मिल ने अभी तक रुपया नहीं दिया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इतनी रकम शेष रहने का कारण क्या था ?

श्री बनारसी दास—जैसा उत्तर में दिया गया कि अभी तक वहां की केन यूनियन की तरफ से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई। मुमकिन है यह इन्सेन्टिव हो। १५ दिन में जो रुपया अदा नहीं होता तो साढ़े सात फी सदी ब्याज होता है, तो शायद केन यूनियन इसीलिए शिकायत नहीं कर रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९५३–५४ का रुपया जो किसानों को अब तक नहीं मिला है, उसके दिलाने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट ने कोई कार्यवाही की ?

श्री बनारसी दास—किसानों को मिलने का कोई सवाल नहीं। वह तो केन कोआपरेटिव सोसाइटी दे देती है। लेकिन इस सम्बन्ध में नियम यह है कि जिला मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत जानी चाहिए। कोई शिकायत नहीं की गयी जिससे वसूलयाबी के लिए कोशिश की जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार सूद की लालच में केन यूनियन, जो सरकार को नहीं लिख रही है और रुपया मिल से नहीं ले रही है, तो किसानों को जो तकलीफ है, उसको दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री बनारसी दास—मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को शिकायत जाती कि वसूलयाबी करने के लिए कदम उठाया जाय, तो अवश्य डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कदम उठाते। लेकिन कोई शिकायत नहीं हुई कि मिल से हमारा रुपया वसूल करने के लिए प्रयत्न किया जाय।

*३२-३३—श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)—[स्थगित किये गये।]

मरदह, जिला गाजीपुर के औषधालय के लिये इंडोर वार्ड की स्वीकृति

*३४—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या मरदह, जिला गाजीपुर के औषधालय में इनडोर वार्ड की स्वीकृति के लिए सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम-सभापति की ओर से प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, वार्ड चालू करने के आदेश शीघ्र पहुंच जायेंगे।

श्री यमुनासिंह—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उक्त औषधालय में कितने मरीजों के रखने की व्यवस्था की गयी है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—दो मरीजों को रखने की व्यवस्था की गयी है।

रतनपुरा कम्युनिटी प्रोजेक्ट (बलिया) के अन्तर्गत विदेशी सुअर

*३५—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थिति)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रतनपुरा कम्युनिटी प्रोजेक्ट (बलिया) में सरकार द्वारा उन्नत प्रकार के सुअर विदेश से मंगा कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब और कितने?

श्री फूल सिंह—जी नहीं।

*३६—श्री गंगा प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन विदेशी सुअरों द्वारा प्रजनित एवं सम्बन्धित सुअरों की संख्या अब कितनी है और ये उपर्युक्त विकास क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में हैं?

श्री फूल सिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*३७-३८—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[स्थगित किये गये।]

*३९—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[स्थगित किया गया।]

मिर्जापुर जिले में राबर्टसगंज अस्पताल के भवन की मरम्मत की आवश्यकता

*४०—श्री राम स्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर के अस्पताल के लिए १९५४-५५ ई० में मरम्मत के लिए कितना रुपया दिया गया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—५०० रुपया।

*४१—श्री रामस्वरूप—क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) अस्पताल के भवन की दशा बड़ी जर्जर हो चुकी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मन्त्री जी इस भवन के नवनिर्माण हेतु कोई तखमीना तैयार करा रहे हैं?

नोट—तारांकित प्रश्न ३५ व ३६ श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ने पूछे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, अगले वर्ष में इस बात के ऊपर विचार करेंगे।

*४२—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

क्षय रोग का प्रकोप

१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि क्षय रोग का प्रकोप प्रदेश के किस भाग में सब से अधिक है?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—सन् १९४९ से १९५३ तक क्षय रोग से मरे हुए व्यक्तियों की औसत संख्या से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में क्षय रोग का प्रकोप लखनऊ, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद, मेरठ, आजमगढ़, और बनारस जिलों में अधिक है।

२—श्री विश्राम राय—[स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले के लिये महिला अस्पताल

३—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सन् १९५५ में किस-किस जगह महिला अस्पताल खुलने वाला है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह अभी निश्चय नहीं हुआ है।

४—श्री तुलाराम (जिला इटावा)—[स्थगित किया गया।]

लखनऊ में रेलवे कुलियों पर पुलिस के अत्याचारों के सम्बन्ध में तीन कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तीन सदस्यों ने एक ही विषय के ऊपर काम रोको प्रस्ताव भेजे हैं, एक श्री झारखंडे राय जी का और दूसरा श्री राज नारायण जी का है, और तीसरा श्री जोरावर वर्मा का है। श्री झारखंडे राय जी का प्रस्ताव पहले आया है, मैं उसको सुनाये देता हूं :—

"गत २९ मार्च, को रात में, चारबाग में, पुलिस द्वारा २०६ शान्त और विनयशील हड़ताली 'कुलियों' की गिरफ्तारी से, जिसके कारण लखनऊ के सभी रेलवे मजदूरों तथा अन्य मजदूरों में तीव्र असन्तोष व्याप्त हो गया है, जिसके फलस्वरूप पूरे शहर का नागरिक जीवन खतरे में पड़ सकता है, उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए सदन अपना कार्य स्थगित करता है।" इसी प्रकार का काम रोको प्रस्ताव श्री राज नारायण जी का है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इससे प्रान्तीय सरकार का क्या क्या सम्बन्ध है, इन तीनों में से कोई सज्जन यह उत्तर दे सकते हैं। माननीय राजनारायण जी यदि आप चाहें, तो बतायें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, जहां तक गिरफ्तारियां हुई हैं, उससे प्रान्तीय सरकार का पूरा सम्बन्ध है, और प्रान्तीय सरकार के सम्बन्ध के कारण ही मैंने मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया था और कुलियों की मांगें हैं, वह केन्द्रीय सरकार से सम्बधित हैं। नगर में शान्ति स्थापित करने का काम प्रान्तीय सरकार का है, और प्रान्तीय सरकार की पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, उससे शान्ति अशान्ति में परिणत हो सकती है। मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि आप डिप्टी मिनिस्टर साहब श्री जगन प्रसाद जी रावत से बात कर लीजिये। हमारा एक प्रतिनिधि मण्डल श्री रावत जी से मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने हम लोगों की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और जितनी बातें उन्होंने बतलायीं, उनमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि पुलिस की ओर से कोई ज्यादती नहीं होगी, और कुली शान्त तरीके से अपनी मांगों के लिए सत्याग्रह चलायें। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब यकायक कल लाठी लेकर

और हथियारबन्द पुलिस वहां पहुंच गयी। मैंने फिर शाम को मुख्य मन्त्री जी को फोन किया। जब मुझे मुख्य मन्त्री जी नहीं मिले, तो फिर रावत जी से कन्टैक्ट किया। रावत जी आधा घंटे के बाद मिल गये। रावत जी से फिर निवेदन किया। रावत जी ने फिर यही बात कही जो कि उन्होंने पहले कही थी, कि हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कह दिया कि वह वहां पर जायं, और जाकर शान्ति बनाये रखने की चेष्टा करें। तो बावजूद इन २, ३ बातों के कि सरकार सचेष्ट है .....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया यह बतलायें कि प्रान्तीय सरकार से इसका सम्बन्ध किस प्रकार से है ?

श्री राजनारायण—सम्बन्ध यह हुआ कि सत्याग्रही तो शान्ति बनाये हुए थे और अपनी बुनियादी मांगों के लिए निवेदन कर रहे थे, मगर सरकार की पुलिस वहां पर गयी, और वह पुलिस ठेकेदार का वहां पर पक्ष लेने लगी। ठेकेदार का पक्ष लेकर मजदूरों को गाली देने लगी। यह पुलिस जी० आर० पी० पुलिस है, जो प्रान्तीय सरकार से सम्बन्ध रखती है। वह वहां पर गयी, और यहां के सिटी मैजिस्ट्रेट गये और कोतवाल साहब भी गये। इस तरीके से उन्होंने करीब करीब २०६ आदमियों को ९ बजे रात में गिरफ्तार कर लिया। इसका पूरा सम्बन्ध प्रान्तीय सरकार से है। वहां पर उनका वारन्ट भी बना और जिलाधिकारियों की आज्ञा से यह सब कार्यवाही हुई। इसलिए इसका पूरा सम्बन्ध प्रान्तीय सरकार से है।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी श्री राजनारायण जी ने कहा कि परसों वह मुझसे मिले थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में मुझसे बात की थी। मैंने उनसे यह कहा था कि जहां तक प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध है, वह इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं रखती है कि आप और रेलवे अधिकारी इस मांग के सम्बन्ध में चाहे जो बातचीत करें, और चाहे जो भी निर्णय करें, लेकिन जहां तक शान्ति बनाये रखने का सम्बन्ध है, वहां पर पुलिस किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, जब तक कि कुलियों की तरफ से कोई अशान्ति का वातावरण पैदा न किया जाय, या कोई कानून शिकनी न की जाय। कानून शिकनी न होने पर या वातावरण को अशान्त करने की चेष्टा करने पर पुलिस कार्यवाही करेगी। श्री राजनारायण जी ने जो कहा कि पुलिस ने गाली दी यह बात तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूं। समाचार पत्रों से तो ऐसा नहीं मालूम होता है कि किसी को गाली दी गयी या वहां पर कोई मारपीट हुई। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वहां पर गिरफ्तारी हुई . . .

श्री अध्यक्ष—गिरफ्तारी के बारे में, जब मैं इजाजत दूंगा, तब उसके विषय में वाकयात पर विवाद होगा। वह प्रश्न इस समय नहीं है। इस समय तो यह प्रश्न है कि प्रान्तीय सरकार से इसका सम्बन्ध है या नहीं।

श्री जगन प्रसाद रावत—जहां तक उनकी मांगों का सम्बन्ध है, इससे प्रान्तीय सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है,। प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध केवल इससे है कि जो कानून शिकनी करेगा, उसको प्रान्तीय सरकार गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी। २०६ कुलियों ने कानून शिकनी की तो उनको गिरफ्तार किया गया।

श्री अध्यक्ष—मैं श्री झारखंडे राय को यह इजाजत दूंगा कि वह अब सदन से अनुमति इस विषय में मागें कि इस विषय पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि इस मामले का कुछ सम्बन्ध प्रान्तीय सरकार से प्रतीत होता है। यदि श्री झारखंडे राय अपना राइट श्री राजनारायण जी को दे देना चाहते हैं, तो मैं उनको सदन की अनुमति प्राप्त करने की इजाजत दे दूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं, जो यह आवश्यक विषय है, और जिस पर इस सदन में विवाद होना चाहिए, उसकी जानकारी कराने के लिए, आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं कि सदन मेरी प्रार्थना पर विचार करे और हमारा साथ दे और इसके लिए यह आवश्यक भी है कि मेरी प्रार्थना है कि औचित्य के विषय में हमारे साथी विचार करें। हमारी प्रार्थना यह है कि जो कुली प्रान्तीय सरकार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं, उन कुलियों ने कोई कानून शिकनी नहीं की है। कानून शिकनी अगर कोई कर रहा है, तो वह ठेकेदार कर रहा है, क्योंकि वह १४४ कुलियों को तनख्वाह देकर ६०० कुलियों से काम लेता है, और इस तरीके से श्रीमन्, जो १४४ और ६०० का अन्तर है, उसका असर कुलियों पर पड़ता है, और उनसे इस प्रकार बेगार ली जाती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप यह विषयान्तर कर रहे हैं। यह तो रेलवे से सम्बन्धित बात है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध प्रान्तीय सरकार से है, मैंने उसी के बारे में कहने की इजाजत दी है। इसलिए आप इस तरह से विषय को उपस्थित न करें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो कुलियों की मांगें हैं, वे जायज हैं और जब सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि कुलियों ने कानून शिकनी की इसलिए उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी, तो हमको कहना पड़ता है कि कुलियों ने कोई कानून शिकनी नहीं की है। अगर उन्होंने कुछ किया भी है, तो वह अपने हकों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से किया है। इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मन्त्री जी को अथवा आपको पंच मानने के लिए तैयार हैं। आपके सामने कुलियों की सारी मांगें रख दी गयी जायं और कुलियों के साथ पुलिस ने जो ज्यादतियां की हैं, उनको रख दिया जाय, तो हमें विश्वास है कि आपका फैसला हमारे पक्ष में होगा। इसलिए आपको इसमें पंच मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी जब सरकार कहती है कि कुलियों द्वारा कानून शिकनी हुई, तो हमें बड़ा दुःख होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर किसी ने कोई कानून शिकनी नहीं की .....

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, वह यह है कि जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनका मामला अदालत में जा सकता है, इसलिए इसके सम्बन्ध में यहां कोई बयान देना कि कानून शिकनी हुई है या नहीं, मेरे खयाल में उचित न होगा।

श्री अध्यक्ष—जब वे सदन से अनुमति मांगेंगे तो कुछ न कुछ तो उनको कहना ही पड़ेगा। मैंने मुख्तसिर में कुछ कहने की उनको इजाजत दे दी है। केवल यह कह देने से कि इसकी अनुमति दी जाय, सदन अपनी कोई राय नहीं बना सकता। इसलिए थोड़ा सा विवरण उनको देने के लिए मैंने कह दिया था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जैसा कि आप समझते हैं, और यह सदन भी समझता है कि मुझे इस सम्बन्ध में बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बार बार सदन से यह प्रार्थना करने की चेष्टा की है कि कुलियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी के बाद ले जाते समय, उनको रिश्तेदारों से भी नहीं मिलने दिया गया। मैं भी स्टेशन गया था और मैंने भी जब उनसे मालूमात करना चाहीं, तो पुलिस ने उसका मौका भी नहीं दिया। इसके अतिरिक्त डा० राम मनोहर लोहिया सवा नौ बजे की गाड़ी से जाने वाले थे, जब वे भी यह देखना चाहते थे कि कुलियों को क्यों गिरफ्तार किया गया, उनको जैसे ही यह मालूम हुआ, उन्होंने उन सब लोगों को, जिसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दो सदस्य श्री चन्द्र सिंह करुणेश और श्री आध्यात्म तिवारी को भी अवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया गया है, जल्दी से वहां से ले जाया गया। अतः मैं चाहता हूं कि सदन हमारी प्रार्थना पर विचार करके संयम और शांति के साथ विचार करके, पार्टी की बात को छोड़कर, न्यायपूर्वक विचार करके, हमें इसकी इजाजत दे, और हमारी जो मांग है, उसको समर्थन करे। आशा है सभी माननीय सदस्य चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, हमारी न्यायपूर्वक मांग का साथ देंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह हड़ताल जो करायी गयी है, वह किसने करायी है, कम्युनिस्ट पार्टी ने, सोशलिस्ट पार्टी ने अथवा उन्होंने स्वयं की है ?

श्री अध्यक्ष—मैं प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देता, यह प्रश्नों का समय नहीं है। रावत जी, आप इसका विरोध करना चाहते हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जैसा अभी श्री राजनारायण जी ने कहा कि कुलियों ने कानून शिकनी की तो उनके साथ अन्याय किया गया। मुझे तो सिर्फ वाकये को ही कहना था कि कानून शिकनी शान्तिमय तरीके से भी हो सकती है लेकिन यह कानून शिकनी इस तरह से की गयी कि कानून को ही अपने हाथ में ले लिया गया, लोग प्लैटफार्म पर लेट गये, पार्सल आफिस के सामने लेट गये, और जो आदमी काम करने के लिये जाता था उसमें रुकावट डालते थे और जो शिकायत की गयी है वह मामला तो जब अदालत के सामने जायगा तभी उनके ऊपर कुछ फैसला हो सकता है लेकिन हमारी प्रान्तीय सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसमें इस प्रकार की कोई आपत्ति हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि यह तो एक रोजमर्रा की बात हो गयी है और जब कोई कानूनशिकनी करता है तो कानून तो अपना काम करता ही है। इसलिये काम रोको प्रस्ताव के द्वारा हाउस का समय दूसरे कामों में लगाने से रोकने की कोशिश करना, मेरे ख्याल में यह अनुचित है और इसके लिये हाउस को आज्ञा नहीं देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जो लोग अनुमति देने के पक्ष में हों वे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जायं।

(२३ सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े हुये।)

अनुमति देने के पक्ष में २३ ही सदस्य हैं इसलिये यह नाकाफी संख्या है और सदन अपनी अनुमति इसको उपस्थित करने के लिये और विवाद करने के लिये नहीं देता है।

२४ मार्च, १९५१ के शिक्षा मंत्री के भाषण में कथित गलत बयानी के सम्बन्ध में श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए प्राथना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक सूचना माननीय राजनारायण जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में भेजी है और वह इस विषय के ऊपर है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने २४ मार्च के भाषण में, श्री राजनारायण जी के भाषण में जो कथन था उसके उत्तर में कुछ जवाब दिया, उससे वह समझते हैं कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है और उसको उन्होंने उठाया है। मैं सदन को माननीय राजनारायण जी के वे वाक्य सुना देना चाहता हूं जिसका प्रत्युत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इन शब्दों में दिया और फिर अन्त में जो प्रश्न उठाया गया है उसके ऊपर मैं फैसला दूंगा। माननीय राजनारायण जी के भाषण में शब्द इस प्रकार थे :—

"राज्यपाल महोदय के हस्तक्षेप के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। अब यह टालरेशन के ऊपर हो गया है। अब तो राज्यपाल महोदय का हस्तक्षेप यहां तक बढ़ गया है कि उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया, वह कैसे बढ़ा दिया, किस कानून के मुताबिक़ कर दिया, कन्वोकेशन से उसका कोई सम्बन्ध है या नहीं....."

[श्री अध्यक्ष]

जब उन्होंने इतने वाक्य कहे ही थे तो उसके बाद ही श्री हरगोविन्द सिंह यानी शिक्षा मंत्री जी ने उन से कहा "बिना पढ़े लिखे आपने कह दिया कि एक्सटेंड कर दिया। कहां एक्सटेंड कर दिया, किसने कर दिया ?" इसके ऊपर श्री राज नारायण जी ने कहा "माननीय मंत्री जी ने सफ़ाई दे दी। उनका कार्यकाल समाप्त होता था ५ जनवरी को, तो फिर आज तक कौन वाइस चांसलर है और अगर वही हैं तो कैसे हैं।" इसके ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा "आप जरा वहां के स्टेट्यूट पढ़ लीजिये।" यह तो जिस वक्त माननीय राजनारायण जी ने भाषण दिया उस वक्त माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बीच में कहा और उसके बाद अन्त में जब वह प्रत्युत्तर दे रहे थे उस वक्त श्री राज नारायण जी के इस कथन का प्रतिवाद इस प्रकार से किया " तो श्रीमन्, उन्होंने एक चांसलर की निस्बत एक आक्षेप कर दिया जो पूर्णतया निराधार था, जिसमें अंशमात्र भी सत्यता नहीं है। श्रीमन्, इससे बढ़ कर क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि इस बात में कोई जरा सा भी सत्य नहीं है कि चांसलर ने वाइस चांसलर के टर्म को एक्सटेंड कर दिया। अगर वह स्टेट्यूट्स पढ़ लेते तो ऐसी बात न करते, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक नए स्टेट्यूट्स न बन जायंगे तब तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पुराने स्टेट्यूट्स ही लागू रहेंगे और नियम यह है कि अगर किसी वाइस चांसलर का टर्म खत्म हो जाता है तो टर्म बढ़ाया जा सकता है।"

इतने वाक्य इस संदर्भ में उपस्थित किये जा सकते हैं कि उस दिन बातें भाषणों में कही गयी थीं। इस विषय पर माननीय राज नारायण जी ने इस बुनियाद पर यह प्रश्न उठाने की अनुमति मुझसे मांगी है कि इस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा इस सदन को मुग़ालता दिया गया, यह कह कर कि चांसलर ने वाइस चांसलर का समय नहीं बढ़ाया है। उसके सबूत में उन्होंने श्री तलवार साहब, जो गवर्नर साहब के सेक्रेटरी हैं, का पत्र जो उन्होंने वाइस चांसलर को, भेजा था उसकी नकल मेरे पास भेजी है। वह ४ मार्च का पत्र है, उसको भी मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं.....

"Sri Rajyapal understands that your term as Vice-Chancellor of the Allahabad University expires to day. I have been directed to inform you that the Allahabad University amending Bill, 1954 has received assent of Sri Rajyapal and becomes law as from today.

The Chancellor hopes that you will carry on as Vice-Chancellor under-section 39 of the amending Act till such time as he appoints the Vice-Chancellor under section 40 of the amending Act."

तो यह पत्र उन्होंने मेरे पास सबूत में पेश किया है। मैंने इस विषय में जो अधिनियम, संशोधन के पहले था उसको भी पढ़ा, स्टेच्यूट्स का भी सम्बन्धित भाग पढ़ा और नए अधिनियम को भी पढ़ा और उस सिलसिले में जो श्री तलवार का पत्र है और जिसकी नकल श्री राज नारायण जी ने मेरे पास भेजी है उसको भी मैंने जांच करके और सम्बन्धित विभाग से मंगवा कर पढ़ा। उसके बाद श्री तलवार ने उसमें जो बाद में दुरुस्ती भी की है उस दूसरे संशोधित पत्र का भी मैंने पढ़ा। उसे भी मैं सदन में बताये देता हूं वह दुरुस्ती केवल यह है कि पहिले पत्र में जो हवाला सेक्शन ३९ का है उसकी जगह ४० होना चाहिये और ४० धारा की जगह ४१ होना चाहिये क्योंकि जब सदन में बिल उपस्थित था, उसमें जिस धारा का नम्बर ३९ था, उसका नम्बर बीच में एक धारा के बढ़ जाने से ४० हो गया, तो इस तरह से वह दुरुस्ती दूसरे पत्र में हुई थी.....

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—यह दुरुस्ती किस तारीख को हुई थी ?

श्री अध्यक्ष—वह दूसरा पत्र मार्च की २५ तारीख का है। मैं आपको यह भी सुना देना चाहता हूं कि जो धारा ३९ थी या जो बाद में दुरुस्त हो कर ४० हो गई वह धारा

३९ जो अब ४० है वह इस प्रकार है—

"Notwithstanding anything in the Principal Act, the Statutes or the Ordinances, the term of every elected officer or Authority of the University, holding office or constituted on the date immediately preceding the commencement of the Allahabad University (Amendment)" Act, 1954, hereinafter called the "Amending Act" shall determine on the appointment, election or constitution of the corresponding officer or authority in accordance with the provisions of the Principal Act as amended by the said Act."

और ४१ इस प्रकार है :—

"Notwithstanding anything in the Principal Act, or the amending Act, the Chancellor may at any time after the Amending Act has come into force appoint a person to be Vice-Chancellor and it shall not be necessary for making the appointment to follow the procedure laid down in section 11. The Vice-Chancellor so appointed shall exercise all the powers and perform all the duties and functions of the Vice-Chancellor under the Principal Act, as amended, and shall hold office for a period of one year, but the Chancellor may, if it becomes necessary, extend the period by one year."

तो ४० धारा में जो ट्रांजिटरी प्राविजन्स के मातहत धारा बनी है, उसमें यह बताया गया है कि जो अधिकारी यूनिवर्सिटी में पहले से चले आये हैं उनका कार्यकाल तब समाप्त होगा जब कि उनके स्थान पर उसी ओहदे का व्यक्ति फिर से नियुक्त न हो जाय, नामजद न हो जाय या चुना न जाय। दूसरी ४१ धारा में चांसलर को अधिकार है कि वह नियुक्ति करें किसी पद के लिये और वह वाइस चांसलर की नियुक्ति करे और उसमें टर्म भी बढ़ाने का अधिकार ४१ में दिया है। जो पत्र मुझे तलवार साहब का मिला है और दुरुस्ती के साथ दोनों का अर्थ एक ही है सिर्फ धारा की संख्या का परिवर्तन दूसरे पत्र में बताया गया है। उसमें शब्द ये हैं :—

"The Chancellor hopes that you will carry on as Vice-Chancellor under section 40 of the amending act till such time as he appoints a Vice-Chancellor under section 41 of the Amending Act."

तो साधारण बुद्धि, कामनसेन्स, में जो अर्थ उस धारा ४० का आता है उससे मालूम होता है कि इस अधिनियम की धारा में स्पष्ट दिया हुआ है कि जो लोग कार्य कर रहे हैं वे जब तक कि उनकी जगह दूसरे मुकर्रर नहीं होंगे तब तक कार्य करते ही जायेंगे। उस ४०वीं धारा में चांसलर के द्वारा समय घटाने और बढ़ाने का प्रश्न नहीं आता। ४१ का उपयोग अगर करें तो यह प्रश्न आ सकता है लेकिन ४० में अपने आप ही वह टर्म जारी रहेगा जब तक कि दूसरा व्यक्ति उस ओहदे के ऊपर मुकर्रर न किया जाय और तब तक पहला व्यक्ति काम कर सकता है। तो श्री तलवार ने जो अपना पत्र लिखा वह केवल एक तरह की सूचना सी साधारण बुद्धि से मालूम होती है कि कायदा क्या कहता है? जहां तक स्टेट्यूट की तरफ निर्देश या संकेत माननीय शिक्षा मंत्री ने किया है कि स्टैट्यूट देख लें यह जो उत्तर में उन्होंने कहा तो स्टेट्यूट्स से भी वे यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पूर्व स्थित व्यक्ति का समय अपने आप स्टैट्यूट्स द्वारा बढ़ जायगा। क्योंकि उसमें यह दिया हुआ है—स्टैट्यूट्स के शब्द ये हैं :

"The Vice-Chancellor shall hold office for three years from the date of his election by the court and till the election of his successor has been confirmed by the Chancellor."

लेकिन उसमें इलेक्शन का शब्द भी आता है और किसी के दिल में भ्रम पैदा हो सकता है कि इलेक्शन तो हुआ नहीं और इलेक्शन के बिना ये स्टेट्यूट्स कैसे लागू हो गये। तो ऐसा

[श्री अध्यक्ष]

यह भ्रम भी हो सकता है लेकिन दूसरी ओर माननीय शिक्षा मंत्री उससे यह अर्थ भी निकाल सकते हैं। जो उन्होंने निकाला था कि उन स्टेट्यूट्स के लागू रहने से उनके अन्तर्गत वाइस चांसलर के कार्यकाल का समय अपने आप बढ़ जाता है। यह परिस्थिति तो मैंने इस सदन को बतला दी। सही परिस्थिति यह नहीं थी कि स्टेट्यूट्स के मातहत समय बढ़ जाता है बल्कि इस अधिनियम के मातहत जो तलवार साहब का पत्र है उससे स्पष्ट होता है कि अधिनियम के मातहत अपने आप ही समय बढ़ जाता है तब तक के लिये जबतक कि दूसरा व्यक्ति वाइस चांसलर नियुक्त न हो जाय। यह बात सम्भव है--मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने शिक्षा मंत्री से इस बारे में पूछा नहीं कि उनको तलवार साहब के इस पत्र का उक्त भाषण देते समय ज्ञान था या नहीं था, लेकिन जहां तक समय बढ़ाने का प्रश्न है वे यह निष्कर्ष हर हालत में निकाल सकते थे कि समय नहीं बढ़ाया गया। इसलिये कोई जान-बूझ कर सदन को धोखा देने का प्रश्न उनके वाक्यों से नहीं उठता। उसी प्रकार से राजनारायण जी ने जो शब्द कहे "कि समय बढ़ा दिया" उसमें भी यद्यपि कानून की दृष्टि से तो श्री तलवार जी के पत्र का अर्थ समय बढ़ाने का नहीं होता तथापि, क्योंकि केवल कामनसेन्स उन्होंने अपनी खर्च की और कानूनन उसके सिद्धांत को उन्होंने नहीं समझा और यह सोच कर कि समय तीन वर्ष से अधिक तो बढ़ा ही है। इसलिये उन्होंने जैसे साधारण बोलते हुये लोग कह देते हैं उन्होंने भी कह दिया कि समय पत्र द्वारा श्री चांसलर जी ने "एक्सटंड किया"। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि सदन को किसी सदस्य ने जानबूझ कर धोखा देने का प्रयत्न किया है तब तक विशेषाधिकार का प्रश्न ग़लतब्यानी होने पर भी और वस्तुस्थिति से थोड़ा सा हट कर भाषण होने पर भी नहीं उठ सकता और न राजनारायण जी के भाषण के बारे में भी कोई आपत्ति इसी कारण उठाई जा सकती है। इस सदन में भाषण का पूर्ण स्वातंत्रय है। कोई भी गलतब्यानी होने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है ऐसी बात नहीं है। कोई ईमानदारी से कहता है कि यह बात है या किसी धारा का यह अर्थ है लेकिन वह ग़लत बात सिद्ध होती है तो उस गलती की वजह से विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसलिये चूंकि इस समय यह प्रश्न केवल श्री राजनारायण जी ने उठाया है इसलिये मैं कहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी के विरुद्ध यह प्रश्न वाक्यात को देखते हुये नहीं उठाया जा सकता। यह सिद्धान्त हर माननीय सदस्य के भाषण के सम्बन्ध में लागू होगा कि जब तक 'प्राइमा फेसी' यह सिद्ध नहीं हो जाय कि जानबूझ कर सदन को मुगालता देने का प्रयत्न किया है, तब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा कि सदन के किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठे। इन भाषणों से भी वह नहीं उठता है। मैंने स्पष्टीकरण अभी इसलिये भी दिया कि आदरणीय सदन के सदस्य सब परिस्थिति को जान लें कि श्री तलवार द्वारा सही पत्र क्या लिखा गया क्योंकि उसका उद्धरण किसी ने अपने-अपने भाषण में नहीं किया था और यह भी सदन को मालूम हो जाय कि इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध के क्या-क्या सिद्धान्त हैं और उनके सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट हो जाय। इस कारण मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण द्वारा अपने भाषण में "चांसलर" के स्थान पर "राज्यपाल" के प्रयोग पर आपत्ति

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप ने अभी जो उद्धरण दिया है माननीय राजनारायण जी के भाषण के सम्बन्ध में उसमें उन्होंने "राज्यपाल महोदय" शब्द का प्रयोग किया है, "चांसलर्स" शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रक्रिया नियमावली की धारा १८२ के ५वें खंड में स्पष्ट है "reflect upon the conduct of the President or any Governor or any Court of Justice." तो माननीय राज नारायण जी ने अपने भाषण में राज्यपाल

शब्द का प्रयोग किया है। मैं समझता हूं कि इससे उनके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ता है। इस वास्ते मैं सूचित करता हूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--जो मैंने सिद्धान्त बताये उसके अन्तर्गत यह प्रश्न भी नहीं उठता। क्या यह सही है कि उन्होंने श्री राज्यपाल के लिये भाषण में कहा था यद्यपि उन्होंने 'राज्यपाल' शब्द का प्रयोग किया था? माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण मैंने सुना दिया। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चांसलर के हस्तक्षेप करने के बारे में राज नारायण जी ने कहा है। सदन में और सभी ने यही समझा कि *राज्यपाल शब्द का प्रयोग जो श्री राजनारायण जी ने किया है वह गलत था उन्हें चान्सलर कहना चाहिए था, श्री राज्यपाल नहीं और भाषण में आगे चल कर शायद उन्होंने चांसलर शब्द भी कहा है। उसी एक वाक्य के बाद शायद चांसलर शब्द का इस्तेमाल आया है। तो अगर श्री राजनारायण जी का हेतु माननीय सदस्यों की समझ में आ गया तो मैं उस शब्द को परिवर्तित कर दूंगा, उनके भाषण में उस जगह चांसलर कर दूंगा, और "राज्य पाल" शब्द नहीं रहेगा। लेकिन उनके ऊपर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न, क्योंकि उनका हेतु कोई यह नहीं था कि श्री राज्यपाल के ऊपर हमला करें, उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो तलवार जी का पत्र पढ़ा उसमें राज्यपाल शब्द का प्रयोग किया गया है अथवा चांसलर का ?

श्री अध्यक्ष--उस पत्र में लिखा है कि श्री राज्यपाल ने अधिनियम पर मंजूरी दी और चान्सलर ने यह 'होप' एक्सप्रेस की कि अधिनियम की धारा के अनुसार वाइस चांसलर कार्य करते रहेंगे।

श्री राजनारायण--यह तो राज्यपाल लिखा ही है--"Sri Rajyapal understands that your term as Vice-Chancellor, of the Allahabad University expires to day."

श्री अध्यक्ष--यदि वह भी गलती करें तो उनका भी हेतु मैं जानने की कोशिश करूंगा बनिस्बत इसके कि किसी शब्द के गलत प्रयोग के ऊपर उसमें से कोई और अर्थ निकाल लूं। जब तक धोखा देने के हेतु का नहीं पता लगेगा तब तक कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता गल्तियों के ऊपर।

विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के निर्णय के सम्बन्ध में श्री राजनारायण की प्रार्थना

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमको थोड़ा सा मौका दें। मैंने क्यों इस शब्द का प्रयोग किया और किस तरह की अवैधानिकता इसमें अपनाई जा रही है इसको मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं इसके लिये इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जायं कृपा करके। मैंने निर्णय दे दिया और उसके बाद कोई बात नहीं उठती।

श्री राजनारायण--आपने इंटरप्रेटेशन किया उसके बारे में.....

श्री अध्यक्ष--आप क्या यह कहते हैं कि आपको अधिकार है राज्यपाल पर हमला करने का ?

---

*नोट --२४ मार्च, १९५५ को कार्यवाही में श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार शुद्ध कर दिया गया।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो आपने एक्ट की धारायें पढ़ीं और जो मेरे उस दिन के भाषण का वाक्यांश पढ़ा और जो माननीय मंत्री जी का वाक्यांश पढ़ा, वह तो ठीक है। पढ़ने के बाद आपने उस पर एक इंटरप्रेटेशन किया, तो उस इंटरप्रेटेशन पर मैं सदन में कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—मैंने तो अधिनियम को बताया। सही गलत क्या है, मैंने नहीं बताया मैंने तो जो अधिनियम का मतलब है वही बताया। इसके सिवाय मैंने सिर्फ संकेत मात्र किया कि यह सब अर्थ हो सकते हों। और भी अर्थ होंगे, उन पर कानूनन किसी अदालत में फैसला हो सकता है इस बारे में, सही गलत कुछ भी हो अर्थ यहां पर ब्यान किया गया हो। सब वाक्यात सामने आ जाने चाहिये, इसलिये मैंने वाक़यात को पढ़ कर सुना दिया। अब इसके अर्थ क्या लगते हैं, उसको लगाने का और समझने का प्रत्येक माननीय सदस्य को अधिकार है। विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बुरी नीयत का सवाल इसमें नहीं है।

श्री राजनारायण—मैं एक दूसरी बात के बारे में निवेदन करना चाहता हूं और आपकी आज्ञा से कि यह ठीक है कि आपने साफ कह दिया कि मैंने कोई इंटरप्रेटेशन नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—जहां तक अधिनियम के सम्बन्ध में इंटरप्रेटेशन, है, वह मैंने दे दिया, जो अधिनियम यहां पास हुआ उसके बारे में मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं उसका मतलब बता दूं, जो मैं समझता हूं। वह ग़लत हो सकता है। उसकी धाराओं तथा अर्थ का जिक्र सदन में नहीं आया था इसलिये मैंने उनको पढ़ कर अर्थ करके बताया।

(श्री राजनारायण के खड़े होने पर)

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, आपने जो प्रश्न उठाया था उस पर अपना फैसला दे दिया। अब अगर उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देना है या बातें करनी हैं तो वह आप के चेम्बर में जाकर की जा सकती हैं; सदन का समय क्यों ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—मैं तो इस लिये कह रहा हूं कि इस समय आप उसका जिक्र न करें, मुझसे बाद में कहें। (एक सदस्य के खड़े होने पर) अब आप भी बैठ जायं। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

विभिन्न समितियों के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब मैं स्थायी समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में सदन को सूचना देना चाहता हूं।

सार्वजनिक लेखा समिति—इसमें यह २० सदस्यों के नाम हैं जो निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

१—श्री राम दुलारे मिश्र
२—श्री मुहम्मद वसी नक़वी
३—श्री देवदत मिश्र
४—श्री सुखी राम भारतीय
५—श्री रामजीलाल सहायक
६—श्री नारायण दास
७—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ
८—श्री महीलाल
९—श्री इर्तजा हुसैन
१०—श्री असरफ अली खां
११—श्री श्रीचन्द्र
१२—श्री बेचनराम गुप्त

१३--श्री झारखंडे राय
१४--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य
१५--श्री धनुषधारी पांडेय
१६--श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह
१७--श्री गोवर्धन तिवारी
१८--श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह
१९--श्री जोरावर वर्मा
२०--श्री मदनमोहन उपाध्याय

वित्त समिति--इसमें यह १४ सदस्य निर्वाचित हुए--

१--श्री केशव पांडेय
२--श्री महाराज सिंह
३--श्री तेज प्रताप सिंह
४--श्री विष्णु शरण दुब्लिश
५--श्री मोहन लाल गौतम
६--श्री केशव गुप्त
७--श्री एच० एन० बहुगुणा
८--श्री शिवदान सिंह
९--श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी
१०--श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)
११--श्री राम स्वरुप भारतीय (प्रतापगढ़)
१२--श्री नारायणदत्त तिवारी
१३--श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट
१४--श्री जयपाल सिंह

प्राक्कलन समिति--इसमें ये २५ सदस्य निर्वाचित हुए हैं--

१--श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा
२--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)
३--श्री वंशीधर मिश्र
४--श्री रामनारायण त्रिपाठी
५--श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (इलाहाबाद)
६--श्री दीनदयालु शर्मा (बुलन्दशहर)
७--श्री नवल किशोर
८--श्री जगदीश प्रसाद
९--श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा
१०--श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी
११--श्री शिवकुमार शर्मा
१२--श्री शिवनारायण
१३--श्री गंगाप्रसाद सिंह (बलिया)
१४--श्री इस्तफा हुसेन
१५--श्री शिव प्रसाद (देवरिया)
१६--श्री राम वचन यादव
१७--श्रीमती सज्जन देवी महनोत
१८--श्री गंगाधर मैठाणी
१९--श्री वीरेन्द्र शाह
२०--श्री राधा कृष्ण अग्रवाल
२१--श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी
२२--श्री वीरेन्द्र वर्मा
२३--श्री शिव मंगल सिंह कपूर
२४--श्री हरी सिंह
२५--श्री नारायण दीन (शाहजहांपुर)

यह सदस्य निर्वाचित हुए और नियम के अनुसार इसका अध्यक्ष नामजद करने का मुझे अधिकार है। तो मैं श्री नवल किशोर जी को इसका अध्यक्ष नामजद करता हूं ।

हरिजन सम्बन्धी स्थायी समिति--इसमें यह १४ सदस्य निर्वाचित घोषित हुए--

१--श्री रामलाल
२--श्री राम सुन्दर राम
३--श्री दयाल दास भगत
४--श्री रामअधीन सिंह यादव
५--श्री सेवाराम
६--श्री घनश्याम दास
७--श्री राजेश्वर सिंह
८--श्री डल्ला राम
९--श्री केशव राम
१०--श्री हरदेव सिंह
११--श्री गंगाधर जाटव
१२--श्री घासीराम जाटव
१३--श्री तुलाराम रावत
१४--श्री लेखराज सिंह

मुझे बैठकर ही जरा कहना पड़ेगा ।

(श्री अध्यक्ष के बैठने पर)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि.....

श्री अध्यक्ष--मैं पहले खत्म तो कर दूं।

सामान्य प्रशासन स्थायी समिति--इसमें १४ सदस्य निर्वाचित हुए-

१—श्री व्रजबासी लाल
२—श्री देवनंदन शुक्ल
३—श्री लीलाधर अष्ठाना
४—श्री शिव मंगल सिंह (बलिया)
५—श्री परमानंद सिन्हा
६—श्री गणेश चन्द्र काछी
७—श्री सुल्तान आलम खां
८—श्री दीवान सुन्दर दास
९—श्री राजनारायण (बनारस)
१०—महाराजकुमार बालेन्दुशाह
११—श्री नौरंगलाल
१२—श्री वीरसेन
१३—श्री मुहम्मद नसीर
१४—श्रीमती यशोदा देवी

सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) स्थायी समिति—इसमें १४ सदस्य निर्वाचित हुए-

१—श्री राजा राम शर्मा
२—श्री बद्री नारायण मिश्र
३—श्री दाता राम
४—श्री तिरमल सिंह
५—श्री मिहरबान सिंह
६—श्री गुप्तार सिंह
७—श्री महमूद अली खां (सहारनपुर)
८—श्री छेदालाल
९—श्री उमाशंकर मिश्र
१०—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी
११—श्री रामेश्वर लाल
१२—श्री सत्यसिंह राणा
१३—श्री महादेव प्रसाद (गोरखपुर)
१४—श्री रामचन्द्र विकल

शिक्षा स्थायी समिति--इसमें भी १४ सदस्य चुने गये-

१—श्री राम स्वरुप गुप्त
२—श्री किन्दर लाल
३—श्री जयराम वर्मा
४—श्री चुन्नीलाल सगर
५—श्री मुहम्मद तकी हादी
६—श्री सहदेव सिंह
७—श्री गिरजा रमण शुक्ल
८—श्री राम प्रसाद देशमुख
९—श्री मोहन सिंह (बुलन्दशहर)
१०—श्री नरदेव शास्त्री
११—श्री जगन्नाथ बख्श दास (बाराबंकी)
१२—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा
१३—श्री उदय भान सिंह
१४—श्री गंगाधर मैठाणी

माल स्थायी समिति--इसमें भी १४ सदस्य निर्वाचित हुए हैं-

१—श्री राम लखन मिश्र
२—श्री व्रज विहारी मिश्र
३—श्री अनन्त स्वरुप सिंह
४—श्री जगत नारायण
५—श्री केवल सिंह
६—श्री बलवन्त सिंह
७—श्री अवधेश प्रताप सिंह
८—श्री गेंदा सिंह
९—श्री कमला सिंह
१०—श्री मकसूद आलम खां
११—श्री राजाराम मिश्र
१२—श्री पुत्तूलाल
१३—श्री शुगनचंद (सहारनपुर)
१४—श्री तुलाराम (इटावा)

न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति--इसमें भी १४ सदस्य निर्वाचित हुए-

१—श्री त्रिलोकी नाथ कौल
२—श्री गोपीनाथ दीक्षित
३—श्री सालिगराम जायसवाल
४—श्री वंशीदास धनगर
५—श्री बाबूनन्दन
६—श्री दाऊ दयाल खन्ना
७—श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट
८—श्री विजय शंकर प्रसाद
९—श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा
१०—श्री जगन्नाथ प्रसाद (खीरी)
११—श्री वीरेन्द्रपति यादव
१२—श्री राजकुमार शर्मा
१३—श्री केदार नाथ
१४—श्री तेजा सिंह

आबकारी स्थायी समिति—इसमें ये १४ सदस्य निर्वाचित हुए—

१—श्री शिवपूजन राय
२—श्री बेचन राम
३—श्री श्यामलाल
४—श्री ए० सी० ग्राइस
५—श्री यमुना प्रसाद
६—श्री भगवतीदीन तिवारी
७—श्री सुन्दरलाल
८—श्री रामचरण लाल गंगवार
९—श्री मुन्नू लाल
१०—श्री सी० बी० महाजन
११—श्री गुलजार
१२—श्री रामप्रसाद सिंह
१३—श्री लक्ष्मणराव कदम
१४—श्री जगन्नाथ मल्ल

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति—इसमें ये १४ सस्दस्य निर्वाचित हुए—

१—श्री जवाहरलाल रोहतगी (कानपुर)
२—श्री जवाहर लाल (इलाहाबाद)
३—श्री रामशंकर द्विवेदी
४—श्री लालबहादुर सिंह कश्यप
५—श्री बाबूलाल 'कुसुमेश' (बाराबंकी)
६—श्री राम किंकर
७—श्री धर्मदत्त वैद्य
८—श्री नेत्रपाल सिंह
९—श्री मदनगोपाल वैद्य
१०—श्री गुरुप्रसाद पांडेय
११—श्री राजेन्द्र दत्त
१२—श्री उमाशंकर (आजमगढ़)
१३—श्रीमती सईद जहां बेगम (एटा)
१४—श्री कालिका सिंह (आजमगढ़)

सूचना स्थायी समिति—इसमें ये १४ सदस्य निर्वाचित हुए—

१—श्री बसन्तलाल (जालौन)
२—श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव
३—श्री परमेश्वरी दयाल
४—श्री हरखयाल सिंह
५—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)
६—श्री राजवंशी राय
७—श्री नरोत्तम सिंह
८—श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय
९—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह
१०—श्री इसरारुल हक
११—श्रीमती ब्रजरानी मिश्र
१२—श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
१३—श्री रामस्वरूप मिश्र 'विशारद'
१४—श्री ताराचन्द महेश्वरी

पुलिस स्थायी समिति—इसमें ये १४ सदस्य निर्वाचित हुए:—

१—श्री रणंजय सिंह
२—श्री मुहम्मद फारूक चिश्ती
३—श्रीमती प्रकाशवती सूद
४—श्री सीताराम शुक्ल
५—श्री सुरेश प्रकाश सिंह
६—श्री रामनरेश शुक्ल
७—श्री संग्राम सिंह
८—श्री कालीचरण टंडन
९—श्री रामप्रसाद
१०—श्री बसन्त लाल शर्मा (बहराइच)
११—श्री कृष्ण स्वरूप भटनागर
१२—श्री रामलखन (बनारस)
१३—श्री रामजी सहाय
१४—श्री रामसुन्दर पांडेय

उद्योग स्थायी समिति—इसमें ये १४ सदस्य निर्वाचित हुए—

१—श्री सत्य नारायण दत्त
२—श्री छेदालाल चौधरी (खीरी)
३—श्री राजाराम किसान
४—श्री राम अवध सिंह
५—श्री खुशी राम
६—श्री मुहम्मद अब्दुल समद
७—श्री एजाज रसूल
८—श्री गजेन्द्र सिंह
९—श्री द्वारका प्रसाद मित्तल
१०—श्री रतन लाल जैन
११—श्री हर सहाय गुप्त
१२—श्री तेजा सिंह
१३—श्री मुरलीधर कुरील
१४—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र

सहकारी स्थायी समिति--इसमें ये १४ सदस्य निर्वाचित हुए--

१--श्री अक्षयवर सिंह
२--श्री बैजनाथ सिंह (बलिया)
३--श्री शुकदेव प्रसाद
४--श्री रामसुभग वर्मा
५--श्री रामराज शुक्ल
६--श्री देवकी नन्दन विभव
७--श्री तेजबहादुर (आजमगढ़)
८--श्री गंगाधर शर्मा
९--श्री जगपति सिंह
१०--श्री प्रभुदयाल
११--श्री शिवराम पांडेय (कानपुर)
१२--श्री मिजाजी लाल
१३--श्री कृष्ण शरण आर्य
१४--श्री रामदास आर्य (मुजफ्फरनगर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई) स्थायी समिति--इसमें ये १४ सदस्य निर्वाचित हुए --

१--श्री अवधेश चन्द्र सिंह
२--श्री रघुनाथ प्रसाद
३--श्री रमेश वर्मा
४--श्री शिव वचन राव (देवरिया)
५--श्री रघुवीर सिंह
६--श्री भीमसेन
७--श्री राजनारायण सिंह (मिर्जापुर)
८--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल
९--श्री नागेश्वर द्विवेदी
१०--श्री सियाराम चौधरी
११--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय
१२--श्री भोला सिंह यादव
१३--श्री ओंकार सिंह
१४--श्री मुश्ताक अली खां

कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति--इसमें ये १४ सदस्य निर्वाचित हुए--

१--श्री शिव स्वरूप सिंह
२--श्री सूर्य बली पांडेय
३--श्री लुत्फ अली खां
४--श्री निवास (अलीगढ़)
५--श्री पहलवान सिंह चौधरी
६--श्री राजकिशोर राव
७--श्री शंकरलाल
८--श्री भगवती प्रसाद दुबे
९--श्री अवध शरण वर्मा
१०--श्री लालबहादुर सिंह (जौनपुर)
११--श्री शिवराज सिंह यादव
१२--श्री रामहेत सिंह
१३--श्री बलदेव सिंह (बनारस)
१४--श्री शिवराम राय (आजमगढ़)

कुछ स्थायी समितियाँ और रह गईं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत) स्थायी समिति--इसमें १४ स्थान थे जिसमें से १३ स्थान पूर्ण हुए। ये १३ सदस्य निर्वाचित हुए--

१--श्री पुत्तूलाल
२--श्री मुहम्मद अब्दुल लतीफ
३--श्री रामनारायण त्रिपाठी
४--श्री कल्याण राय
५--श्री हरदयाल सिंह पिपल
६--श्री करन सिंह
७--श्री बैजू राम
८--श्री प्रतिपाल सिंह
९--श्री नत्थू सिंह
१०--श्री बलवीर सिंह
११--श्री रामकृष्ण जायसवाल
१२--श्री देवराम
१३--श्री बेनी सिंह

वन स्थायी समिति--इसमें भी यह १३ सदस्य निर्वाचित हुए हैं, एक स्थान रिक्त है--

१--श्री महमूद अली खां (रामपुर)
२--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
३--श्री महावीर सिंह (देवरिया)
४--श्री चन्द्र हास
५--श्री दीनदयालु शास्त्री
६--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह
७--श्री सत्य सिंह राणा
८--श्री रामहरख यादव
९--श्री रघुराज सिंह
१०--श्री गनेश प्रसाद पांडेय (गोरखपुर)
११--श्री राम भजन शर्मा
१२--श्री राम सनेही भारतीय
१३--श्री अंशुमान सिंह

स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी संस्थायें स्थायी समिति—इसमें भी ये १३ सदस्य निर्वाचित हुए, एक स्थान रिक्त है—

१—श्री मलखान सिंह
२—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित
३—श्री गौरी राम
४—श्री राधामोहन सिंह
५—श्री बाबूराम गुप्त
६—श्री रामगुलाम सिंह
७—श्री श्याम मनोहर मिश्र
८—श्री कुंवर कृष्ण वर्मा
९—श्री शिवराज बली सिंह
१०—श्री नारायण दत्त तिवारी
११—श्री रामस्वरूप (मिर्जापुर)
१२—श्री हरिशचन्द्र अष्ठाना
१३—श्री फ़ज़लुल हक

यातायात स्थायी समित—इसमें १४ स्थान हैं ये १३ माननीय सदस्य निर्वाचित हुए —

१—श्रीमती चन्द्रवती
२—श्री जटा शंकर शुक्ल
३—श्री शिववक्ष सिंह राठौर
४—श्री हरि प्रसाद (पीलीभीत)
५—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट
६—श्री जगन्नाथ सिंह
७—श्री वशिष्ठ नारायण शर्मा
८—श्री पुलिन विहारी बनर्जी
९—श्री जगदीश सरन रस्तोगी
१०—श्री देवदत्त शर्मा
११—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी
१२—श्री रमेश चन्द्र शर्मा
१३—श्री विशम्भर सिंह (मेरठ)

विकाश व नियोजन स्थायी समिति—इसमें भी १३ सदस्य निर्वाचित हुए हैं:—

१—श्री चिरंजी लाल पालीवाल
२—श्री फतेह सिंह राणा
३—श्री गुरु प्रसाद सिंह
४—श्री दीप नारायण वर्मा
५—श्री नेकराम शर्मा
६—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि
७—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी
८—श्री व्रजभूषण मिश्र
९—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी
१०—श्री खयाली राम शास्त्री
११—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी
१२—श्री शिवनाथ काटजू
१३—श्री मदनमोहन उपाध्याय

शरणार्थी स्थायी समित—इसमें केवल एक ही सदस्य की नामजदगी हुई। वह निर्वाचित हुए—श्री झारखंडे राय। अबतक १३ स्थान इसमें रिक्त हैं।

तो इन समितियों का निवर्चन हुआ। जो स्थान रिक्त हैं उनके चुनने का कार्यक्रम बतला ही दिया गया है। उसी के अनुसार होगा।

विरोधी दल द्वारा सदन-त्याग

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं बहुत ही सखेद आप से यह निवेदन करके इस सदन का दो मिनट के लिए त्याग करूंगा कि इतना जबरदस्त अन्याय शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से बरता जा रहा है, आपने मुझको मौका नहीं दिया और माननीय मंत्री जी को भी हम नहीं सुन पाये कि उन्होंने स्टैट्यूट पढ़ने की बात क्योंकी और क्यों हमारी बात को असत्य कहा। इसके लिये आप हमें क्षमा करेंगे।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष— अब उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१ (२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह के प्रार्थना-पत्र पर विचार होगा ।

वह इस प्रकार है:-

"प्रिय महोदय,

मैंने आपकी सेवा में यह तार भेजा था, "सख्त बीमार हूं, विधान सभा की बैठकों में मैं उपस्थित नहीं हो सकता, प्रार्थना-पत्र भेजा जा रहा हूं ।" जिसको मैं पुष्ट करता हूं । मुझे खेद है कि मैं लगभग गत दो मास से बीमार हूं और डाक्टरों ने मुझे पूर्ण विश्राम करने का परामर्श दिया है । इसलिए मैं विधान सभा अधिवेशन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सका । मैं अब भी कमजोर हूं और अप्रैल, १९५५ के अन्त तक अधिवेशन की आगामी बैठकों में उपस्थित न हो सकूंगा । यदि आप अप्रैल, १९५५ के अन्त तक मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें तो मैं आभारी हूंगा ।"

तो माननीय सदस्य अनुमति देते हैं, स्वीकार करते हैं ?

कोई विरोध नहीं है, तो मैं इसको समझता हूं कि सदन स्वीकार करता है ।

रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३१ मार्च, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ अप्रैल, १९५४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १९ जून १९५४, को प्राप्त हो गयी और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का १४वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५५ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ फरवरी, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ फरवरी, १९५५ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १ मार्च, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २१ अक्तूबर, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने कतिपय संशोधन सहित अपनी २२ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में पारित किया था, जिनको उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १७ फरवरी, १९५५ की बैठक

में स्वीकार करके विधेयक को स्वीकृत संशोधनों सहित पुनः पारित किया, श्री राज्यपाल की अनुमति ४ मार्च, १९५५, को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का ५वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५३ में कृत संशोधन*

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०२९ / १ (अ), दिनांक २६, फरवरी, १९५५, जिससे उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५३ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न को तथा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन विषयक संकल्प को समाप्त करने के लिये संकल्प

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, उन परिस्थितियों को जिनके कारण श्री नारायणदत्त तिवारी विशेषाधिकार का प्रस्ताव सदन में लाये तथा विशेषाधिकार समिति से संबंधित श्री बी० एन० टंडन, भूतपूर्व एस० डी० एम०, काशीपुर, के २८ मई, १९५४ के पत्र के आशय को ध्यान में रखते हुये यह सदन संकल्प करता है कि अब विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर जो संकल्प सदन में वाद-विवाद के लिये उपस्थित है, उस संकल्प पर विवाद तथा विशेषाधिकार के प्रश्न को समाप्त किया जाय ।

मेम्बरान को याद होगा कि हमारे दोस्त नारायणदत्त जी तिवारी द्वारा लाये हुये मोशन के ऊपर एक रोज इस हाउस में बहुत देर तक बहस हुई और जो रिपोर्ट प्रिविलेज कमेटी ने की थी, उस पर यहां दिन भर बहस हुई थी ....

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—प्वाइंट आफ आर्डर सर, श्रीमन्, पिछले सेशन के वक्त माननीय नारायणदत्त जी से सम्बन्धित प्रश्न पर जो रिपोर्ट प्रिविलेज कमेटी ने दी थी, वह अपनी नियमावली के नियम ५७ के अनुसार सदन में विचाराधीन थी और सदस्यों के उस पर भाषण हुये थे, केवल उस पर निर्णय नहीं हुआ था। इसके बाद सदन प्रोरोग हो गया तो इस प्रोरोगेशन के बाद मेरा ख्याल है कि अपनी जो नियमावली है उसके अनुसार और भारतीय संविधान के आर्टिकिल १९६ (३) के अनुसार और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के प्रावीजन्स के मुताबिक भी इस सदन में वह बिजनेस अब पेंडिंग नहीं रहा बल्कि क्वैश समझा जायगा। इसलिये इस सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव के आने की जरूरत नहीं रही। श्रीमन्, अगर आप आज्ञा दें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—आपने वैधानिक प्रश्न उठाया है तो पढ़ दें।

श्री अब्दुल मुईज खां—श्रीमन्, ५७ जो इस सदन की नियमावली में है, वह इस प्रकार है:—

"57. After any of the following motions is agreed to by the House :--

(1) Motion under rule 48 that the matter be taken into consideration ; or

(2) Motion under rule 53 that the report of the Privileges Committee be taken into consideration ; or.

(3) Motion under rule 54 that the report of the Secretary be taken into consideration ; or

* कार्यवाही में छापे नहीं गये ।

[श्री अब्दुलमुईज खाँ]

(4) Motion under rule 55 that the petition be taken into consideration; or

(5) Motion under rule 56 that the question of the breach of privilege, as contained in the report of the Committee, be taken into consideration ; or

any member may move a substantive motion indicating the commission of a breach of privilege and also suggesting the action to be taken by the House, and any other member may, move an amendment to the said motion. After a brief discussion of the motion, and the amendments, if any, the speaker shall put the question.

इस सदन में जो कार्यवाही हो रही थी इसी सिलसिले में और इसी के बाद सदन प्रोरोग हो गया। अब श्रीमन्, नियम १७१ देखें जिसमें है कि:—

"When the Assembly is prorogued all pending notieces shall lapse but all bills which have been introduced shall be carried over to the list of pending business of the next session."

अपने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १९६ (३) के अनुसार ये नियम है। उसकी शब्दावली इस तरह से है:—

"A bill pending in the legislature of a state shall not lapse by reason of prorogation of the House or Houses thereof."

इसमें सिर्फ यह प्रावीजन किया गया है कि केवल बिल लैप्स नहीं होगा। इससे यह इंफरेंस निकलता है कि बकिया सब चीजें लैप्स हो जायंगी। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज २६४–२६५ पर स्पष्ट रूप से यह दिया हुआ है कि:—

"The effect of a prorogation is at once to suspend all business until Parliament shall be summoned again. Not only are the sittings of Parliament at an end, but all proceedings pending at the time are quashed, except impeachments by the Commons and appeals before the House of Lords. Every bill must therefore be renewed after a prorogation, as if it were introduced for the first time."

इसी चीज से बचने के लिये अपने संविधान में बिलों के बारे में प्राविजन रखा गया है। बिलों के बारे में प्राविजन हैं कि वह लैप्स नहीं होंगे बक़िया और सब चीजें जो सदन के सामने रही होंगी वह सब लैप्स हो जायंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह संकल्प उस के बारे में यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह क्वेश्चन स्वयं ही समाप्त हो चुका है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्री मुईज साहब ने जो वैधानिक प्रश्न यहां पर उठाया है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं उनके आशय से इस मायने में सहमत हूं कि नियमों के अनुसार कोई भी नोटिस जो विचाराधीन हो वह प्रोरोगेशन के बाद लैप्स हो जाना चाहिये। लेकिन यह विशेषाधिकार का प्रश्न ऐसा होता है जिसको साधारण मायने में नहीं लिया जा सकता है, और मुईज साहब ने अपने वैधानिक प्रश्न को उठाते हुये यह स्पष्ट नहीं किया कि इसके लैप्स होने के बाद अब क्या स्थिति विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में रह जाती है? मैं आप का ध्यान उस दिन के विवाद की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिस समय यह प्रश्न समाप्त किया था तब आप ने कहा था कि यह सही है कि प्रोरोगेशन हो जायगा लेकिन प्रोरोगेशन होने के बाद इस पर नये सदन में विचार किया जा सकता है। नये नियमों के अन्तर्गत भी जो इसमें दिये गये हैं इसके ऊपर विचार किया जा सकता है।

अब यहां पर दो बातें थीं। एक तो नियमावली २२४ के अनुसार जो संकल्प या प्रश्न के बारे में अध्यक्ष ने जो निश्चय किया हो उस में आपत्ति नहीं की जा सकती है। हो एक तो निश्चय उस के विषय में कर दिया गया है कि प्रोरोगेशन के होने के बाद भी

अगले सदन में उस पर विचार किया जा सकता है। तो एक तो यह निश्चय आपका इस पर हो चुका है, लेकिन दूसरी बात यह है कि वैधानिक प्रश्न जो माननीय अब्दुल मुईज़ खां साहब ने यहां पर उठाया है वह विचारणीय प्रश्न है और उसके विषय में मैं यह नहीं कह सकता कि यह असंगत है; लेकिन आप की रूलिंग इस सम्बन्ध में हो चुकी है इस दृष्टिकोण से भी इसको देखना है। इस कारण इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर आप अपना निर्णय देने की कृपा करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—श्रीमन्, इस विधान सभा में आपके कार्यकाल में, इस संबंध में एक वैधानिक प्रश्न उठा था और उस प्रश्न के बारे में आपने कृपा पूर्वक यह फैसला दिया था कि जब तक वह प्रश्न विधान सभा के कार्यालय में रहता है और दूसरे संबंधित विभागों को नहीं भेजा जाता है तब तक तो वह नोटिस समझा जायगा। अगर वह सरकारी कार्यवाही के लिये सम्बन्धित विभागों को भेज दिया गया है तो फिर वह नोटिस नहीं समझा जायगा और इस तरह के नोटिस लैप्स हो जायंगे। लेकिन यह प्रश्न निश्चित नहीं रहा है, इस प्रश्न पर कई बार प्रिविलेज कमेटी में विचार हुआ है और फिर उसके बाद एक डेफिनिट प्रस्ताव यहां पर पेश हुआ। उसके बाद फिर यह मुल्तवी हुआ और फिर वह यहां पर विवाद के लिये आया। तो आपको यह अधिकार है कि इसका जिस तरह से चाहें इन्टरप्रिटेशन कर सकते हैं। नियम के अनुसार आपको अधिकार है और उस अधिकार के अनुसार आप इस पर अपना निर्णय जो उचित समझें कर सकते हैं।

ऐसी दशा में मेरा यह निश्चित मत है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर वाद-विवाद नियमानुकूल है। तो अब यह नोटिस भी नहीं रह गया इसलिये मैं अब इस मत का हूं कि इस पर विचार किया जा सकता है और वित्त मंत्री जी जो प्रस्ताव रख रहे हैं वह नियमानुकूल है।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो नोटिस शब्द के ऊपर कुछ विवेचना की है। उसके सम्बन्ध में नियम १७१ में लिखा हुआ है—

"When the Assembly is prorogued all pending notices shall lapse"

और उसके पहले नोटिस के बारे में कहा है। नियम १६९ इस प्रकार है—

"Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary....."

इसके लिये नोटिस हुआ, डिस्किशन हुआ। उसके बाद नियम १७२ और १७३ में यह बताया गया है कि कौन सा मोशन ऐसा है जो विदाउट नोटिस लिया जा सकता है। उनमें यह नहीं आता; इसमें कई बातें बतायी गई हैं लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं कि यह बगैर नोटिस के लिया जा सके। जब यह मालूम हो गया कि नोटिस दे कर यह प्रश्न आया था, जब प्रोरोगेशन हो गया तो नोटिस लैप्स हो गया और यह प्रश्न समाप्त हो गया। अब यह इस सदन में नहीं लाया जा सकता। यह तो इसकी वैधानिक स्थिति है, इसके लिये या तो फिर से नोटिस हो और फिर से प्रश्न उठाया जाय वरना जो पुराना नोटिस था वह खत्म हो गया।

अब जहां तक रूलिंग की बात कही गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि रूलिंग्स जो होती हैं वह रूल्स का लाभ प्रदान करने के लिये होती हैं न कि उनको एग्रेवेट या मिटीगेट करने के लिये, और जब इसके बारे में स्पेसिफिक नियम मौजूद हैं कि प्रोरोगेशन हो जाने के बाद जिन प्रस्तावों को नोटिस की आवश्यकता थी उनका नोटिस लैप्स हो जायगा इसलिये वह प्रश्न भी नहीं उठता है।

(श्री अब्दुल मुईज़ खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--(श्री अब्दुल मुईज खां से) अब मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाबवाला, एक बहुत ही छोटी सी बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। जो सवाल यहां उठाया गया है वह देखने में छोटा है लेकिन वैसे बड़ा है। बिल्स, रिजोल्यूशन्स या जो भी चीजें यहां होती हैं, अगर यह हाउस प्रोरोग हो जाय तो उनके लैप्स हो जाने के मुताल्लिक जो कायदे यहां बने हुये हैं उनकी पाबन्दी करना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे नजदीक एक चीज कभी भी लैप्स नहीं होती है और वह है कि जो यह हाउस फैसला करे। जो फैसला यह हाउस कर लेगा, वह उन तमाम कायदों, जिनका हवाला यहां दिया जा रहा है, पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के जो हवाले यहां पढ़े जा रहे हैं, उससे बालातर होगा, मैं बहस में न जा कर सिर्फ इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस हाउस का फैसला हुआ और मैंने रजामंदी दी, तब इस हाउस ने उस पर यह फैसला दिया कि हां, इस मामले को फिर लिया जायगा और यह कि मामला ऐवान के उन कायदों से मुस्तसना होगा जो मामूली तौर से लागू होते हैं। अब इसका यही मतलब हुआ कि यह मामला फिर लिया जायगा और सब कायदे कानून इसके लिये बार कर दिये जायेंगे। अब मैं नहीं समझता कि हाउस का यह हक़ किसी तरह से भी ख़त्म हो जाता है। हाउस यह हक़ रखता है कि जो भी कायदे इसके वास्ते बने हुये हैं उसके खिलाफ जो भी चाहे तय करे। चूंकि इस हाउस ने यह तय किया था इसलिये इसको लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--इस विषय में कई प्रश्न उठाये गये। एक तो पिछली बैठक का फैसला यह भी सामने है और वैधानिक प्रश्न यह दूसरा है। तो मैं समझता हूं कि वह फैसला देख लेना मुझे आवश्यक है, क्योंकि पिछले सदन में क्या क्या बातें हुईं, मैं याददाश्त से तत्काल नहीं कह सकता हूं। मैं इसके बारे में कल निर्णय दूंगा और कल ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं विस्तारपूर्वक इसके बारे में अपना निर्णय देना चाहता हूं। जहां तक मुझे अभी याद पड़ता है यह मैंने अवश्य कहा था कि प्रोरोगेशन होने का असर इस पर न पड़ेगा। उसके बाद मैंने अभी फाइल देखी तो उसमें संकेत है कि सत्रावसान के पहले हमने इस सम्बन्ध में फैसला दिया है। ऐसा मुझे ख्याल पड़ता है कि कुछ फैसला मेरा एक दफ़ा हो चुका है। शायद मैंने अपनी किसी फाइल में निर्णय लिख दिया हो, तो सब चीजें मुझे देखने की आवश्यकता है और तब उठाए हुये वैधानिक प्रश्न के ऊपर मैं अपना एक विस्तारपूर्वक फैसला दूंगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब वाला, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मैं तो अब कल किसी तरह से लखनऊ में नहीं ठहर सकूंगा। तो इसलिये मैं जनाब से यह दरख्वास्त करता हूं कि जब फिर ऐवान बैठे उस वक्त आप अपना निर्णय दें। उस वक्त जो कुछ भी आप करेंगे उसके मुताबिक काम होगा। और कल इसके मूव करने से मैं इसकी ताईद भी नहीं कर सकूंगा। आप कल निर्णय न दें और मैं समझता हूं कि जहां मैं कल जा रहा हूं वहां जाना मुल्तवी करना नामुमकिन है, नहीं तो मैं नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति की बात तो है नहीं। कोई जल्दी की भी जरूरत नहीं है। तो मैं अपना फैसला कल न दे कर जिस वक्त सदन फिर जुलाई या अगस्त में, जब भी बैठेगा उसी वक्त अपना निर्णय दूंगा और तब यह प्रस्ताव सामने आवेगा। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि उस वक्त कोई ऐसा प्रश्न आ पड़े कि प्रोरोगेशन के बीच में आ जाने से यह प्रस्ताव नहीं आ सकता है लेकिन फिर भी आप को प्रस्ताव पेश करना होगा और उसके लिये आपको तैयार रहना होगा।

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग का काम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। यह काम इस सदन की आज्ञा से हमने शुरू किया है। दो जिलों की दो तहसीलों में यह काम काफी हद तक हो गया है। १४ और जिलों में गत १६ मार्च से यह काम प्रारम्भ किया गया है। तजुर्बे से यह मालूम हुआ कि इस अधिनियम में कुछ छोटी-मोटी कमियां रह गयी हैं। कुछ ऐसे प्रॉविजंस हैं जिनका दुरुपयोग हो सकता है, और कुछ जो ये कमियां हैं उनको दूर किया जाय इसी कारण यह संशोधन सदन के सामने मैं उपस्थित कर रहा हूं। इसमें जो खास-खास बातें हैं उनको मैं थोड़ा सा माननीय सदन के सामने रख दूं इसलिये कि जो संशोधन मैं ला रहा हूं, माननीय सदस्य उनको देख लें, उन पर गौर करें और जिससे उनका समय इसमें कम लगे इसलिये मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बातें आपकी आज्ञा से अर्ज कर दूं। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि इसमें बिलकुल साधारण सी चीजें हैं और तजुर्बे से जो दिक्कतें और कमियां महसूस हुईं उनको दूर करने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है। एक तो परिभाषा में परिवर्तन किया गया है, और सब से पहला जो परिवर्तन किया गया है वह है जोत में, धारा ३ के खंड २ का जो स्पष्टीकरण था उस में थोड़ा इजाफ़ा किया गया है। उसमें दो बातें बदली गई हैं। एक तो यह कि अब जो स्पष्टीकरण है उसमें यह है कि जिस वक्त कहीं चकबन्दी होगी और जब नोटिफिकेशन (विज्ञप्ति) हो जायगा तो जोत में उस दिन तक जो बाग होगा वह बाग चकबन्दी में शामिल नहीं किया जायगा। लेकिन तजुर्बे से मालूम हुआ कि इस का दुरुपयोग होने की गुजायश है, क्योंकि लोगों को विज्ञापन के होने से पहले से ही अक्सर मालूम हो जाता है कि चकबन्दी होने वाली है, तो लोगों को किसी तरकीब से जब मालूम हो जावेगा कि नोटिफिकेशन होने वाली है उसी दरम्यान में बाग लिखा सकते हैं। इसलिये अब यह बढ़ाया जा रहा है कि बाग, उस दिन से नहीं बल्कि नोटिफिकेशन से एक वर्ष पहले से बाग हो, तब वह होल्डिंग में शामिल न होगा, एक परिवर्तन तो यह है।

दूसरा परिवर्तन यह है कि ऐसी जमीन जो बाढ़ से डूब जाती है, बह जाती है या कटान के कारण कट जाती है, ऐसी जमीन भी कंसालिडेशन के लिये जोत में शामिल नहीं की जा सकती क्योंकि जिसके हिस्से में ऐसी जमीन पड़ेगी उसको काफी नुक्सान या काफी लाभ हो सकता है। इसलिये ऐसी जमीन भी निकाल दी गई है।

इसके अलावा धारा ३ के खंड (२-क) में भी थोड़ा सा इजाफा किया गया है और वह इस गर्ज से करना पड़ा कि हमारे यहां भूमि प्रबन्धक कमेटियों के जरिये से एक चकबन्दी कमेटी बनती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर पंचायत कानून लागू नहीं होता है जैसे नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया का क्षेत्र है, इसलिये वहां के मेम्बरान को चकबन्दी समिति बनाने का अधिकार है। लेकिन माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज के जो सदस्य होते हैं वह योग्य तो होते हैं लेकिन भूमि से या खेती से अधिकतर उनका सम्बन्ध नहीं होता, जैसा कि एक साधारण किसान का होता है, क्योंकि वह खेती से सम्बन्धित रहता है। इसलिये ऐसे स्थानों के लिये जरूरत पड़ी कि नामिनेशन, समिति के सदस्यों का कर दिया जाय। इसलिये धारा ४३ में प्राविजन किया गया है कि कलक्टर वहां के चेयरमैन या प्रेसीडेंट की राय ले कर ऐसे स्थानों पर चकबन्दी समिति का नामांकन कर दें। इस सम्बन्ध में पहले केवल यह शब्द थे कि "उसके अन्तर्गत धारा ४३ की उपधारा के अधीन स्थापित उप-समिति भी है"। लेकिन अब उन शब्दों को हटा कर यह जोड़ा जा रहा है कि 'और इस के अन्तर्गत धारा ४३ की उप-

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक २८ मार्च, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

धारा (१) के अधीन संगठित उप-समिति तथा उक्त धारा की उप-धारा (१-क) के अधीन नामांकित समिति भी है।" यह इतना परिभाषा में इजाफ़ा हो जायगा।

तीसरी चीज जो इसमें और जोड़ी गई है वह जो आफिसर्स थे जिनकी नियुक्ति धारा ४२ में होती है उसमें चकबन्दीकर्ता की परिभाषा नहीं रही। वह काम तो करता था लेकिन इस अधिनियम में उसकी परिभाषा नहीं थी। तो ऐसी गुंजायश थी कि ऐसी कार्यवाहियां जो वह करेगा उन पर कुछ आपत्ति उठाई जा सकती है। इसलिये उसको दूर करने के लिये जो चकबन्दीकर्ता है उसकी परिभाषा और जोड़ दी गई और जहां-जहां चकबन्दी कर्ता का काम आया है इस अधिनियम में वहां यह चकबन्दी कर्ता जोड़ दिया गया है।

एक और इजाफा इस में हुआ है कि जहां चकबन्दी की जाती है तो साधारण रूप से जो खातेदार होते हैं उनकी जमीन होती है, लेकिन कहीं-कहीं गांव समाज की जमीन जो सार्वजनिक जमीन है वह भी आ जाती है; कहीं लोकल अथारिटीज जैसे टाउन एरियाज की जमीन भी आती है। उसके लिये इसमें स्पष्ट रूप से नहीं आया था तो इसको स्पष्ट रूप से रखा गया है। क्योंकि उनकी भी जमीन हो ही सकती है। कहीं आम रास्ता है, खलिहान की जगह है, श्मशान की जगह है और सार्वजनिक स्कूल्स वगैरः की वह भी चली जाय या ले ली जाय तो वह भी आ सकती है। तो स्पष्ट तरीके से वह नहीं आया था, हालांकि धारा १४ और १९ में ऐसी जमीन का जिक्र है कि वह सार्वजनिक इस्तेमाल की जमीन हो लेकिन स्पष्ट नहीं था, इसलिये उसका भी इजाफा कर दिया गया है। गांव समाज अथवा स्थानीय अधिकार की यानी लोकल अथारिटी यह इसमें बढ़ा दिया गया है।

१० (ख) जो खातों के एकत्रीकरण की बाबत बात है और धारा २८ में कब्जा भी दिलाने की बात है इसके अनुसार जो खातों का चक बन गया और उसके बनने पर और उसके ट्रांसफर होने पर जो फसल खड़ी हो वह भी उसको दे दी जायगी, जिसके चक में यह खेत पड़ गया है। ऐसा मौजूदा ऐक्ट में था और मुआविजा जो कुछ होगा वह निर्धारित कर दिया जायगा, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी यों पड़ सकती है कि कहीं कैश क्राप्स वगैरः जैसे गन्ने की फसल हो या तम्बाकू की फसल या और फसलें हैं उनके लिए क्या होगा जो साधारण छोटी-मोटी फसल हो तो किसान को नहीं अखरेगा, लेकिन कैश क्राप्स के चले जाने से उसको नुकसान हो सकता है क्योंकि जिसने बोया था, तैयार किया था उस फसल को उसको काफी नुकसान हो सकता है। तो अब तक तो कानून में यह था कि ऐसी फसल चली जायगी और सिर्फ मुआविजा उसका मिल जाया करेगा। अब उसमें इतना परिवर्तन कर दिया गया है कि कहीं अगर ऐसी जमीन है, ऐसे खेत हैं जो दूसरों के चक में चले जाते हैं और जिनमें फसल खड़ी हुई है तो उनका मुआविजा निर्धारित करने में ज्यादा झगड़ा पड़ सकता है। मान लीजिये गन्ने की फसल है, तो हो सकता है जिसकी फसल हो वह कहे कि फसल ५,०००रु० की है, ३,००० की है या १,००० की है और जिसके पास जमीन गई हो वह कहे कि नहीं, यह ३०० की या ५०० की है। तो इस तरह से कंसालिडेशन आफिसर को बहुत बड़ा डिस्क्रीशन हो जाता है। दूसरे यह भी हो सकता है कि जमीन का मालिक जानता है कि अब उसका खेत ट्रान्सफर होने वाला है तो वह इस डर से खेत की जुताई या बुवाई ही न करे कि मेरे पास तो रहेगा नहीं, दूसरे के पास खेत चला जायगा तो उसकी फसल को नुकसान होगा। इस तरह से जिसके पास खेत है उसको भी नुकसान होगा और जब वह ट्रान्सफर होकर जिसके पास जायगा उसको भी नुकसान होगा क्योंकि जो व्यक्ति खेत पाने वाला होगा उसके लिये वक्त निकल जायगा कि वह कोई जुताई या बुवाई कर सके। इस तरह से एक-एक फसल का नुकसान दोनों को होगा और राष्ट्रीय सम्पत्ति की भी हानि होगी। इसलिये इस संशोधन में यह कर दिया गया है कि ऐसे खेत अगर दूसरे चक में चले जायं जिनमें फसल खड़ी हो तो जिसकी जमीन है उसको चकबन्दी का अधिकारी यह देख ले कि ज्यादा नुकसान होने वाला है तो उसको अधिकार रहेगा कि जिसकी फसल है उसको ही वह दिला दे। उसको उसकी रखवाली करने का, जोतने, बोने और काटने

का अधिकार रहेगा, और जिस साल इस तरह की तबदीली हो उसके लिये थोड़ा सा मुआविजा भी रख दिया है कि जिसके पास वह जमीन जायगी उसको वह दे क्योंकि शायद लगान देना पड़े जिसके चक में वह खेत जायगा । साथ ही यह भी रक्खा गया है कि अगर फसल मामूली हो तो वह फसल खेत के साथ-साथ भी चली जा सकती है जिसके चक में वह जमीन पड़ जायगी। ऐसी हालत में मुआविजा फसल वाले को मिलेगा और जिसके चक में जमीन जायगी उससे दिलाया जायगा ।

एक और संशोधन इसमें है, वह है जोतों को इकट्ठा करने की बाबत । वर्तमान कानून में यह है कि जहां दस पांच लोग मिल कर वह दरख्वास्त दे दें कि हमारे खेत इकट्ठे एक चक में रख दिये जायं (एक परिवार के खेतों से इसकी मंशा थी), एक परिवार के लोगों को जहां तक हो सके एक जगह जमीन मिल जाय । ऐसे लोग रहते अलहदा हैं लेकिन एक खानदान के हैं तो एक ही जगह उनके खेत हो जायं इसके लिये प्राविजन था कि ऐसी दरख्वास्त अगर आये तो कंसालिडेशन आफिसर उसको मान ले । लेकिन इसका दुरुपयोग होने की आशंका थी और वह हुआ । वह इस तरह से कि जैसे गेवड़ या कछार की जमीन है जो अच्छे किस्म की जमीन है । एक परिवार के लोगों ने यह सोचा कि यह हमको मिल जाय, हमारे पास इतनी जमीन है कि अगर हम दरख्वास्त दे दें कि हमारी जमीन एक चक में कर दी जाय, तो वह जमीन हमको मिल जायगी उसमें अपने कंसालिडेशन आफिसर को कोई डिस्क्रिशन नहीं रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—समय हो गया, आप अपना भाषण बाद में जारी रखें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं दो ही मिनट में अर्ज कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है । दो मिनट बाद हम उठ जायेंगे ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसमें अब यह परिवर्तन किया गया है कि अब इस तरह की चीज न हो सकेगी, बल्कि डिस्क्रिशन होगा चकबन्दी अफसर को । इस तरह की अगर बात हो तो वह न माने । अगर उनका मंशा दूसरा है, इकट्ठा होल्डिंग बनाना नहीं है बल्कि अच्छी जमीन पाने की मंशा है तो वह इसमें लिख दिया गया है कि जैसा वह प्रेक्टिकेबिल समझे, करे । यह डिस्क्रिशन अधिकारी को दे दिया गया है । इस तरह जो मोटे-मोटे संशोधन थे, मैंने आपके सामने रखे । जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि यह अधिनियम बहुत महत्व-पूर्ण है, लेकिन जो संशोधन रखे गये वह इस दृष्टि से रखे गये हैं कि किसानों को कोई नुकसान न होने पाये । हम बड़ी सजगता से कार्य कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हजारों आदमी इसमें काम करते हैं। १४ जिले इसमें नये लिये गये हैं उनमें ५,००० से ज्यादा कर्मचारी रखे गये हैं और इसकी बड़ी मांग है हर जिले और हर तहसील से कि हमारे यहां काम शुरू किया जाय । पांच जिले और शायद इस अगस्त से ही ले लिये जायं । तो यह काम तेजी से चल रहा है और यह हमारी कोशिश है कि किसी भी प्रकार अधिकारों का दुरुपयोग न होने पाये, कोई भी बात जो तजुर्बे से हमें मालूम हो उसका दुरुपयोग न होने पाये और इसलिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है । मुझे आशा है कि यह सदन इसको पास करेगा ।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप बाद में भाषण करेंगे ।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५ हमारे सामने प्रस्तुत है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है । इसीलिये श्रीमन्, इसके छोटे स्वरूप को देखकर यह नहीं समझ जाना चाहिये कि यह विधेयक कोई छोटा है । इसका असर बड़ा व्यापक है और यह विधेयक प्रान्त की तमाम ग्रामीण जनता से सम्बन्धित है । जो लोग खेती करते हैं और जो खेती की उन्नति और विकास चाहते हैं उन सब की मनोवृत्ति से सम्बन्धित है । जब इतना महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हो तो उस पर

[श्री राजनारायण]

बहुत ही शान्ति के साथ और बहुत ही योजनाबद्ध हो कर विचार विनिमय होना चाहिये। केवल भावावेश में समर्थन या भावावेश में विरोध वस्तु स्थिति को सुलझा नहीं सकते। आज श्रीमन्, हमारे प्रान्त में खेती की समस्या बहुत ही विकट हो गई है, हमारे प्रान्त के कितने ही लोग खेती के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं। जहां करीब साढ़े ६ करोड़ आबादी हो, उसमें जहां करीब ४ करोड़ के जनता अपने जीवन निर्वाह के लिये खेती पर आश्रित हो वहां पर जब एक विधेयक सदन में प्रस्तुत हो तो उस पर अच्छे तरीके से काफी समय दे कर विचार-विनिमय होना आवश्यक है। इसीलिये और इसी दृष्टिकोण से मैं इस विधेयक को देखता हूं। इसी दृष्टिकोण से मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को देखें। श्रीमन्, जब-जब चकबन्दी विधेयक संशोधन के रूप में इस सदन में प्रस्तुत हुआ तब-तब हमने माननीय मंत्री जी से कुछ विनम्र निवेदन किया था मगर माननीय मंत्री जी हर अवसर पर उसको ठुकराते ही गये। सदन जानता है, श्रीमन्, आप जानते हैं कि यह तीसरा संशोधन विधेयक चकबन्दी के मूल ऐक्ट में होने जा रहा है। क्यों? जब कि सोच समझ करके अच्छी तरह से विचार-विनिमय करके संशोधन आये और तमाम समस्यायें जो प्रस्तुत की जायं उन पर शान्ति के साथ विचार-विनिमय हो, तब इतनी जल्दी संशोधन विधेयक आने की अवस्था नहीं पैदा हो सकती। इतनी जल्दी संशोधन विधेयक का आना यह साबित करता है कि सरकार ने इसके पूर्व चकबन्दी योजना कार्यान्वित करने के लिये जो विधेयक बनाया था उसमें बहुत दोष, खामियां रह गई थी, त्रुटियां रह गई थीं और मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमने जिन-जिन त्रुटियों की ओर संकेत किया था, हमने जिन-जिन आपत्तियों को सदन के सामने प्रस्तुत किया था, उन आपत्तियों को दो महीने, चार महीने के बाद ही सरकार महसूस करती है और सरकार की ओर से विधेयक प्रस्तुत होता है। ठीक है, इस बात के लिये हम सरकार को एक तरह से धन्यवाद दे सकते हैं कि हम तर्क वितर्क के अवसर पर जो अकाट्य तर्क रखते हैं उन पर बाद में सरकार गम्भीरता के साथ विचार करती है और संशोधन लाने की कोशिश करती है,. मगर यह आदत अच्छी नहीं है। उसी समय अगर सरकार विचार करे तो सदन का इतना समय खर्च न हो, प्रान्त का, स्टेट का इतना पैसा बर्बाद न हो, इस तरह से विधेयकों के ऊपर विचार करने के लिये। इसीलिये श्रीमन्, पुनः निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि विधेयक छोटा है मगर बड़ा फार रीचिंग ऐफेक्ट रखता है, बड़ा भारी इसका प्रभाव पड़ेगा, इसको वे सेलेक्ट कमेटी में ले जायं और जब मैं सेलेक्ट कमेटी में ले जाने का संशोधन प्रस्तुत करता हूं तो मैं यह निवेदन पहले कर देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से अब यह तर्क न आये कि हम देर करने के लिये इसको सेलेक्ट कमेटी ले जाने की बात करते हैं।

देर करने की मेरी मंशा कत्तई नहीं है। मेरा यह उद्देश्य कत्तई नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रान्त का विकास हो, प्रान्त का उत्थान हो, प्रान्त अग्रसर हो, खेती के क्षेत्र में उन्नतिशील हो। इसलिये श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इतनी जल्दी-जल्दी हमारी हंसाई न हो और जनता में एक आत्मविश्वास पैदा हो। आज सारे प्रान्त की शिक्षित जनता, सारे प्रान्त के कानूनी विशेषज्ञ इस बात से चिन्तित हैं कि सरकार खेती के क्षेत्र में क्या व्यवस्था करेगी, इसका क्या स्वरूप होगा, कोई ठीक तरीके से कह नहीं सकता। हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने चाहे वह जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में हो, चाहे चकबन्दी अधिनियम में हो, संशोधन ले करके सरकार प्रस्तुत हो जाती है। माननीय मंत्री जी ने कम से कम श्रीमन्, इस प्रस्तुत विधेयक में जो बातें हैं उनको इस सदन में रखा और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर और पहुंचता हूं कि इस पर और गम्भीरता पूर्वक विचार होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बातें माननीय मंत्री जी इस संशोधन विधेयक के द्वारा रखना चाहते हैं और जिन त्रुटियों, जिन दोषों को दूर करना चाहते हैं, वह त्रुटियां और वह दोष मैं अब भी कहता हूं कि इस संशोधित विधेयक के कानून का स्वरूप ग्रहण करने के पश्चात् भी रह जायंगे। यदि सरकार सही माने में चकबन्दी की योजना को कार्यान्वित करना चाहती है, तब तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार अब हठवादिता को छोड़े; और जैसा कि नेशनल हेरल्ड के सम्पादक ने माननीय चरणसिंह जी को सुझाव दिया था कि जब विरोधी पार्टी

बार-बार जमीन बटवारे का प्रश्न उपस्थित करती है, तो गम्भीरतापूर्वक उस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

श्रीमन्, नेशनल हेरल्ड के सम्पादक के अग्रलेख का उत्तर देते हुए माननीय चरणसिंह जी ने, जो कि हमारे माल मंत्री हैं, जो तर्क प्रस्तुत किये थे उनके तर्कों को पढ़ने के बाद भी और ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा आंकड़े प्रस्तुत कर के इस सदन में कह सकता हूं कि जमीन के बटवारे की समस्या है। श्रीमन्, मैं इसको इसलिये कहना चाहता हूं कि बिना जमीन का बटवारा किये, बिना सीलिंग तय किये, बिना यह तय किये हुए कि परिवार के लिये बड़ी से बड़ी जोत की सीमा जो हो वह क्या हो, बिना उस को क्रमबद्ध किये, सरकार चकबन्दी की योजना अगर कार्यान्वित करना चाहती है तो मैं निहायत अदब के साथ कह देना चाहता हूं कि यह योजना फिर आगे चल कर के टूटेगी और इतने दिनों में जो पैसे उस पर खर्च हो गये होंगे, जो परेशानियां, जो मुसीबतें, इसके बीच में पैदा हो गयी होंगी, वह सब व्यर्थ जायंगी, तो गुनाह बेलज्जत होगा। काम वह करना चाहिए जिसमें कुछ आनन्द हो, जिसमें कुछ रस हो और वह रस लाभान्वित करे सारे समाज को। मगर किसी भी माने में, जब मैं देखता हूं कि जिस तरीके से सरकार इस चकबन्दी की योजना को कार्यान्वित करने जा रही है, वह अच्छी योजना होते हुये भी ऐसे गलत हाथों में वह पड़ गयी कि उसका सदुपयोग सही माने में नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने संशोधन के पक्ष में बोलते हुये कहा था, जो श्रीमन्, स्पष्टीकरण का क्लाज है उसको आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिन जगहों में चकबन्दी की योजना कार्यान्वित हो रही है, उन जगहों में सरकार को दिक्कतें महसूस हुईं और उन दिक्कतों को दूर करने के लिये सरकार यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। वह दिक्कतें क्या हैं? पहली दिक्कत जो महसूस हो रही है वह है बाग के बारे में। अब सरकार को यह मालूम हो रहा है कि जहां चकबन्दी हो रही है वहां पर कुछ लोग या तो पुराने जो बाग हैं उनको खेत बना रहे हैं या नये खेत को बाग बना रहे हैं, क्योंकि कानून के अन्दर जो बाग होगा वह चकबन्दी में नहीं आयेगा। इसलिये सरकार यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। मैं आप से भी निवेदन करूंगा, इस सदन से भी निवेदन करूंगा कि इन तथ्यों को अच्छी तरह से सामने रखें। इस सदन में भी जितने सम्मानित सदस्य बैठे हुये हैं इनका भी इससे सम्बन्ध है, इनके भी कार्यक्रम इससे संबंधित हैं। कैसे इस संशोधन विधेयक के जरिये यह सरकार इस दिक्कत को दूर कर पायेगी? सरकार को पहले अपने मस्तिष्क को ठीक करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि वह सारे प्रान्त में चकबन्दी की योजना कार्यान्वित करना चाहती है या नहीं? अभी मंत्री जी ने कहा कि हम प्रान्त के १४ जिलों में चकबन्दी कर रहे हैं और बहुत से जिलों से मांग आई है कि वहां भी चकबन्दी की योजना कार्यान्वित की जाय। तो जब चकबन्दी १४ जिलों में हो रही है और प्रान्त के अन्य जिलों से चकबन्दी करने की मांग आ रही है, और सरकार प्रान्त को चकबन्दी कर के विकास के मार्ग पर ले जाना चाहती है तो फिर दफा ४ के मातहत यदि जहां विज्ञप्ति कर के सरकार चकबन्दी करना चाहेगी उसके ठीक पहले कृषि वर्ष में जो बाग था उसको इसमें सम्मिलित किया जायगा। आज समझ लीजिये कि जिन जिलों में चकबन्दी नहीं हो रही है अगर उस जिले के लोग समझते हैं कि चकबन्दी आज नहीं हो रही है, पारसाल आ जायगी, तो क्या आज वह उस खेत को बाग नहीं कर सकते हैं, या आज जो पहले बाग था उसको खेत नहीं कर सकते? कर सकते हैं और यह दिक्कत पड़ेगी, यह दिक्कत महसूस होगी। तो क्यों नहीं सरकार इस बात को ऐसे सोचती कि जब से यह चकबन्दी विधेयक फोर्स में आया उसके ठीक पहले जो बाग दर्ज था उस को इस विधेयक के अन्दर लाने की गुंजायश की जाय। क्योंकि अगर माननीय मंत्री जी की यह मंशा है कि बाग नये न बनें, पुराने बाग, बाग हों, तो सारे प्रान्त में जिस रफ्तार से चकबन्दी की योजना चल रही है, हो सकता है कि इसमें ४, ५ या ६ साल लग जायं! इसमें भी नये बाग हो सकते हैं, पुराने बाग बिगड़ सकते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—क्या आप चाहते हैं कि बाग न लगाये जायं, यह तो अच्छा नहीं होगा कि कहीं बाग न लगें।

श्री राजनारायण—मेरा तो कहना यह होगा कि सरकार की ओर से जो तर्क प्रस्तुत हुआ, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं उसके लिये तो मैं इसे सेलेक्ट कमेटी में ले जाना चाहता हूं। ठीक है, मैं उत्तर देता हूं आपका। माननीय मंत्री जी ने लिखा कि भूमि जो उस वर्ष के, जिसमें क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी की गयी हो, ठीक पहले के कृषि वर्ष में बाग थी, वह सम्मिलित नहीं होगी। यह बात है कि नहीं, सरकार इस संशोधन को क्यों लाना चाहती है? क्यों सरकार यह समझती है कि बाग अब बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं इस ऐक्ट के लागू होने के बाद? यह जो चकबन्दी की योजना शुरू हो रही है उसमें भी लोग बाग बना रहे हैं, तो जो नये बाग हों वह नये बाग न सम्मिलित किये जायं, बल्कि जो ठीक एक वर्ष पहले कृषि वर्ष में बाग था वही बाग हो। तो सरकार की क्या मंशा है? अगर सरकार यह साबित करे कि वह नये बाग नहीं बनने देना चाहती, तो इसका उत्तर दूसरा हो सकता है। अगर यह मंशा है कि पुराने बागों की हिफाजत हो और वह खेती में परिणत न होने पायें तो उसका उत्तर दूसरी तरह से हो सकता है। मगर जो दिक्कत है उसको मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। दिक्कत यह है कि बहुत से बाग दर्ज हैं पटवारी और लेखपाल के कागज में और वह खेत खेती के रूप में परिणत हैं। उस पर आज भी शिकमी काश्तकार जो पहले कहे जाते थे, आज अधिवासी आप कहेंगे, वह खेती कर रहे हैं। अगर आज जो सत्ताधारी लोग हैं, जो बाअसर हैं, जो सशक्त हैं, वह मिल कर के वहां के लोगों से उन किसानों की जबरदस्ती बेदखली कर रहे हैं, यह कह कर कि यह तो हमारा बाग है। वह, श्रीमन् बिल्कुल खेत है, और आज भी उस पर खेती करने वाला खेती कर रहा है, मगर चूंकि पटवारी के कागज में बाग लिखा हुआ है तो इसलिये उसकी शरण लेते हैं और यह कहते हैं कि इसका गलत तरीके से कब्जा हो गया है, इसको तो बाग होना चाहिये। इसकी क्या व्यवस्था करती है सरकार? इसके बारे में संशोधन के जरिये क्या उन लोगों को कुछ राहत मिल सकती है जो आज उन जगहों पर खेती कर रहे हैं? जो एक वर्ष पहले के बाग हैं वह चले जायेंगे और चकबन्दी में शामिल नहीं होंगे। जो खेती करने वाले हैं, जो टिलर आफ दि स्वायल हैं, उन किसानों को क्या मिलेगा? इसके बारे में सरकार की ओर से कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से सोचें और ठंढे दिल से सोचें और क्योंकि सरकार की ओर से यह विधेयक प्रस्तुत हो गया है, इसलिये जल्दी से जल्दी पास हो, यह नहीं होना चाहिये। यदि कोई विशेष दिक्कत या गड़बड़ी है तो इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिये सदन बैठ सकता है और हम रात में भी बैठने के लिये तैयार हैं क्योंकि यह विधेयक ग्रामीण जनता से संबंधित है। आज मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन किसानों को कष्ट हो रहा है, वह किसान उनको काले झंडे दिखाते हैं तो सरकार को रंज होता है और उसका दमन चक्र चलता है। इससे शान्ति में खतरा पैदा होता है, जेलें भरती हैं, उसमें खाने-पिलाने में खर्चा होता है और व्यवस्था भी करनी पड़ती है। यह सब गड़बड़ी और धांधली सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण होती है और यदि सरकार यह कहे कि सरकार का विधेयक शुद्ध है और उसमें कोई दोष नहीं है, तो यह बराबर दूसरे-तीसरे और चौथे महीने संशोधन विधेयक का आना ही साबित करता है कि पहले का विधेयक दोषपूर्ण था।

अब श्रीमन्, दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि भूमि जिसमें पानी की बाढ़ आती है या जिसमें कटाव होता है वह इसमें शामिल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? अगर कोई हमारा खेत है, जो पानी से डूब जाता है या जो बाढ़ से सिंचित हो जाता है, यह शब्द मैं इसलिये इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मंत्री जी को यह बहुत प्रिय है। यदि सरकार कोई योजना सामने रखती है तो अभी से क्यों नहीं सरकार ऐसी व्यवस्था करती है कि उसका कटाव न हो, वह जमीन कुछ ऊंची हो और यह जमीन पानी में न डूबे और किसान इसमें खेती कर पाये

और वह चकबन्दी में आ पाये, क्योंकि सरकार के सामने तो पूरा नक्शा होगा, उसी के आधार पर सरकार कोई क्रमबद्ध योजना प्रस्तुत कर सकती है। तो सरकार को यह कहना चाहिये कि ऐसे खेत जो बाढ़ आने से डूब जाते हैं या जिनमें कटाव होता है, यदि दुरुस्त हो जायेंगे, तो उनको भी चकबन्दी में ले लिया जायगा और यदि दुरुस्त नहीं होते हैं, तो सरकार को उधर कदम उठाना चाहिये और उन्हें ठीक करना चाहिये। यदि नहीं करती है और अभी भी कटाव वाले खेत और पानी से डूबने वाले खेत बराबर डूबते रहेंगे और उनमें कटाव होता रहेगा, तो इन खेतों की हिफाजत के लिये जो विधेयक पास हुआ था उसका क्या अर्थ निकला? कोई अर्थ तो निकलना चाहिये जब कि हम विधेयक पास करते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं और उसे कानून का स्वरूप देते हैं लेकिन फिर भी कोई अर्थ नहीं निकलता।

आज मैं समझता था कि मंत्री जी सदन के सामने कोई आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे कि किन-किन जिलों में कितने खेत हैं जो आज बाढ़ से पानी में डूब जाते हैं या कटाव होता रहता है। यदि कोई आंकड़े प्रस्तुत हुये होते और हमें समझा सकते कि इतनी जमीन चकबन्दी से मिल पायेगी और कितना असर पैदावार पर उसका पड़ेगा, तो हम उसको दूसरी तरह से देखते, इसको दूसरे एंगिल आफ विजन से देखते। लेकिन सरकार ने कोई आंकड़े पेश नहीं किये, केवल हमें अंधकार में रख कर सरकार चाहती है कि हम विधेयक को जल्दी में पास कर दें और यदि हम इसको जल्दी में पास कर देते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पायेंगे। इसलिये हम निवेदन करते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाना बहुत ही आवश्यक है और वहां इस पर विचार करके एक ऐसा पूर्ण विधेयक लाया जाय जिससे निकट भविष्य में संशोधन करने की आवश्यकता न हो जैसे कि सरकार पहले करती रही है। श्रीमन्, आज मुझे अफसोस है कि इसके पहले संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ था और उसमें जो विवाद इस सदन में हुआ था उसकी कापी हमारे पास नहीं है। वह प्रति अगर हमारे पास होती तो मैं उसकी लाइन पढ़ कर माननीय सदस्यों को सुनाता कि उस समय हमने टाउन एरिया के बारे में और म्युनिसिपैलिटी के बारे में क्या कहा था और इस सरकार ने क्या उत्तर दिया था। बड़ी परेशानी के साथ कभी-कभी जज्बात को जाहिर करना पड़ता है कि जब सरकार हमारी तर्कपूर्ण बातों को और न्यायसंगत बातों को सुन कर अमान्य कर देती है तो सिवाय इसके कि हम यह कहें कि सरकार हठवादिता का परिचय दे रही है और क्या शब्द मैं प्रयोग करूं। मैं तो चाहता हूं कि मुलायम शब्दों का प्रयोग करूं, कोमल शब्दों का प्रयोग करूं और अच्छे शब्दों का प्रयोग करूं किन्तु जब अपने भाव को व्यक्त करने की खोज में कोमल शब्द सही तरीके से उस भाव को प्रकट नहीं कर पाते, तब हमको कटु शब्द का प्रयोग करना पड़ता है जो कि हमारे मंत्री जी को अप्रिय लगते हैं। कभी-कभी कर्तव्य पालन में हमको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। उन शब्दों को जो आदमी बरदाश्त करता है, वही न्याय के पथ पर चल सकता है। हमेशा सिद्धांत-विहीन जो आदमी होता है, जो कम्प्रोमाइज करता रहता है, जिस आदमी का कोई सिद्धान्त नहीं होता है वह कहीं पर डट नहीं सकता। माननीय राम नरेश जी देखेंगे कि वह मुल्क दुनिया में उन्नति कर सकता है और उन मुल्कों ने तरक्की की है जिस मुल्क के नेताओं ने उस नीति को अपनाया है और जो सिद्धांत पर अटल रहे हैं। गांधी जी सिद्धांत पर अटल रहे इसी कारण गांधी काल में हमारे मुल्क ने प्रगति की। रूस लेनिन सिद्धांत पर अटल रहा, इसलिये लेनिन के जमाने में रूस ने उन्नति की.....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य बड़े ऊंचे सिद्धान्त की चर्चा कर रहे हैं जिनका इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजनारायण--चूंकि माननीय सदस्य बीच में टोक दिया करते हैं इसलिये मुझे उनमें जाना पड़ता है। इसलिये मैं राम नरेश जी से निवेदन करूंगा कि वह सिद्धांत पर डटना सीखें। और यदि वे सिद्धांत पर डटना नहीं सीखेंगे और कभी कामनवेल्थ की बात करेंगे

[श्री राजनारायण]

और कभी सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करेंगे और इन शब्दों के जाल में ही फिरा करेंगे, तो इससे कभी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अब इतने समय के बाद सरकार को उन लोगों का ख्याल आया जिन लोगों को सरकार ने निकाल दिया था। हमने उसके लिये पहले भी सरकार को सुझाव दिया था लेकिन अब इस संशोधन विधेयक के रूप में लाकर सरकार उस दोष को दूर करना चाहती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि यदि अब चकबन्दी कर्ता है तो यह क्या पहले नहीं था? पहले चकबन्दी का कार्य कौन करता था? क्या यह चकबन्दी कर्ता आज ही हमको सुनाई पड़ा है? माननीय सदस्य ख्याल करें कि इसके पहले भी इस सदन में जो भाषण हुये हैं जब कि ४ रुपया एकड़ चकबन्दी का टैक्स लेने की योजना सरकार ने बनायी थी, हमने उस का विरोध किया था। माननीय कमलापति जी हमारी बात को सुनने की कृपा करें तो अच्छा है। उन को भी मीटिंग में इन सब चीजों को पेश करना पड़ता है। ४ रुपये एकड़ सरकार किसानों से लेगी, वह किसान जिसकी कमर टूट चुकी है। इर्रीगेशन के बढ़े हुये रेट से जिसकी कमर टूट चुकी है, कपड़े के बढ़े हुये दाम से, चीनी के बढ़े हुये दाम से, लोहे के बढ़े हुये दाम से, जिनकी कमर टूट चुकी है। उनके लिये यह योजना बनायी गयी कि उनसे ४ रुपया प्रतिएकड़ के हिसाब से टैक्स लिया जाय। सरकार कभी भी इस प्रकार की योजना नहीं बनाया करती है कि जिससे उद्योगधंधों से उत्पन्न किया हुआ धन और ऐग्रीकल्चर से पैदा हुआ धन जो है, उसमें सन्तुलन हो। "The parity must be established between the agricultural produce and the industrial produce." क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई कानून बनाया है जिससे ऐग्रीकलचर से पैदा धन और, उद्योग-धंधों से पैदा किये हुए धन में कोई सन्तुलन होता है। ऐग्रीकलचर से पैदा धन ज्वार, गेहूं, चना, बाजरा, और उद्योगधंधों से पैदा हुआ धन कपड़ा है, सीमेंट है, चीनी है, लोहा है, कोयला है, इसमें कोई संतुलन नहीं है। चारों तरफ अराजकता फैली हुई है और श्री राम नरेश जी और माननीय कमलापति जी आनंदविभोर हो रहे हैं। यह शब्द उनको प्रिय हैं इसलिये हमने उनको याद कर लिया है और उस को हम यहां भी कह देते हैं और बाहर भी भी कहते हैं। लेकिन श्रीमन् हमारे लिये तो वही गरमी है, वही लू और वही ताप है। श्रीमन्, मैं यह कह देना चाहता हूं कि जब सरकार ने इस ४ रुपया एकड़ को रक्खा था तो उन्होंने कहा था कि एक कंसालीडेशन आफीसर रक्खा जायगा, उसको तनख्वाह देंगे, वह आफीसर असिस्टेंट कलेक्टर के ग्रेड का होगा। जब असिस्टेंट कलेक्टर के ग्रेड का रखना होगा तो उसके लिये रुपया कहां से आयेगा। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि ४ रुपया एकड़ हमारे गरीब किसान नहीं दे पायेंगे, वे वैसे ही करों के बोझ से दबे हुये हैं और यह किसानों के गले से बड़ी मुश्किल से उतर पायेगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं एक बात कह दूं कि यह ४ रुपया एकड़ नहीं है, यह तीन रुपया एकड़ है और शुरू में केवल १ या डेढ़ रुपया एकड़ लिया जाता है।

श्री राजनारायण—क्या कोई नियमावली बनायी गयी है, ऐक्ट में तो यही है कि ४ रुपया फी एकड़ लिया जायगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—३ रुपया से ज्यादा नहीं पड़ेगा। अनुमान ऐसा है कि ३ रुपया से ज्यादा नहीं होगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक मिनट के अन्दर दो बातें हो गयीं मैं फिर कहूंगा कि ऐक्ट में जो प्राविजन है वह यही है कि ४ रुपया फी एकड़ लिया जायगा यानी ४ रुपया तक की गुंजायश तो है ही। लेकिन नियमावली में सरकार ने यह रख दिया है कि पहले एक, डेढ़ या दो रुपया फी एकड़ लिया जायगा, लेकिन उनको टोटल सम देना

होगा। देश में जहां-जहां भी चकबन्दी हुई है कहीं भी इतना हैवीटेक्जेशन नहीं हुआ है। पंजाब में ६ आने से शुरू हुआ, ८ आने हुआ फिर एक रुपया तक गया। लेकिन यहां ४ रुपया शुरू से ही रखा हुआ है और नियमावली में उसी को क्रमबद्ध कर दिया है। यह भूलभुलैया की बात है। इसमें न हम खुद फंसना चाहते हैं और न चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी फंसें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस खामी को सामने रख कर माननीय मंत्री जी उसको दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिस खामी को दूर करने के लिये उन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया है, केवल वही खामी नहीं है और भी बहुत सी खामियां हैं। और सबसे बड़ी खामी है टैक्सेशन की कि आप ने ४ रुपया फी एकड़ रख दिया है। वह ३ रुपया या डेढ़ रुपया भी नहीं होना चाहिये। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि सरकार इसको काफी कम करे। जो किसान सरकार की सही माने में सहायता करता है, पूरा-पूरा काम करता है, उससे एक पैसा भी नहीं लेना चाहिये। किसानों का इतना तो पहले ही ले लिया गया है। जमींदारी अबालिशन से पहले माननीय कमलापति जी तथा दूसरे लोग यह कहा करते थे कि जब जमींदारी नहीं रहेगी तो जो कुछ उनको मिलता है वह किसानों को मिल जायगा; लेकिन किसान अब भी उसी प्रकार से पीड़ित है, उसी प्रकार से यातना झेल रहा है और सरकार ने वह रुपया भी ले लिया जो उसको १४ करोड़ मिला। इसलिये हमने पहले ही कहा था कि आप क्यों किसानों की हड्डी को चूर करना चाहते हैं। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया, तो यह खामी है। चकबन्दी की योजना का किसान दिल से स्वागत नहीं कर सकते हैं यदि किसानों के ऊपर इतना ऊंचा टैक्स रहेगा।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अब भी इस संशोधन विधेयक में, या इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाकर ऐसा कोई उपाय निकाले, जिससे किसानों के ऊपर जो चकबन्दी का भारी टैक्स पड़ रहा है, वह बिलकुल कम हो जाय। और हमारा तर्क यह है कि जिस मकसद को हासिल करने के लिए, जिन तर्कों को पेश करके सरकार ने यह ४ रु०, ६ रु० एकड़ दिया था, वह तर्क नहीं रह गया है। वह खामी है और इसमें तो पूरा अधिकार दिया गया है लेखपालों को, पटवरियों को। यह जो चकबन्दी कर्त्ता की बात कही गयी है, वह चकबन्दीकर्त्ता कौन होगा? मूल अधिनियम की धारा ४२, ४३ में उस अफसर की बात कही गयी है जिसको चकबन्दी कर्त्ता की बात कह के सरकार रखना चाहती है। श्रीमन्, ४२ है अधिकारी और प्राधिकारी--"इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करेगी। सहायक चकबन्दी अधिकारी (असिस्टेंट कन्सालिडेशन आफिसर), चकबन्दी अधिकारी (कन्सालिडेशन आफिसर), बन्दोबस्त अधिकारी (सेटिलमेंट आफिसर), सहायक संचालक (असिस्टेंट डाइरेक्टर), तथा चकबन्दी संचालक (डाइरेक्टर आफ कन्सालिडेशन)। इसमें यह जोड़ देना चाहिए था कि चकबन्दीकर्त्ता का क्या काम होगा। इसमें अगर बताया गया होता कि सरकार चकबन्दीकर्त्ता की संज्ञा देकर उससे क्या काम लेना चाहती है और आज कौन अफिसर कौन काम कर रहा है, उसके बारे में चकबन्दीकर्त्ता का नाम सम्बोधित करती, तो हम लोग अच्छी तरह सुझाव देते और जवाब देते कि हम लोग यह करना चाहते हैं। कौन चकबन्दीकर्त्ता होगा, उसका क्या फंक्शन होगा, उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, उसका कहीं भी कोई संकेत इस विधेयक में नहीं किया गया है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--नियम में मौजूद है।

श्री राजनारायण--अब देखिये श्रीमन्, कि हमारे साथ कितनी ज्यादती है, इस सदन के साथ कितनी ज्यादती है कि माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि यह नियम में आ चुका है। क्या नियम में लिखा है, चकबन्दी कर्त्ता के विषय में? यह तो देहात की वही कहावत हो गयी कि "बाप जन्मने को हुआ और पुत्र पिछवाड़े खड़ा।" चकबन्दी कर्त्ता का क्लाज तो आज आप इस विधेयक के अन्दर जोड़ रहे हैं और इसके लिए विधेयक को पेश कर रहे हैं और कहते यह हैं कि चकबन्दी कर्त्ता के लिए नियम पहले से बन चुका है।

श्री चतुर्भुज शर्मा---कौन होगा, यह रूल में मौजूद है।

श्री राजनारायण---तीन वर्ष तक इस सदन में समय व्यतीत करने के बाद भी यदि वही आदत हमारी रह जाय, तो कैसे काम चल सकता है। अभी आपने देखा कि एक दूसरे मन्त्री जी ने कह दिया कि क्यों नहीं पुराने स्टैट्यूट को पढ़ लेते कि क्या उनके फंक्शन होते हैं जो सीधे गवर्नर को लिख दिया। तो ऐसी बातें मन्त्री लोग कहते हैं और जब उनका प्रत्युत्तर करता हूं तो नाराज भी होते हैं। "दे वान्ट टु रन बोथ वेज", ऐसा न कीजिये, मेरा निवेदन है कि एक तरफ से चलिये। जो यह चकबन्दी कर्त्ता की बात है, तो जो उनके कर्तव्य व अधिकार हैं वे सब हमारे सामने बता दिये जाने चाहिए कि सरकार क्यों इनको रखना चाहती है और इनके न रहने से जो चकबन्दी की योजना है, उसके कार्यान्वित होने में क्या बाधा पड़ती है। जब तक ये सब बातें नहीं बतलायी जायंगी, तब तक हम अपनी सम्मति अच्छी तरह से नहीं दे पायेंगे।

श्रीमन्, गांव समाज की जमीन की बात इसमें की गयी है। जो पहले अधिनियम था उसके अन्दर गांव समाज की जमीन ये नहीं ले पाते थे। अब यह चाहते हैं कि गांव समाज की जमीन ले लें। गांव समाज की जमीन पहले क्यों छोड़ देने की योजना थी और अब क्यों गांव समाज की जमीन लेने की योजना बनायी गयी है? इन दोनों को कोई तर्कपूर्ण उत्तर सरकार को देना चाहिए था, और बताना चाहिए था कि सरकार इस समय उसको किस कारण से लेना चाहती है, और पहले किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको छोड़ा गया था उसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गयी है, जिससे पता चले कि अब सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। हो सकता है कि कोई जमीन गांव समाज की हो, और वह अच्छी हो, और चकबन्दी में आने से उस खेत की पैदावार बढ़ सकती हो। मैं यह मान भी लूं कि चकबन्दी के काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए बिल में इस की गुंजाइश भी हो सकती है, लेकिन सरकार की ओर से अच्छी तरह से हमारे सामने कोई न कोई तर्क उपस्थित होने चाहिए थे कि यह कमी रह गयी थी और उसकी पूर्ति के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है।

सब से बड़ी बात जो माननीय मन्त्री जी ने कही वह यह कही कि पहले गांव के बहुत से लोग एक दरख्वास्त दे देते थे कि हम सब लोग, चार पांच या ६ आदमी इन खेतों को एक जगह रखना चाहते हैं और उस वक्त के कानून के मातहत उनको वहां पर जमीन एकत्रित कर के देने की गुंजाइश थी। अब सरकार समझती है कि इसमें भी कहीं-कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है और यह अधिकार भी कन्सालिडेशन आफिसर को मिलना चाहिए। यह अधिकार मैं नहीं समझता कि कैसे बाधा दूर करेगा, इस से यही होगा कि सरकार चाहेगी तो करायेगी, और नहीं चाहेगी, तो नहीं करायेगी, और साथ ही इस में यह भी होगा कि जो लोग सम्पन्न होंगे---मैं ऐसा कहने से पहले ही इतनी बात साफ कर दूं कि हमारे इस तर्क का अर्थ यह न लगाया जाय कि जितने कन्सालिडेशन का कार्य करने वाले अफसरान हैं, उन सबको हम चोर, बेईमान और गलत आदमी समझते हैं, जो यह अर्थ निकालेंगे वह हमारे साथ अन्याय करेंगे। मैंने पहले भी कह दिया था और आज भी बतला देना चाहता हूं, माननीय कमलापति जी मौजूद हैं वह सुन लें कि अगर मेरी तो कोई पाकेट भी काट ले तो मैं उससे नाराज नहीं होऊंगा, बल्कि मेरी नजर तो उन कारणों पर जायगी जिनसे मजबूर हो कर उसने ऐसा किया, क्योंकि मैं तो मानववादी हूं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं सब सरकारी कर्मचारियों को चोर, बेईमान नहीं समझता, लेकिन मुझे डर है कि ऐसी भी परिस्थिति भी आ सकती है कि सत्ताधारी लोग जो गांव के क्षेत्र में सबल और बलवान हैं, वह पैसे, बुद्धि और ताकत से अफसरान को मिलाकर बाध्य करके, तरह-तरह के प्रलोभन दे कर अपने मन के माफिक अच्छे खेत और जमीनें ले लेंगे, और खराब जमीनें दूसरे लोगों के लिए छोड़ देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस का सरकार ने क्या चेक रखा है? कहीं भी गुंजायश गांव सभा को है, कही भी गुंजायश पंचायती अदालत को है, जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उनकी राय भी कहीं ली जा सकती है, उन की राय और मान्यता को कहीं कन्सालिडेशन आफिसर के लिए जरूरी बनाकर रखा गया है, या कहीं ऐक्ट में ऐसा रखा गया

है ? अन्ततोगत्वा जो कुछ वह कर देगा वही फाइनल माना जायगा। इस दोष को माननीय मन्त्री जी को दूर करना चाहिए।

कैश क्राप के कटने के बारे में जो बात मन्त्री जी ने कही है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि वह दोष तो अब भी रहता है। यदि सरकार चाहती है कि चकबन्दी के अन्दर वह खेत आ जाय, जिसके ऊपर फसल खड़ी है, तो जिसकी वह फसल है, उसको वह खेत न मिले, जब तक कि वह अपनी फसल काट न ले, तब तक वह खेत उसके पास रहना चाहिए। यदि सरकार ऐसा चाहती है तो सरकार को साफ तौर से कानून के अन्दर इस चीज को रखना चाहिए था, और कोई इन्टरप्रिटेशन की गुंजाइश न रहने देना चाहिए थी, जिससे उसके तीन चार या ५ अर्थ निकलें, और सरकार को साफ कहना चाहिए था कि जिस किसान ने फसल बोयी है, वह फसल जब तक वह काट न ले, उस वक्त तक दूसरे को जिसके चक में वह जमीन पड़ी है, उस बोयी हुई फसल को काटने का अधिकार न होगा। यह बात इसमें नहीं रखी गयी है। मैं उस धारा को पढ़ देना चाहता हूं, जो यह है कि :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपयुक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रामित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर ऐसे चक या भूमियों पर खड़ी फसलों को पालने-पोसने और एकत्रित करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा, जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निर्णय न करे कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जायगा।"

तो सारा अधिकार उसी के पास होगा जो सहायक चकबन्दी अधिकारी है। वह निर्णय करेगा कि फसल बोने वाले को वह फसल मिले या न मिले। श्रीमान, हम तो मर जायेंगे। हमारा खेत तो किसी काग्रेसी के पास चला जायगा, तो मुझे निश्चय है कि वह अधिकारी उसी के पक्ष में अपना निर्णय देंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—आप जबर्दस्ती अपना कब्जा कर लेंगे।

श्री राजनारायण—इस बात की मुझे बड़ी खुशी है श्रीमन्, कि आज रामनरेश जी शुक्ल को यह मालूम हो गया कि हम कभी अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी उस कानून को नहीं मान सकते जो जनहित में न हो। कानून के लिये इंसान नहीं पैदा हुआ है, बल्कि इंसान के लिये कानून की व्यवस्था होती है। "वा सोने को कूटिये जासों टूटे कान", जिस सोने से कान कटें उस सोने को खत्म कर देना ही श्रेयस्कर है। अगर कानून अच्छा है, उससे इन्सान को फायदा होता है तो उसे माने, नहीं फायदा होता है तो नहीं माने। तो इस प्रकार निश्चित रूप से राजनारायण चलेंगे और उस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे जो जनता के हित में न हो, जो उसके हक पर कुठाराघात करने वाला हो। माननीय रऊफ जाफरी साहब को सामने बैठे देखकर मुझे मुहम्मद साहब के कुछ बयान इस सदन में कह देने की हिम्मत पड़ती है। श्रीमन्, तीन तरह के इन्सान मुहम्मद साहब ने बताये हैं। पहले दरजे का इन्सान वह जो नाहक को हाथ पैर से रोक दे। दूसरे प्रकार का इन्सान वह है जो हक और नाहक का एलान कर और तीसरे दरजे का इन्सान वह जो हक को पसन्द करे और नाहक को छोड़ दे। तो मैं चाहूंगा कि किस तरह का इन्सान आज हमलोग बनाना चाहते हैं। नाहक के काम को हाथ पैर से रोक देना चाहते है या नहीं। हम जानते हैं कि माननीय मन्त्री जी की इच्छा सदिच्छा है और जो अमेंडमेंट उन्होंने अब ऐक्ट में रखने की गुंजायश निकाली है कि जिसका खेत चला गया वह चला गया लेकिन उस पर जो उसकी फसल हो उसके लिये प्राविजन हो। जब पहले यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था उस समय यह बात नहीं मानी गयी थी, लेकिन माननीय मन्त्री का और जो चकबन्दी के मैदानों पर अनुभव करनेवाले हैं उनका यह अनुभव हुआ कि जो फसल किसानों की खड़ी है अगर वह उसको नहीं मिलती, तो वह चकबन्दी में नहीं आना पसन्द करते। तो उन्होंने यह गुंजायश इसमें रखी कि फसल बोने वाले को मिल जाय, मगर इसका अन्तिम फैसला करने का अधिकार इस विधेयक में असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर को दे दिया गया है, यह गलत है। मैं चाहता हूं कि स्पष्ट

[श्री राजनारायण]

तरीके से सरकार कह दे कि जिसकी जो फसल है जब तक वह उस फसल को काट नहीं लेगा तब तक दूसरे की चक में गया हुआ वह खेत भी उसी के हक में रहेगा जिसने उसे बोया था । एक ही साल की बात है, इसमें कोई बड़ा अनर्थ नहीं हो जायगा और जो मंशा सरकार की है उसकी पूर्ति होगी और कंसालिडेशन आफिसर जो जोर जुल्म कर सकता है, या अन्याय कर सकता है उसकी गुंजायश नहीं रह जायगी । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जैसे गन्ने की फसल है उसी तरह से सरकार एक लिस्ट बना ले कि गन्ने की फसल है, गेहूं, चना और जौ की फसल है, ये फसलें जिस खेत में होंगी वे फसलें उस किसान को लाजमी तौर पर मिल जायंगी जिसने उनको बोया है । तब तो कंसोलिडेशन आफिसर के लिये अन्याय करने की गुंजायश नहीं रह जायगी बीच में मिल जुल कर अपना मतलब साधने के लिये लेकिन जिस तरह का विधेयक आया है उससे यह डर है कि कंसालिडेशन आफिसर किसी के साथ न्याय और अन्याय कर सके । हम न्याय और अन्याय पर न जायं और यह देखें कि ऐक्ट में गुंजायश है तो वह कर सकता है या नहीं कर सकता । सवाल तो यह है कि यह गुजायश ही क्यों रहे । यह लाजमी क्यों न हो कि फलां-फलां तरह की फसल खड़ी होगी तो उसको काटने के बाद ही उसको खेत मिलेगा जिसके चक में वह खेत गया है ।

श्रीमन, मैं इन शब्दों के साथ पुनः निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वे मेरे इन तर्कों पर विचार करें और इसलिये न विचार करें कि यह तो बात विरोधी दल की ओर से आई है और इनका तो काम ही है विरोध करने का, ऐसी बात नहीं। अब सरकार ने अपने आचरणसे यह साबित कर दिया हैकि विरोधी दल की ओर से जितने तर्क उठाये जाते हैं उन तर्कों को दो महीने, तीन महीने, चार महीने का टाइम दे कर किसी न किसी तरह से सरकार उनको मानती है । सरकार ने बतलाया कि ५ हजार आदमी इस काम में लगे हुए हैं । १४ जिलों में चकबन्दी थी और अन्य जिलों की मांग है । सरकार को यह बताना चाहिये था कि कौन से जिले ऐसे लालायित हैं जो यह चाहते हैं कि हमारे यहां चकबन्दी हो जाय । हम जानना चाहते हैं कि कृषि प्रधान जो यह हमारा प्रदेश है वहां के खेतिहरों की मनोवृत्ति पर चकबन्दी का क्या असर हुआ ? वहां के खेतिहर चकबन्दी को किस रूप में देख रहे हैं इसको समझने के लिये मैं चाहता था कि सरकार आंकड़े देती कि किन-किन जिलों से मांग आई है और जो मांग करने वाले लोग हैं वे शिव मंगल सिंह जी सरीखे लोग तो नहीं हैं, कोई बड़े तबके के किसान तो नहीं हैं, वहां के हरिजनों की भी मांग आई है, वहां की बैकवर्ड कम्युनिटीज की मांग आई है । मैं भी देखता क्योंकि हमारे पास भी आंकड़े हैं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह सब बातें एक सुनियोजित ढंग पर क्रमबद्ध हैं तो उसके लिये यह विधेयक एक सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, वैसे सरकारी पक्ष का यहां प्रबल बहुमत है, जो सरकार चाहेगी पास करा लेगी । हम उसमें थोड़ा सा समय बढ़ा सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते । आज हमारी ताकत उसको रोकने की नहीं है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)--मैं राजनारायण जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सोशलिस्ट चकबन्दी नहीं चाहते ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, बड़ा अच्छा प्रश्न हमारे मित्र शिवमंगल सिंह जी ने प्रस्तुत किया है । मैं इसका समुचित उत्तर न दूं तो बड़ा दोषभागी होऊंगा ।

श्री रामनरेश शुक्ल--हम लोग जानते हैं, आप रहने दें ।

श्री राजनारायण--इसलिये श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर दूं.....

श्री रामनरेश शुक्ल--आपके कमरे में जाकर वह पूछ सकते हैं ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, वह एक पार्टी के लोग हैं । वह खुद डिसाइड करें कि वह सुनना चाहते हैं या नहीं । मैंने पहले भी कहा था कि अगर सोशलिस्ट सरकार बनेगी तो वह पहले जमीन का बटवारा करेगी, पहले सीलिंग जमीन के लिये तय करेगी । फिर बड़े

लोगों से जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे जमीन लेकर उसको हरिजनों में, पिछड़ी हुई कम्युनिटियों में जिनके पास जमीन नहीं है, उसका बंटवारा करेंगे.....

एक सदस्य--जैसा आपने आंध्र में किया। जैसा आपने ट्रावनकोर कोचीन में किया ?

श्री राजनारायण--जैसा आपने आंध्र में किया, मैं इसका जवाब दूंगा। इस वक्त शिव मंगल जी यह सुन लें कि अगर सोशलिस्ट सरकार बनेगी तो वह क्या करेगी। आंध्र में क्या हुआ, ट्रावनकोर कोचीन में क्या हुआ और आज देश में क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं उनको बताऊंगा। श्रीमन्, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह आब्जेक्टिव सिचुयेशन जो आज अपने प्रान्त में और देश में है अगर उसका अवलोकन करेंगे तो सही मानों में पायेंगे कि प्रजा समाजवादी पार्टी ने जो कार्यक्रम रखा, सोशलिस्ट पार्टी ने जो कार्यक्रम रखा, उसके हर कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी ने अपनाया। जब हमने अन्न सेना की बात कही तो कांग्रेस ने कहा कि यह क्या है ? लेकिन साल भर बाद उसी अन्न सेना की पूर्ण हत्या करके अन्न सेना के शब्द को लिया गया। जब हमने थर्ड फोर्स की बात कही, तो कहा गया कि व्हाट इज दिस ? और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तीन साल बाद उसी थर्ड एरिया की बात को माना। जब हमने 'एक घंटा देश को दो और नहरें खोदो, बांध बांधो और देश की पैदावार बढ़ाओ' यह नारा १९४७-४८ और ४९ में बुलन्द किया और जब इसी नारे को लेकर पंडित जवाहर लाल नेहरू बुलन्दशहर में चांदी की फरसी लेकर आये, तो वही नारा अपनाया गया। हमेशा हमने देश को एक नयी बात, नयी प्रणाली और नयी जिन्दगी देने की बात की है और माननीय शिव मंगल सिंह जी सवाल उठा दिया करते हैं इस तरह के।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि प्रश्न बहुत सीधा सा है। वह अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री राजनारायण--यही तो मैं भी चाहता था। तो श्रीमन्, मैं यह साफ कह देना चाहता हूं शिव मंगल सिंह जी से कि १९३४ में जब हमने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनायी थी, कहा था कि सोशलिस्ट समाज होगा। तब हमसे कहा जाता था कि सोशलिस्ट तो फारेन टर्म है। यह सोशलिस्टिक पैटर्न क्या है। सोना नहीं सुनहला, सोशलिस्ट नहीं सोशलिस्टिक और मौलाना आजाद ने अपनी सफाई देते हुये कहा था कि हम कराची वाले रेजोल्यूशन से आगे नहीं जा रहे हैं। हमारी जो पहले की नीति थी वही अब भी है। यह तो दोहाई दी गई है। आज भी कहा जाता है कि सोशलिस्ट क्या करेंगे ? सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा लगाने के बाद भी कहा जाता है कि यह सोशलिस्ट क्या करेंगे। यदि सोशलिस्ट पार्टी के इतिहास को देखें और माननीय परिपूर्णानन्द जी के यहां जाकर एक दो घंटा पढ़ें, क्योंकि मुझे मालूम है कि वह आज कल सोशलिस्ट पार्टी का साहित्य ज्यादा पढ़ने लगे हैं और आज भी मैं डाक्टर राममनोहर लोहिया की एक पुस्तक "व्हील आफ हिस्ट्री" उनकी सेवा में भेज रहा हूं तो उनको .....।

एक सदस्य--आपसे पहले के वह सोशलिस्ट हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--मैं निवेदन करूंगा कि चकबन्दी तो बहुत दूर जा रही है और हम दूसरी तरफ जा रहे हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं और मैं इस बात को सहर्ष मान लेता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी हमसे पहले के सोशलिस्ट हो सकते हैं।

श्रीमन्, मार्क्स ने कहा है "फिलासिफी ऑफ सोशलिज्म इज दी फिलोसिफी आफ एक्शन ऐन्ड नाट आफ वर्डस् ऑनली"। तो केवल कानपुर में मिल मालिकों की गद्दी पर बैठ कर और जन स्वातंत्र्य संग्राम.....

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—आन ए पौइंट आफ आर्डर, सर। चकबन्दी के विषय पर अगर माननीय राजनारायण जी कुछ मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध में गलत बातें कहना चाहते हों तो क्या मुझे अवसर देंगे कि मैं इस चकबन्दी विषय को छोड़कर इनकी गलत बातों का उत्तर दे सकूं। माननीय राज नारायण जी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सब लोग बिलकुल कुछ जानने वाले ही नहीं हैं। चकबन्दी का बिषय है आ गये परिपूर्णा नन्द वर्मा जी। मैं श्रीमन्, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यह बतायें कि हमको क्या कहना है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो माननीय सदस्य से पहले ही कह चुका हूं कि बड़े ऊंचे सिद्धान्त के कहने की आवश्यकता नहीं है विधेयक पर ही अपने को सीमित रखें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, चकबन्दी की जो योजना है उस पर मैं अपने को केन्द्रित रखना चाहता था और अब भी चाहता हूं अगर सम्मानित सदस्य बीच-बीच में प्रश्न न पैदा करें और सही माने में चकबन्दी ही की बात जानना चाहते हों तो मैं चकबन्दी के बारे में कह करके प्रसन्नता के साथ बैठ जाना चाहता था और अब तक बैठ भी चुका होता। आप स्वयं साक्षी हैं, लोग बीचबीच में प्रश्न पूछते रहे हैं तो उस प्रश्न का जबाव देना हमारा अन्याय होता है और उनका प्रश्न करना न्याय होता है, मैं मानता हूं श्रीमन्, आप न्याय प्रतिष्ठित करना चाहते हैं इसी लिये आप उनको प्रश्न करने देते हैं और हमको उत्तर देने देते हैं। श्रीमन्, इस बिल को जो हम सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं वह इस लिये कि इसमें जो कमियां और खामियां रह गई हैं वे दूर हों न कि इस लिये कि इसमें देर लगे। जैसा हमने पहले बताया था कि अब चकबन्दी से जो छोटे-छोटे किसान हैं हमारा अब भी यह कहना है कि एक, दो या तीन एकड़ के जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको मकान के पास या उनके खेती करने के स्थान के पास खेत मिले। यह दोष है। इनकी पूर्ति, यहां इसमें नहीं हो रही है, ऐसी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में बड़े-बड़े काश्तकार तो अच्छे खेत को और जो नजदीक खेत हैं उसको ले सकते हैं और जो छोटे-छोटे किसान हैं वे दूर फेंके जा सकते हैं। अभी इसकी गुंजाइस इस ऐक्ट में है। यह कहें माननीय मंत्रीगण कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वे कहने के लिये कह सकते हैं मगर सरकारी कर्मचारी आज अच्छी तरह इन बातों को कर सकते हैं और कर रहे हैं। यही कारण है जिन-जिन जगहों पर आज चकबन्दी की योजना चल रही है उन जगहों पर एक प्रतिरोध की भावना पैदा हो रही है। कोई भी जिला मंत्री जी नहीं बता सकते हैं कि जहां चकबन्दी की योजना चली हो और प्रतिरोध की भावना पैदा न हुई हो। और उसी भावना से प्रेरित हो कर सरकार यह विधेयक ला रही है। हमने पहले ही कह दिया कि सोशलिस्ट सरकार होती तो क्या करती। अब भी हम चाहते हैं मंत्री जी जब कांग्रेस सरकार है तो सहायता देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, सतमार्ग बताना चाहते हैं कि वे सीलिंग बना दें। मगर वे करेंगे नहीं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जायं। सेलेक्ट कमेटी में अगर देर की बात करेंगे, चाहे रामनरेश जी या और कोई, तो मैं उनसे कह दूं कि कल परसों बैठ सकते हैं हम इस विधेयक के पास होने के लिये और अच्छी तरह से विचार कर लें रात भर भी कार्यवाही कर सकते हैं जिससे कोई पैसा भी खर्च न हो ताकि सदन में इन तर्कों को न रखा जाय कि राज नारायण देर चाहते हैं, होने नहीं देना चाहते और पैसा भी खर्च होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज सेलेक्ट कमेटी में यह विधेयक जाता है तो आज रात को ८ से १२ तक सिटिंग हो जायगी, सवेरे सिटिंग हो जायगी, फिर रात में सिटिंग हो जायगी, और फिर बैठ करके हम लोग यहां पास कर देंगे। इस पर कोई विवाद नहीं होगा। सेलेक्ट कमेटी में अगर सारी बातें तय हो जायंगी तो कोई विवाद ही नहीं होगा। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से बार-बार निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को वह सेलेक्ट कमेटी में ले जायं जल्दी होने के लिये और फिर जल्दी में कोई संशोधन विधेयक सदन में न प्रस्तुत हो, इन तमाम बातों के लिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

*श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र और साथी माननीय राजनारायण जी का भाषण जो कि विविध विषयों के ऊपर उन्होंने कष्ट करके यहां दिया उसको बड़े ध्यान से सुना और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके भाषण से हम सब लोग फायदा उठाने का प्रयत्न करेंगे। सन् १९३४ से लेकर सन् ५५ तक के सारे इतिहास को जो उन्होंने यहां पर बयान किया उससे हममें से प्रत्येक व्यक्ति लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा। यह तो एक छोटा सा विधेयक था जिसमें मैं समझता हूं कि कोई इतने बड़े-बड़े सिद्धान्तों पर बहस होने की कोई गुंजाइश नहीं। जहां तक भूमि सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, इस सरकार की, इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार उस पर प्रकाश डाला जा चुका है और जहां तक माननीय राजनारायण जी का मतभेद है उससे भी यह सदन अवगत हो चुका है आज तो केवल यह जो चकबन्दी विधेयक यहां आया है उसके विषय में जो कठिनाइयां उन स्थानों में हो रही हैं, जहां यह चकबन्दी हो रही है उनके निवारणार्थ यह विधेयक लाया गया है। यह बात कहना एक प्रगतिशील व्यक्ति के लिये और एक प्रगतिशील संस्था के लिये जिसका प्रतिनिधित्व या नेतृत्व वह कर रहे हैं, मुनासिब नहीं मालूम होता है, जब कि वह यह कहते हैं कि यह दोषपूर्ण होने के कारण इस विधेयक में आज तीसरी बार संशोधन करना पड़ा। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि जब आप प्रगति के रास्ते पर चलेंगे, जब आप उन्नति की तरफ देखेंगे तो जिस स्थान के ऊपर आज आप खड़े हुए हैं उसे आपको छोड़ना पड़ेगा और उससे आगे आपको नये मार्ग निकालने पड़ेंगे। यह बात सत्य हो सकती है किसी एकतन्त्र राज्य के अन्दर जहां राजा, महाराजा या कोई शहंशाह हो कि उसके हुक्म की कोई तब्दीली नहीं होती या जहां कि डिक्टेटरशिप हो, वहां ऐसा हो सकता है कि जो हुक्म एक बार दे दिया गया हर परिस्थिति में उसी के ऊपर कार्य कर लिया जायगा। प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रगति के रास्ते पर जाने वाली सरकार ने और उन्नति की तरफ लक्ष्य रखने वाले इन्सानों ने हमेशा अपने में तब्दीली की है और इस सिद्धान्त के मातहत जो आगे कठिनाइयां आयेंगी उनके लिये संशोधन लायेंगे। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, यह नहीं समझ पाया कि किस पढ़े लिखे समाज में इसका मखौल हो रहा है, कौन सा वह पढ़ा लिखा समाज है जो इसका मौखल उड़ा रहा है? मैं उस पढ़े लिखे समाज को जानने की कोशिश करूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र मुझे बतावें कि वह कहां का पढ़ा लिखा समाज है कि आज जो चकबन्दी ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा है, उसका मखौल उड़ा रहा है। मैं उदाहरण के लिये अपने मित्र से बताना चाहता हूं, मेरे मित्र ने अभी यह बात कही कि जमीन की तब्दीली में अधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया कि जिस समय जमीन की चकबन्दी हो जाय तो वह उन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करके यदि चाहे तो फौरन वह दे दे और न चाहे तो उसको रहने दे और उसके साथ-साथ यह भी कहा उन्होंने, उनको ज्यादा परेशानी थी कि अगर उनका खेत हुआ और मेरे खेत में और उनके खेत में बटवारा हुआ और चकबन्दी हुई तो उनकी तो ईख लगी हुई है, गन्ना लगा हुआ है खेत में, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असल बात यह है कि मुझे याद पड़ता है कि इस कानून के ऊपर बहस जब प्रारम्भ में हुई थी तो उसमें यह दोष था जबकि अधिकार नहीं रखा गया था। ऐसी परिस्थिति आती है जबकि चकबन्दी हो जाने के बाद बावजूद इसके कि फसलें खेत पर खड़ी हुई हैं, यदि दो व्यक्ति चाहें कि उनका आपसी तबादला हो जाय और उस दिक्कत को हटाने के लिए अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि माननीय राज नारायण सिंह जी को इसमें दोष क्या दिखाई पड़ता है। जो बात पहले विधेयक में नहीं थी, जिस परिस्थिति को हमने सोचा कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, मान लीजिये कि मेरा गन्ने का खेत है और मेरा खेत और राजनारायण सिंह का बदल गया। मैं चाहता हूं कि इस खेत से छुट्टी मिले उसको बनाऊं। एक दो महीना रख कर क्या करूंगा, मैं छोड़ना चाहता हूं और चाहता हूं कि उसे राजनारायण सिंह ले जायं और हम दूसरे को लें, तो इस दिक्कत को हटाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

के लिये यह अधिकार रखा गया है। दूसरी बात यह है कि अगर हम आपसी तौर पर तय कर लें कि हम गल्ला काट लेगें और आपस में ले दे कर तय कर लेगें, जो गांव समाज की जिन्दगी है, जो आपस की ईमानदारी और बर्तावा है, जहां गांव के अन्दर आज भी न्याय और अन्याय का खयाल किया जाता है वहां अगर आपसी फैसला हो जाय तो क्या बुरा होगा। उन तमाम विशेष परिस्थितियों का खयाल रख कर यह चीज यहां रखी गयी है। लेकिन मेरे मित्र को चूंकि उन्होंने विशेष परिस्थिति का स्वयं तो अध्ययन नहीं किया, इसमें आपत्ति नजर आयी मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जानता हूं कि अगर माननीय राजनारायण सिंह जी चकबन्दी में जाकर स्वयं अध्ययन करें और इन परिस्थितियों को देखें तो वह फौरन सहमत हो जायेंगे और महज जो चिट्ठियां आ जाया करती हैं या किताबों में कहीं पढ़ लिया, उससे तो मामला पूरा नहीं होता।

एक दूसरी बात उनकी सेवा में रखना चाहता हूं। उन्होंने एक शक यह पैदा किया कि आप जो इसमें चकबन्दी निकल जाने की बात निकाल दे रहे हैं और १४ जिलों में चकबन्दी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो कि खबर पा करके बाकी जिलों के किसान अपने खेतों में बाग लगा लें, इससे बचने के लिये। बड़ा शक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह धृष्टता तो कर नहीं सकता कि वह इस प्रान्त की आवश्यकताओं को नहीं जानते, लेकिन इतना कहने का साहस जरूर करूंगा कि आज इस प्रान्त की यह भी आवश्यकता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाग लगावें। आज जितने बाग हमारे राज्य के अन्दर होने चाहिये थे उतने नहीं हैं और सरकार को इस के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का ऐलान करना पड़ा और यह कहा है कि कुछ प्रकार के वृक्षों को लगाने पर सरकार मालगुजारी भी माफ कर देगी। तो इसमें क्या हर्ज हो जायगा? बड़ा अच्छा हो अगर इस कानून के होने के कारण से साल छः महीने के अन्दर जब तक चकबन्दी हो लोग बाग लगाना शुरू कर दें। हमें बाग लगाने का विरोध नहीं करना चाहिये, पेड़ लगाना तो पुण्य होता है। अलावा इसके राज्य की आवश्यकता है, तो इसमें कौन सी कठिनाई पैदा हो गयी, मेरी समझ में बात नहीं आती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि एक-एक चीज को आप ले लें तो जो भी बातें कही गयी हैं, बजुज इसके कि उसमें समय लिया गया, उतना कीमती समय नष्ट हुआ, बाकी चीजें न तो तर्क के ऊपर उतरती हैं, न राज्य की आवश्यकताओं और किसान के हित में उतरती हैं। न उनकी दिक्कतों को दूर करती हैं। इतनी सी बात है कि आज चकबन्दी इस राज्य के अन्दर होनी है, इस पर हम और वह सहमत हैं। असहमतता केवल वहीं आती है जब हम अपनी दलगत राजनीति में पड़ कर सरकार को अच्छा बुरा बनाने के लिए, चकबन्दी अच्छी या बुरी है इस सम्बन्ध में प्रचार करना शुरू कर देते हैं। मैं माननीय राजनारायण से उम्मीद करता हूं कि उन ऐसे ठोस सिद्धान्त के मानने वाले व्यक्ति अपनी पार्टी के उन व्यक्तियों के ऊपर भी लगाम लगावें जो कि चकबन्दी का विरोध आज मुफ़स्सिल जिलों में कर रहे हैं और नाना प्रकार के विरोध कर रहे हैं। (एक आवाज--विद्रोह कर रहे हैं?) विरोध कर रहे हैं, विद्रोह नहीं। तो असली बात यह है कि जो चीजें आज राज्य के लिये आवश्यक हों, इसमें मतभेद नहीं होना चाहिये और वह सहमत भी हैं इस बात से। आज जो यह छोटा सा संशोधन विधेयक रखा गया है उसके बारे में दो चार संशोधन आ गये हैं और कोई बात लाना नहीं चाहते हैं और उन्होंने बहुत ऊंची बातें कहीं हैं, मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता हूं। उन्होंने अपने सिद्धान्तों का सम्पादन किया और वह कहां रहे और आज कहां हैं और हम आज कहां हैं और इससे जो बने तो वह कहां तक बने, यह सब ऐसे प्रश्न हैं कि उन पर बात करने से उनको दुःख होगा और मैं उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं आज इस लिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि उनके दिल को चोट पहुंचे। जिस आदमी ने सोशलिस्ट पार्टी को बनाया वह आज भी है और जिन्होंने विरोध किया वह आज सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं। बहरहाल उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस विषय पर जाना नहीं चाहता हूं।

वह उनके लिये और मेरे लिये दोनों के लिये दुखदायी है। केवल बात यह है कि राज्य की आवश्यकता है। इसमें दो-दो घंटे की बात क्या रह गई है? जो संशोधन जरूरी समझे जायंगे उनको माननीय मंत्री जी मान लेगें। कई रोज से इस विधेयक को रखा गया है और राज नारायण जी तथा उनके साथियों ने इसको खूब अच्छी तरह से सोच लिया होगा और क्या संशोधन होने चाहिये, यह भी उनको मालूम हो गया हो। मैं प्रार्थना करूंगा कि वह सेलेक्ट कमेटी वाली बात को न रखें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माल विभाग की जागरूकता की प्रसंशा करता हूं कि जब कोई छोटी से छोटी त्रुटि नजर में आती है तो तत्काल उसका संशोधन हो जाता है और इसके लिये माननीय राजस्व मंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं। जहां तक इसका सम्बन्ध है ऐसा जान पड़ता है कि बिना नियम के और विधान के पढ़े हुये केवल लोग वाकशक्ति के ऊपर और केवल विनोद के लिये यह तर्क किया जाता है। इससे न तो सदन का ही लाभ होता है और न उस विषय पर ही कोई लाभ होता है। जहां तक इस संशोधन विधेयक के संबंध में विरोधी दल के नेता ने संकेत किया है, मैं पाता हूं कि वह सारी शंकायें निर्मूल हैं। इस में केवल ९ धाराओं में संशोधन किया गया है।

माननीय नेता विरोधी दल इस समय सदन में नहीं हैं उन्होंने चैलेन्ज किया था कि यदि नियम में कहीं भी चकबन्दी कर्ता की परिभाषा हो तो मैं बैठ जाता हूं। इसमें परिभाषा चकबन्दी कर्ता की दी हुई है। चकबन्दी कर्ता का आशय ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार ने चकबन्दी करने के लिये नियुक्त किया हो तो नियम के अन्दर चकबन्दीकर्ता की परिभाषा है, विधान में नहीं थी। इस छोटी सी त्रुटि के लिये चकबन्दीकर्ता पर जितना समय लिया गया है उसको मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं कि यदि उन्होंने नियम पढ़ लिये होते तो ऐसी बात कहने की क्षमता नहीं रखते।

दूसरी बात यह है कि जहां तक प्रक्रिया का संबंध है हमारे पुराने विधान में है, इस ऐक्ट की धारा २९ को देखें तो सारी की सारी बातें उपस्थित हैं और इसका एक विस्तार दे दिया गया है। जैसे कि २१ सी० पी० सी० को लागू कर दिया गया है और इसके पश्चात् एक स्टार दे दिया है जिससे उनको और ज्यादा अधिकार दे दिये गये हैं जिससे कार्य में उनको कोई कठिनाई न हो और जिनको खेतों में कब्जा दिलाने के प्रश्न को तय करने के अधिकार थे उनको अधिकार और बढ़ा दिये गये हैं। भूमि की परिभाषा पहले भी थी अब उसका विस्तार कर दिया गया है।

बागों के संबंध में मेरा अनुमान है कि ना समझी के कारण ऐसा कहा गया है। बाग भूमि की परिभाषा में पहले भी नहीं आते थे और इस समय भी नहीं आते हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि लोग खेतों में छोटे-छोटे पौधे लगा देते हैं जिससे वह खेत चकबन्दी की सीमा में न आयें। यह कठिनाई हो रही है।

इस कठिनाई के कारण यह किया गया है। व्यवहारिक रूप में अफसर लोग जो कार्य करते हैं, जिस वक्त वह चकबन्दी करते हैं, उसके पिछले रिकार्ड को देखकर वह चकबन्दी करते हैं। उनमें व्यावहारिक रूप से कठिनाई होती थी, तो उसको स्पष्ट करने के लिए एक प्रकार से स्पष्टीकरण का संशोधन है। उसमें यह कहा गया है कि पिछले वर्ष के रिकार्ड को देखकर बाग के सम्बन्ध में भूमि की परिभाषा नियत करे। पहले भी यह चीज उसके अन्दर थी, लेकिन अब उसको और स्पष्ट कर दिया गया है। जहां तक विरोधी दल के नेता ने इस बात को कहा, उसकी तो यहां पर कोई आवश्यकता भी नहीं थी। सिर्फ इतनी बात है कि जब तक उसकी फसल है, तो उसका कब्जा बतलाया गया है और एक मई के बाद फिर उसके कब्जे के बारे में प्रश्न पैदा होगा। जिस खाते की चकबन्दी हो रही हो, उसके विषय में इसको स्पष्ट कर दिया गया है। यदि दोनों आदमी राजी हो जायं, तो सबूत होगा और अगर वह राजी नहीं होते हैं तो इस दिये हुए प्रकार से वह तय कर सकता है। यह बात पहले भी थी, अब भी उसको इस संशोधन के द्वारा उसको स्पष्ट कर दिया गया है। मैं तो नहीं समझता कि इस संशोधन के अन्दर

[श्री रामलखन मिश्र]

कोई ऐसी बात कही गयी हो, जिससे कुछ उलझन पैदा होती हो। यह तो सरल सीधी सी समझने योग्य बात है। उसका जो रूप था, जो व्यावहारिक क्षेत्र उसका था, उसको थोड़ा सा विस्तार का रूप दे दिया गया है, जो कि सर्वसाधारण की भी समझ में आ सकती है। इसमें थोड़ी सी बातें हैं, जो केवल ९ धाराओं में स्पष्ट की गयी हैं, उनमें जिन बातों की चर्चा है उसको विस्तृत रूप दे दिया गया है। इसको वह सेलेक्ट कमेटी में भेज कर कौन सा न्याय करेंगे और वहां पर इसका क्या स्वरूप होगा। मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि परिभाषा की कमी थी, कि भूमि की परिभाषा, चकबन्दी कर्त्ता की परिभाषा, भूमि की किस्म की परिभाषा, यह सब की परिभाषा पहले भी बतलायी गयी है, लेकिन अब उसको विस्तृत कर दिया गया है।

दूसरी प्रकार से सी० ओ० को और ए० सी० ओ० को विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। यदि दोनों पक्ष आपस में राजी होकर कहते हैं कि ऐसा कर दिया जाय और एक मई के पहले ही उनका कब्जा कर दिया जाय, तो इसको कर दिया गया है। वह संशोधन पहले नहीं था, उनको कठिनाई होती थी। इस लिए अब उसको विस्तृत रूप में कर दिया गया है। कोई ऐसी बात नहीं है और न कोई बात दिखायी देती है, जिससे यह समझा जाय कि यह सेलेक्ट कमेटी में जाने के योग्य है। पहले जिस समय यह चकबन्दी का बिल यहां पर आया था, तो विरोधी दल ने इस चकबन्दी की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी और आज चकबन्दी कानून के सम्बन्ध में उनको इसमें दोष दिखायी पड़ते हैं। इसके सम्बन्ध में वही समझ सकते हैं कि वह किन कारणों से ऐसा कह रहे हैं? मैं तो ऐसा समझता हूं कि इस संशोधन को उन्होंने समझने का प्रयत्न नहीं किया है और न बातों का उन्होंने अपने भाषण में स्पर्श ही किया है। इन शब्दों के साथ मैं विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है, कि यह सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय उसका विरोध करता हूं और इसमें कोई तथ्य भी नहीं है। मैं राजस्व मन्त्री को उनकी जागरूकता पर धन्यवाद देता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय माल मन्त्री जी जब कोई विधेयक सदन के सम्मुख उपस्थित करते हैं, तो वह काफी छानबीन के बाद करते हैं। लेकिन मौजूदा विधेयक में मुझे कुछ ऐसी खामियां दिखायी पड़ती हैं कि अगर उन खामियों को दूर न किया गया तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द दूसरा संशोधन लाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सब से पहले धारा ३ की उपधारा (२) में जो चकबन्दी का तात्पर्य, परिभाषा दी गयी है, उसकी ओर खींचना चाहता हूं। शुरू में जो मूल ऐक्ट बना उसमें चकबन्दी के तात्पर्य के अन्तर्गत तमाम होल्डिंग की भूमि की और खातों की जमीन की चकबन्दी की बात थी और पासचर लैन्ड की चकबन्दी की भी बात रखी गयी थी।

बाद में जब दूसरा संशोधन उपस्थित किया गया, उस समय यह देखा गया कि जो बाग लगे रहते हैं, वह इससे अलग हैं, इसलिए उनको उससे अलहदा रक्खा गया, लेकिन चरागाह को उसमें लेने की बात थी, लेकिन बागों को चकबन्दी से अलैहदा कर दिया गया। बाद में संशोधन के जरिये ऐसे बागों को मिन्हा कर दिया गया जो कि चकबन्दी की घोषणा के वक्त लगे हुए हों। लेकिन ऐसा हुआ कि लोग बाग लगाकर चकबन्दी से बचने की कोशिश करने लगे इसलिए फिर उसकी भाषा को बदला जा रहा है। जमींदार अबोलिशन की धारा १३२ के मातहत जो जमीन गांव समाज को मिली थी, वह जमीन भी चकबन्दी से मिन्हा कर दी गयी थी। लेकिन मौजूदा संशोधन के जरिये से अब यह किया जा रहा है, खातों की चकबन्दी के साथ-साथ वह भी हो जाय यानी एक वर्ष के अन्दर के बाग हैं, उनको और पास्चर लैन्ड आदि जो गांव समाज को धारा १३२ के अनुसार मिले हैं, उन सब की भी चकबन्दी की जाय, यह संशोधन है। धारा ११७ के अन्दर जो जगहें मिली हैं वह हैं—रास्ते, खलिहान, और चरागाह। अब मौजूदा विधेयक के जरिये से यह भी चकबन्दी के अन्दर लिये जा रहे हैं। यह क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि गांव समाजों के चरागाह अलग-अलग टुकड़ों में बंटे हैं, उनको एक जगह कर

दिया जाय, कहीं रास्ता निकालना है, चौड़ी सड़क निकालनी है, किसी के खाते की जमीन लेकर गांव समाज की मिल्कियत में रखना चाहते हैं, तो इन सब बातों का लिहाज करके जो कठिनाई हो रही थी, उसे दूर करने के लिए परिभाषा बदल दी गयी है। पहले यह था (मूल विधेयक में)—

"चकबन्दी का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में भूमि के अधिकारी विभिन्न खातेदारों के बीच उक्त भूमि के ऐसे पुनः वितरण से है, जिससे कि वे क्षेत्र जो उनके पास समय विशेष पर उक्त रूप में हों और अधिक संहत हो जांय।

अपवाद—इस खंड के प्रयोजनों के लिए भूमि के अन्तर्गत बाग भूमि अथवा ऐसी भूमि जिसका उल्लेख १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में है, नहीं है, किन्तु पशुचर भूमि उसके अन्तर्गत है।"

इसमें बाग और गांव समाज की भूमि को छोड़ दिया गया है, लेकिन पशुचर भूमि रखी गयी है। धारा ३ की उपधारा (२) के अपवाद को बदल कर उसकी जगह स्पष्टीकरण किया गया, उसमें यह रक्खा गया—

"इस खंड में 'जोत' में ऐसी भूमि का अन्तर्भाव है जो पशुचर भूमि के रूप में काम में लायी जाती है, या काम में लायी जाने के लिए अभिप्रेत हो, किन्तु उसमें ऐसे भूमि का अर्न्तभाव नहीं है, जो अधिनियम की धारा ४ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति के दिनांक को बाग थी या जिसे १९५० के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १३२ लागू होती है"

लेकिन अब मौजूदा विधेयक में फिर इस स्पष्टीकरण को इस तरह से बदला जा रहा है—

"स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए जोत में निम्नलिखित सम्मिलित न होगी—

(१) भूमि जो उस वर्ष के, जिसमें क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी की गयी हो, ठीक पहले के कृषि वर्ष में बाग थी।"

यानी वह भूमि जो ठीक पहले के कृषि वर्ष में बाग थी, वह चकबन्दी में शामिल नहीं की जायगी। कृषि वर्ष के बाद का जो बाग है, उस भूमि की तो चकबन्दी हो जायगी। दूसरी बात यह है कि वह भूमि जिसमें पानी की बाढ़ आती हो अथवा जिसका अत्यन्त कटाव होता हो वह भी जोत में सम्मिलित न होगी। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस चकबन्दी के तात्पर्य में पास्चर भूमि को नहीं रखा गया है। आपके द्वारा मैं बहुत नम्रतापूर्वक माननीय उपमन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस स्पष्टीकरण में से जो पहले पास्चर भूमि थी, उसको निकाल दिया गया है, अब शायद जवाब में यह कहा जाय कि जो भूमि की परिभाषा है, वह बदल दी गयी है। तो यह तो एक विचित्र तरीके से भूमि की परिभाषा में बराबर परिवर्तन होता जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चकबन्दी का तात्पर्य जहां दिया गया है, उसमें अगर खामी रह जाती है, तो फिर उस भूमि की परिभाषा से चकबन्दी नहीं हो पायेगी। जरा आप देखें, श्रीमन्, "चकबन्दी का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में भूमि के अधिकारी विभिन्न खातेदारों के बीच उक्त भूमि के ऐसे पुर्नवितरण से है, जिससे कि वे क्षेत्र जो अनेक उनके पास समय विशेष पर उक्त रूप में हों, और अधिक संहत हो जायं।" अब विभिन्न खातेदारों के अलावा पास्चर भूमि को छोड़ दिया गया है, यानी पास्चर भूमि को खातेदारों की भूमि में नहीं रखा गया है। लेकिन अब आप पास्चर भूमि को भी लेना चाहते हैं, जो भूमि गांव समाज को दी गयी थी, उसको भी आप लेना चाहते हैं। कृषि वर्ष के एक साल बाद का जो बाग हो, उसको भी आप लेना चाहते हैं। लेकिन जो भूमि गांव समाज को मिली हुई है, पास्चर भूमि की चकबन्दी नहीं हो सकती है, यदि इस परिभाषा में सुधार नहीं किया गया। इसके अलावा बजाय जोतों के वह भूमि भी आप चकबन्दी के अन्दर लेना चाहते हैं, जो होल्डिंग नहीं है। ऐसी भूमि जो गांव की

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

पास्चर भूमि है, रास्ता है, खलिहान हैं, फिशरीज हैं, यह सब उसके अन्दर लिखा है। तो इसके नियम ही गलत हो जाते हैं यदि इस भूमि की चकबन्दी होती है। "जैसा कि चकबन्दी का तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र में भूमि के अधिकार विभिन्न खातेदारों के बीच उक्त भूमि के ऐसे पुनर्वितरण से है, जिससे कि वे क्षेत्र जो उनके पास समय विशेष पर उक्त रूप में हों, और अधिक संहत हो जायं" यह परिभाषा और नियम भी गलत हो जाता है, और चकबन्दी वाली परिभाषा भी गलत हो जाती है, और मौजूदा परिभाषा के रहते हुए पास्चर भूमि और गांव समाज की भूमि चकबन्दी के अन्दर नहीं हो सकती। भूमि की जो परिभाषा है, उसको भी आप देख लें—भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण, तथा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्वर्धन और कुक्कुट पालन भी है, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए हो और इसके अन्तर्गत निम्नांकित भी है।

सम्बद्ध खातेदार की जोत का भाग जो उसके मकान या अन्य तत्सम रचना का स्थल हो। यानी जिस भूमि का उसका मकान हो और वह जोत लिखा हो, तो वह भी उसके अन्दर आ जाता है। जो यू० पी० टिनेंसी ऐक्ट है, उसमें तो सिंघाड़ा, तालाब आदि को भूमि की परिभाषा के अन्दर नहीं रखा गया है, उसमें से इसको निकाल दिया गया है।

मकान उसमें नहीं थे, इसमें मकान वाला भी जोड़ दिया गया है। अब मौजूदा संशोधन विधेयक में भूमि की परिभाषा को भी बदला जा रहा है। अब रखा जा रहा है कि "भूमि जो समय विशेष पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन गांव समाज अथवा स्थानिक अधिकारिकी (लोकल अथारिटी) में निहित है।" और इसके साथ ही ऊपर दे दिया है कि "सम्बद्ध खातेदार को जोत का भाग जो उसके मकान या अन्य तत्समरचना की स्थल हो"। इस तरह से शब्दों का हेरफेर करके ग्राम समाज की जमीन भी शामिल कर दी गयी है। धारा ११७ में गांव समाज को यह भूमि मिली है और उसका जो आशय है, वह यह है कि खाते या बाग की भूमि के अलावा गांव में जो भूमि है, यानी बंजर है, ऊसर है, पर्ती है, रास्ता, है खलिहान है, कब्रिस्तान है, मरघट है वह सब गांव समाज को मिली है, और उसी में मीनाशय भी हैं, क्योंकि उसको भी भूमि की परिभाषा में रखा गया है। इसके अलावा आगे ११७ (ख) में यह भी है कि तालाब पोखर, जलप्रणालियां, रास्ते और आबादी के स्थल सब भूमि के अन्दर आ जाते हैं। जब यह सब भूमि की परिभाषा में आ गये और आप उसकी चकबन्दी कराना चाहते हैं तो जहां आप चकबन्दी के तात्पर्य की परिभाषा देते हैं, तो उसमें पहले पास्चर भूमि को रखा था, और उस समय इन चीजों को नहीं रखा था, तो जब वहां से पास्चर को भी निकाल दिया और यह सब भी नहीं है, तो जहां जोतों की परिभाषा दी गयी है, तो जोतों की चकबन्दी में यह चीज आयेगी कहां से ?

होल्डिंग की परिभाषा यानी जोत की परिभाषा यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में दी हुई है और उसी को जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में भी रखा गया है और उसका मतलब केवल इतना ही है कि होल्डिंग या खाता वह है, जो किसी पट्टे के द्वारा किसी एक जमींदार ने किसी को, किसी एक पट्टे या कन्ट्रैक्ट के द्वारा किसी जमीन को किसी को दे दिया हो और उसका लगान कायम हुआ हो, तो वह खाता कहायेगा। अब सीर खुदकाश्त वाले जमींदार भी खातेदार हो गये हैं तो यह कैसे होगा, 'गये बनने छब्बे बन गये दुबे' तो यह जो पशुचर भूमि थी, इसको इस विधेयक के बनाने वालों ने निकाल कर यह समझ लिया कि भूमि की परिभाषा में उन्होंने सुधार कर दिया। जहां तक जोतों की चकबन्दी की बात यह है इसमें जो परिभाषा आ गयी है, मैं निवेदन करूंगा कि यह नहीं आ सकती क्योंकि जहां जोतों की चकबन्दी की बात है, उसमें भूमि की जो अन्य बातें परिभाषा में आ गयी हैं, वह नहीं आ सकती हैं। तो पहले तो चकबन्दी का तात्पर्य यह है कि वह जोतों की चकबन्दी हो या भूमि की चकबन्दी हो, इस परिभाषा को दुरुस्त होना चाहिए। और यदि भूमि की चकबन्दी का भी प्रश्न रखना है, तो फिर नाम भी बदलना पड़ेगा। खैर नाम बदलने की बात तो वैसे कोई बहुत महत्व नहीं रखती, लेकिन जो परिभाषा

होती है, उसी के ऊपर विधेयक का दारोमदार होता है। परिभाषा उसकी जान होती है। अगर परिभाषा जरा सी गलत हो गयी, तो सारे विधेयक का मतलब ही खब्त हो सकता है। यही नहीं, बल्कि इसके जरिये से मौजूदा विधेयक में और भी संशोधनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे धारा १५ में खातेदारों की बात कही गयी है, उसका विवरण यह है कि प्रत्येक खातेदार को जहां तक सम्भव हो उसी हार में भूमि प्रतिष्ठित की जाय, और केवल उन्हीं खातेदारों को हार विशेष में भूमि मिले, जिनकी भूमि वहां हो। एक ही परिवार के खातेदारों को जहां तक सम्भव हो, भूमि मिले। यानी जब मूल विधेयक बना था, तो केवल होल्डिंग की बाद उसमें थी,। तो जब हम और अब जोड़ रहे हैं, और और तरह की जमीनों को ला रहे हैं, तो जहां केवल खाते दार हैं, मूल विधेयक में उस से काम नहीं चलता। उसमें भी और मूल विधेयक में भी छानबीन करके इस जमीन को जोड़ने के जो असरात हैं, वह जहां भी मूल विधेयक में हों, उनको देखना पड़ेगा। भूमि की परिभाषा में गांव समाज की जो जमीन है, उसके लिए मूल विधेयक में से भी और उसके संशोधन में से भी १३२ को निकाल दिया गया था। उसमें यह था कि पशुचर भूमि या ऐसी भूमि जिसमें पानी हो या जो सिंघाड़ा और दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो, या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी कभी खेती के काम में आती हो, आदि आदि, इसमें जो दिया गया है, उसका स्पष्टीकरण जैसा था, वह इसमें से निकाल दिया गया था। अब वह १३२ वाली बात भी अलग कर दी गयी स्पष्टीकरण से और भूमि की परिभाषा में गांव समाज में निहित हुई भूमि को जोड़ दी गयी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक भूमि की परिभाषा और जोतों की चकबन्दी के तात्पर्य और उसकी परिभाषा को ठीक-ठीक नहीं बैठाया जाता तब तक इस विधेयक में बहुत बड़ी खामी रहेगी और जो मूल था, उससे भी खराब हालत इसकी हो जायगी।

एक बात मुझे और कहनी है। वह यह है कि कन्सालिडेटर रक्खे गये हैं। जो एक, दो या तीन गांवों के खेतों की परताल करेंगे, और पटवारी या लेखपाल के ग्रेड के वे शायद होंगे। वे काम कर भी रहे हैं। मूल अधिनियम में सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक संचालक और चकबन्दी संचालक इन पांचों की परिभाषा दी हुई है, लेकिन कन्सालिडेटर की इसमें कोई परिभाषा नहीं दी हुई है। लेकिन उनकी नियुक्तियां हो गयी हैं, और साल भर से वे काम भी कर रहे हैं। धारा ३ में सब की परिभाषायें आपको मिलेंगी, लेकिन यह जो कन्सालिडेटर को जोड़ा गया है, उसकी कोई परिभाषा नहीं दी हुई है। तो हम क्या समझें कि कन्सालिडेटर कौन सी बला है। किसी की भी परिभाषा न दी जाय, तो दूसरी बात थी। लिहाजा कन्सालिटेडेटर की परिभाषा का जोड़ना जरूरी है। बिना जोड़े विधेयक कैसे पूरा होगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—परिभाषा इसमें है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—आगे धारा २८ का बन्दोबस्त किया गया है, और २९ के जरिये से यह किया गया कि अगर किसी काश्तकार की जमीन किसी दूसरे के चक में चली जायगी, और उसमें उसकी फसल खड़ी है, तो उसको फसल को देखने और फसल को सींचने का अधिकार दिया जायगा। यह बात तो बहुत अच्छी लगती है, कि जिस किसान ने फसल तैयार की और उसी समय उसका खेत ट्रांसफर हो गया हो, और दूसरे चक में चला गया हो, तो उसकी कमाई हुई फसल उसके हाथ में चली जाय, जिसके हाथ में खेत दिया गया तो इस से उसको जरूर ज्यादा कष्ट हो सकता है, इसलिए उसकी इस कठिनाई को देखते हुए, संशोधन किया गया, लेकिन साथ ही साथ उस चकबन्दी या सहायक चकबन्दी अधिकारी को यह अधिकार दिया गया—और यह अधिकार जैसे पहले था, वैसे ही अब भी कायम है कि जिस फसल को वह चाहे उसके लिए तो व्यवस्था कर दे, और जिसको वह नहीं समझता है, उसमें वह फसल को भी ट्रांसफर कर दे, उसको जिसके पास उसका खेत भी चला जायगा, और फसल का प्रतिकर ९ महीने के अन्दर उसे दिला दे। नहीं देता है, तो १ रुपया सैंकड़ा सूद ले कर दिला दे। तो जहां तक फसल उसकी रहे, जिसने पैदा की, वह तो बड़ी सुन्दर बात है, अगर फसल उसको नहीं दिलायी जाती जिसने

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

पैदा की है, उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको पूर्ण अधिकार बिला किसी नियम या बिला किसी प्रतिबन्ध के पूर्ण रूप से चकबन्दी अधिकारी को दे देना कि वह जिसको चाहे फसल दिला दे, जिसको चाहे न दिलायें, मैं मुनासिब नहीं समझता। ऐसा होने से तो सब कुछ उनके डिस्क्रिसन पर रहेगा, और उनके पास बहुत से एप्रोवेज हो सकते हैं, सिफारिशें हो सकती हैं मैं समझता हूं कि उसके अन्दर कोई नियम होना चाहिए। सिद्धांत की बात तो यह है कि जिसकी फसल बोयी है, उसको मिले। जब तक कि वह फसल तैयार न हो जाय, तब तक वह जाय वहां, सींचे, काटे और ले। लेकिन अगर यही मुनासिब हो किसी दशा में, जैसा कि रामनरेश जी ने कहा कि मान लिया कि जब ट्रांसफर हुई तो ईख की फसल बोयी हुई है, तो इसके माने यह होंगे कि साल भर तक वह कमाता रहेगा, तो ऐसी दशा में यह मुनासिब होगा, कि जिसका खेत है, उसको देना मुनासिब है। लेकिन यह चीज कौन तय करेगा। कौन तय करेगा कि इतने महीने की ईख है, वह खेत के साथ चली जाय, और जो दूसरी क्राप्स हैं, वह किस स्टेज पर हैं वह खेत वाले को दी जायं, और किस स्टेज पर हैं कि जिसकी फसल हो, उसको दी जाय ? तो इसके लिए कोई नियम होना चाहिए। क्योंकि बिना इसके इसमें शिकायतें पैदा होंगी। और वह चकबन्दी शायद जैसे शानदार काम में बाधक हो सकती हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कन्सालिडेटर की परिभाषा के बारे में, कि मैं इतने दिनों तक क्या करता था कि मैं इतना भी नहीं जान पाया कि वह इसमें दी हुई है। सम्भव है कि मैं मिस कर गया हूं, क्योंकि यह तो मेमोरी की बात है। मैं कोई क्लेम नहीं करता कि मैं इसका एक्सपर्ट हूं, इस चकबन्दी वाले कानून का या और किसी भी कानून का लेकिन मैंने इसको जल्दी में देखा जरूर और जो धारा ३ में परिभाषा दी हुई है, तो उसमें सहायक चकबन्दी अधिकारी की परिभाषा देखने में आती है, चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी संचालक और दूसरी चीजें देखने में आती हैं, लेकिन. ..

श्री चतुर्भुज शर्मा—वह इसमें दिया हुआ है। आप तो जानते हैं, लेकिन यह चीज रह सकती है, आपके दिमाग में।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—हां, तो यह ठीक है। नियम में चकबन्दीकर्ता का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है। इसको छोड़ दिया। तो यह तो मौजूदा अधिनियम में है। यह देखने से रह गया। अगर मैंने इसको देखा नहीं और कहा कि होना चाहिये तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इतने दिनों तक रहा और मैंने देखा नहीं। इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने मूल अधिनियम में देखा, उसमें मेरी निगाह रह गई थी। चकबन्दीकर्ता, कंसालिडेटर की परिभाषा इसमें दे दी गई है। मैं जो कहता था कि होना चाहिये वह इसमें दिया गया है। तो उतना अंश में वापस लेता हूं। लेकिन जहां तक मैंने पहली बातें कही हैं, चकबन्दी के तात्पर्य को और भूमि की परिभाषा वगैरह को मैं चाहता हूं कि संतोषजनक उत्तर मिले और अगर वह खामी सही हुई और सदन भी समझता हो तो जरूर इस पर गौर करने के लिये और समय मिलना चाहिये ताकि यह खामियां दूर हो जायं।

श्री पहलवान सिंह चौधरी (जिला बांदा)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहल मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया उस समय जब कि ऐग्रीकल्चर का मामला पेश हुआ। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पढ़े लिखे भाई यह नहीं जानते कि खेती के कितने औजार होते हैं, लेकिन बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ चकबन्दी विधेयक बनाया है। इससे बढ़ कर कोई भी आदमी बढ़िया से बढ़िया विधेयक नहीं बना सकता है। चकबन्दी हो जाने के बाद देश की पैदावार बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति किसानों की अच्छी होगी। लेकिन हां, थोड़ी सी कमी

हो गई है कि संशोधनों के बाद यह कानून बड़ा पेचीदा बन गया है। जो पहला कानून था वह सीधा कानून था हर एक समझ लेता था। अब यह बारबार संशोधन पेश करने से कानून इतना टेढ़ा हो गया कि काश्तकार को अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा वकीलों को जरूर देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं। जिनका इस विधेयक में ध्यान नहीं रखा गया है। पहली चीज यह है कि मरुआ, मरुवा, काबर, रांझड़, पतली, ऊसर जो जमींनें हैं इनमें जो आबपाशी की दरें रक्खी गई हैं वे करीब करीब सब जमींनों के लिये एक ही हैं। जिस वक्त चकबन्दी होगी और किसी के हिस्से में मान लें कि पड़ुआ जमीन आ जाती है और यह पानी से जमती है, और वहां पानी नहीं पहुंचता तो उसमें सिवाय चने के अलावा और कोई चीज नहीं बोयी जा सकेगी। तो चना जहां पड़ुआ जमीन में बोया जाता है वहां पाला जरूर पड़ता है। तो उस काश्तकार को घाटा होगा। तो चकबन्दी के वक्त जो प्रबन्ध करेगा और पड़ुआ जमीन पड़े तो कुछ मरुआ जमीन भी दे दे ताकि उसके बच्चों की गुजर बसर हो सके। मरुआ, कछार जमीन जो है वह बहुत बढ़िया होती है और कावर जमीन में पानी बहुत कम लगता है। ऊसर जमीन में कुछ पैदा नहीं होता। तो श्रीमन्, जो कानून बनाया वह बहुत बढ़िया है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जो बांटने वाला हो उनके ऊपर अगर अमीन की नजर टेढ़ी रहे तो जो खेत काश्तकार को दिया जाय तो उनका बटवारा अब भी ठीक तरह से हो और काश्तकार को फायदा हो। मुझे यह कहना है दूसरी चीज कि अभी कहीं कहीं जिन काश्तकारों को जमींनदारों ने जमीन दी उनको लगान बढ़ा कर जमींन दे दी। उन काश्तकारों के लिये चकबन्दी में थोड़ा यह भी प्रबन्ध होना चाहिये कि जो जमीन का लगान बढ़ा हो तो उनको लगान के ठीक कराने के लिये दरख्वास्त खुद न देनी पड़े बल्कि चकबन्दी के साथ साथ ठीक कर दिया जाय। काश्तकारों को आम जनता को बहुत फायदा होगा इस तरह और अगर उन्हीं के ऊपर रखा गया कि वे ही दरख्वास्त देंवे तब उनका लगान दुरुस्त होगा तो इससे उनको अदालतों में काफी परेशानी उठानी पड़ेगी।

अब इसके बाद एक बात और बतलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही है, मैं उनको एक बात बतला देना चाहता हूं वह नेता जरूर हैं। हमारे भी नेता हैं और विरोधी दल के भी नेता हैं। लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि हमारे किसान समाज में सहकारी खेती बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। एक चीज होती है रिवाजदेही, जिसमें नियम लिखे रहते हैं। अगर लोहार है तो, बढ़ई है तो, नाई है तो, वह खलिहान में, जोतने में, बोने में सब में पार्टनर रहते हैं। जमींन के बटवारे की बात वह बार बार कहते हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूं कि भारतवर्ष में, हमारे उत्तर प्रदेश में जमीन का बटवारा कभी नहीं हो सकता। बटवारा हो जाने पर बैल कहां से मिलेंगे। बैल आप कहां से लायेंगे और मशीनें भी आपको नहीं मिलेंगी। मशीनों से अगर आप खेती करेंगे तो कुछ दिनों में खेती की पैदावार की शक्ति घट जायगी क्योंकि वह इतनी गहराई तक जोतती हैं कि जिससे आगे चलकर उस जमीन की सारी शक्ति ही समाप्त हो जायगी। इसलिये हमारा जो पुराना रिवाज है, बैलों से खेत जोतने का उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। अगर मशीनों से जोतेंगे तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जिस वक्त गहराई से जमीन जोती जायगी तो कुछ दिन ही वह काम देगी, बाकी कुछ दिनों के बाद उसकी सारी ताकत चली जायगी और वह नष्ट हो जायगी। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जमीन के बटवारे के चक्कर में वह कभी न पड़ें। यह बात सही है कि हमारे यहां जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन देनी चाहिए। जिस वक्त जमीन खाली हो तो पहला हक उस पर उन्हीं का होना चाहिए लेकिन जो बटवारे का सवाल है, वह बटवारा तो आप ही आप हो जायगा। जब यह नियम बना दिया जायगा कि जब जमीन खाली हो तो उन्हीं को दी जाय जिनके पास कि जमीन नहीं है तो उससे धीरे धीरे

[श्री पहलवान सिंह चौधरी]

उनके पास जमीन पहुंच जायगी। लेकिन अगर आप चाहें कि वह चीज आज ही हो जाय तो वह होने वाली नहीं है। किसी की जमीन छीन कर किसी को दी जायगी तो इससे आपस में मतभेद बढ़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, जो उन्होंने चकबन्दी का अधिनियम बनाया है और यह जो संशोधन वह लाये हैं, वह बहुत ही अच्छा है, इसमें किसी तरह की खराबी नहीं है, इसको वह पास करें। और एक चीज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कानून बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिये जिससे कि ग्रामीण भाइयों को वकीलों के दरबार में जाने की जरूरत न पड़े। सीधा सादा कानून बनाना चाहिए जिसे वह आसानी से समझ सकें।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)——आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चकबन्दी विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है उसका आशय, उसका उद्देश्य स्तुत्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस प्रकार जमींदारी एबालीशन ऐक्ट जब पेश किया गया उससे सब को आशा थी कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट से सब लोगों को लाभ होगा, पर ऐसा नहीं हुआ है, इसी प्रकार से इस ऐक्ट से भी यही आशा की जाती है कि जहां यह लागू होगा वहां इससे सब लोगों को लाभ होगा। लेकिन यह जिस ढंग से या जिस रूप में हमारे सामने पेश है वह हमारी समझ में नहीं आता कि उससे सचमुच में आम जनता का भी कुछ हित होगा या जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उन्हीं के लाभ के लिये है बिल लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच में जो इस विधेयक का टाइटिल है वह माननीय मौर्य जी ने बतला दिया कि उस टाइटिल का क्या अर्थ है और बाद में जो तात्पर्य करके इसकी परिभाषा 'भूमि' में यह जो एक स्पष्टीकरण उससे लिया गया है उसमें कितना अन्तर हो जाता है। इससे यह समझ में आता है कि यह बिल जो है वह कुछ सोच समझ कर या अध्ययन करने के बाद सामने नहीं लाया गया, बल्कि अधिकारी वर्ग को जो कठिनाइयां जिस रूप में मालूम हुई उनको उसी रूप में रख दिया गया। सन् १९५० के चकबन्दी बिल को सन् ५४ में भी संशोधन हुआ अब १९५५ में भी संशोधन हो रहा है। यह ठीक है कि स्कीम नयी थी, इसमें कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन ये कठिनाइयां ऐसी हैं जो यदि दूरदर्शिता से काम लिया जाता है तो सम्भवतः यह बिल बार बार सदन के सामने रखे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो चकबन्दी बिल से एक आशा सर्वसाधारण जनता लगाती है और अभी जहां चकबन्दी नहीं लागू की गयी है वहां भी लोग आशा को रखते हैं कि चकबन्दी होगी, लेकिन अगर इन्हीं अधिनियमों के अनुसार चकबन्दी सचमुच में हुई तो लोगों को क्या हित होगा यह कुछ ठीक समझ में नहीं आता। क्योंकि इसमें धारा १५ के अनुसार जिस आदमी की जमीन जिस हार या ब्लाक में आ गयी है उसी की अगर कुछ भूमि कहीं दूसरी जगह पर है तो उसको वह थोड़ी सी भूमि वहीं दे दी जायगी जहां कि उसकी अधिक भूमि है। इससे यह तात्पर्य हुआ, जैसा कि आज कल है, कि अच्छी से अच्छी जमीनें जो हैं अधिकतर जो पहले जमींदार थे या बड़े-बड़े काश्तकार थे उन्हीं लोगों के पास हैं और वह अधिकांश एक ही चक में थीं। लेकिन वहां से जिन लोगों के पास कुछ पैसा हो गया या कुछ छोटे मोटे काश्तकार किसी तरह से, चाहे बटाई के रूप में शिकमी के रूप में या खरीद कर आज एक छोटे खेत पर काबिज हैं या उनके नाम हो गये हैं।

अधिकतर उनकी जमीन रांगड़ है या ऐसी है जिस पर खेती अच्छी नहीं होती। तो इस ऐक्ट के अनुसार यह होगा जहां तक मैं समझा हूं, उन छोटे छोटे काश्तकारों की जमीन जिनके पास एक या दो खेत बहुत पहले अच्छे हैं यह बड़े काश्तकारों को मिल जायगी जिनके पास बड़े बड़े चक हैं और बड़ी अच्छी अच्छी जमीन पहले से है। इसका परिणाम होगा कि जो छोटे काश्तकार हैं जिनको अच्छा अनाज एक या दो खेत से मिलता है वह उससे वंचित कर दिये जायंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह १४ जिलों में लागू होने की स्कीम है, लेकिन यह हो सकता है कि किसी समय पूरे प्रदेश में लागू हो जाय और कहीं बुन्देलखंड में यह पहुंच गयी तो उपाध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे काश्तकारों को तो बहुत दिक्कत होगी। मैं समझता हूं कि एक नया रिऐक्शनरी बिल वहां पर आयेगा। जैसा मैंने बताया, छोटे छोटे काश्तकारों के पास वही जमीन है जिनको पहले जमींदारों ने या बड़े काश्तकारों ने नहीं जोता।

श्री चतुर्भुज शर्मा—किसी अमेंडमेंट में आया है। जो आप कह रहे हैं?

श्री जोरावर वर्मा—यह पहले ही अमेंडमेंट में आना चाहिये था, आया नहीं है। यह बिल ऐसा होना चाहिये था जिससे यह व्यवस्था हो सकती कि छोटे काश्तकारों के साथ न्याय होता। लेकिन इसमें यह व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा ये जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनके पास जो आज जमीनें हैं वह उनसे छिन जायंगी और उन्हीं को दे दी जायंगी जिनके पास अच्छी जमीनें हैं। दूसरी चीज यह है कि ८ अगस्त, १९४६ को जब यह ऐलान कर दिया था कि जो गांव में जमीन है अब उनके पट्टे, नहीं होंगे हालांकि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट जब पास हुआ, उसके अनुसार मई सन् ५२ से यह ऐक्ट लागू हुआ, तब से यह निश्चय किया गया कि अब जो पट्टे होंगे वह जायज नहीं होंगे। ८ अगस्त, १९४६ के बाद या मई, १९५२ तक या बाद भी जो लोग पहले बड़े काश्तकार या जमींदार थे या लट्ठबाज हैं, आज भी जमींन उनके अधिकार में है। अब जो रिकार्ड के ठीक करने का आन्दोलन चला उसमें माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये थे कि इस प्रकार की जमींनों पर जो नाजायज कब्जा है, उसके लिये जिन अधिकारियों के सुपुर्द यह कार्य किया गया था, उन्होंने न्याय नहीं किया और जो लोग काबिज थे उनको ही काबिज दर्ज कर दिया गया है तो जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के पास होने पर लोगों को आशा थी कि जो जमींन परती थी या गांव समाज में थी या गांव में लोगों के हित के कामों में आती थी वह अब गांव समाज के कार्यों में न आ सकेगी क्योंकि इसमें प्राथमिकता थी कि लैंडलेस लेबर यानी जो श्रमिक वर्ग हैं उनको यह जमींन बांट दी जायगी। इस प्रकार से जो यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें इस प्रकार की कोई गुंजायश नहीं है जिससे उन लोगों ने जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया है उनका कब्जा अलग कर दिया जायगा या वह जमींन सार्वजनिक हित के काम में आ सकेगी या उन लोगों को दे दी जायगी जिनके लिये संकेत जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भूमि की परिभाषा बदल दी गई है जैसा कि मौर्य जी ने कहा कि इसमें ग्राम समाज की भूमि सम्मिलित कर दी गई है। गांव समाज के अलावा स्थानीय अधिकारिणी में जो जमींन है वह भी इसके तहत में आ जायगी इस प्रकार से जो सार्वजनिक उपयोग की जमींन थी जिसको आज तक गांव समाज में या स्थानीय अधिकारिणी में निहित किया गया था वह भी अब इस विधेयक के अन्तर्गत चकबन्दी में ले ली जायेगी और इन तमाम बातों का निर्णय करने के लिये जो हमारे सामने धारा ५ रखी गई है उसमें अधिकार असिस्टेंट कंसोलीडेशन आफिसर को होगा।

पहले इस ऐक्ट में गुंजायश थी कि अगर किसी के साथ अन्याय हो तो वह अपील कर सकता था लेकिन अब इस ऐक्ट के अनुसार सहायक कंसोलिडेशन अधिकारी

[श्री जोराबर वर्मा]

को इतने अधिकार दे दिये गये हैं कि उसका निर्णय जो है उसको सिविल कोर्ट के बराबर कर दिया गया है। इस प्रकार की जमींन लेने में यदि कोई आनाकानी करे, अपमान करे या प्रतिरोध करे या किसी प्रकार की बाधा डाले तो उनका निर्णय अनचेलेंज्ड होगा और उनको वही अधिकार होगा जो डिग्री सम्पादन करने में सिविल कोर्ट को होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो पहला प्रतिबन्ध है वह बहुत अच्छा है कि जिन लोगों की जमींन कंसोलिडेशन में आ जायगी अगर वह भूमि पर खेती किये हुये हैं तो जो उनकी उस पर फसल है उसको पाने का वह अधिकारी होगा। लेकिन जो इसका दूसरा प्रतिबन्ध है और वह यह है कि—"उन दशाओं में जब कोई व्यक्ति पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के अनुसार खड़ी फसलों को पालने पोसने और एकत्रित करने का अधिकारी हो तो वह उस व्यक्ति को जिसे भूमि प्रदिष्ट की गई हो, भूमि के प्रयोग के लिये फसल के प्रकार का ध्यान रखते हुये ऐसे प्रतिकर का देनदार होगा जो नियत किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो असिस्टेंट कंसीलीडेशन अधिकारी हैं इनको सारी शक्ति दे दी गई है। हमारे यहां जो गांव समाज बने हुये हैं या भूमि समितियां बनी हुई हैं, उनसे अब कोई सलाह मशविरा लेने की व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं जनतांत्रिक प्रणाली में यह जो निर्वाचित समिति है या निर्वाचित लोग हैं, उनके गांवों की समस्याएं हैं, लेकिन उनकी राय न ली जाय और यह जो पेड अधिकारी हैं वही सब कुछ हों तो मैं समझता हूं कि यह न्यायोचित नहीं है। अभी जब सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में यहां पर लोगों ने आलोचना की उस समय सदन अवगत हो गया होगा कि अधिकारी वर्ग ले देकर लोगों को साथ न्याय नहीं करता है और पथभ्रष्ट हो जाता है। इससे यह अन्दाजा लगाना कि यह लोगों के साथ न्याय कर सकेगा बहुत ही मुश्किल है। इसलिये अधिक अच्छा यह होता कि जिस समय निर्णय देने की व्यवस्था होती कि किसको जमीन दी जाय, कहां से जमींन दी जाय उस समय गांव सभा के लोग भी उसके साथ अवश्य होने चाहिये। मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे। और यदि वह राजनारायण जी के संशोधन को स्वीकार न करें तो इस प्रकार के संशोधन को वह किसी के द्वारा स्वयं लायें जिससे इन तमाम बातों पर प्रकाश पड़े और कुछ लोगों का हित हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में माननीय राजनारायण को सुना, माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य को सुना और अभी जो जोरावर वर्मा जी फर्मा रहे थे उसको भी सुना। चकबन्दी में जमींन कहीं मिलेगी, किस तरह से जमींन कहां मिलेगी उसको जो जैसी जमींन होगी और जिस किस्म की होगी उसकी वैल्यू सरकार लगायेगी। इसके साथ में गांव का पंच रहेगा। मुखिया भी रहेगा और गांव के वह किसान भी उसके साथ में रहेंगे, सरकारी अफसर भी रहेंगे पटवारी भी रहेंगे और कानूनगो भी रहेंगे। यह एक प्रकार से सम्मिलित कार्य होगा और कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं होगा। यह कोई लूट खसोट का दरवाजा नहीं होगा कि जिसके जी में आवे जो लूट करे। अगर कोई सो जाय और बिल्ली खाना खा जाय तो उसके वही जिम्मेदार होंगे जो सो जायंगे। गवर्नमेंट इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगी मैंने हाउस में बैठे हुये मौर्य जी को सुना। मौर्य जी इसी विभाग के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। अगर वह इसकी आलोचना करते हैं तो यह सेल्फ कंडमनेशन की बात है। जो इसके खुद जिम्मेदार हैं अगर वही इसको कंडेम करें तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हो सकता है। आपने जमींदारी एबालिशन को बनाया, यह सारा चकबन्दी का कानून

भी आपका ही बनाया हुआ है। आप तमाम कमेटियों में रहे हैं यह मैं जानता हूं। तो यह देखकर मुझे दुःख होता है। बात यह है कि जब मैं उनको सुन रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मौर्य जी किसी बड़े आदमी की वकालत कर रहे हैं। हमारे वह नौजवान मंत्री हैं जिन्होंने आज चकबन्दी का कानून हमारे यहां पास करा कर कार्य प्रारम्भ कर रखा है और जिन्होंने प्रान्त के अन्दर जमींदारी का विनाश करके प्रदेश के अन्दर इन्कलाब पैदा किया है। आप जानते हैं कि उन्होंने हमारे प्रदेश के अन्दर राजे महाराजों का सामना किया और अपना कदम उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी सदन के अन्दर मैंने कहा था कि हमारे माल मंत्री चरण सिंह जी इस प्रकार के हैं जो टोडरमल की तरह से अपना कार्य करते हैं। वह किसानों के हमदर्द हैं। आप गली गली जाइये और देखिये लोग उनके प्रति कितना प्रेम रखते हैं। वह हमारे यहां बस्ती में गये थे और लोगों ने उनसे कहा था कि जंगल लोग काट रहे हैं। हमने क्रटिसाइज किया था। इसके साथ साथ एम० एल० ए० ने उनको बताया भी था लेकिन वह उस वक्त नहीं माने। बाद को उन्होंने सोचा और इस चीज को सामने लाये। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आब गांव की क्या हालत है। हमारे घर की पीछे की तरफ एक खेत है जो बिल्कुल पड़ोस में ही पड़ता है। वहां पर उसने काटे लगा लिये हैं और कोई आदमी वहां से निकल नहीं सकता है और वह जमींन गांव समाज की है लेकिन उसने अपने कब्जे में कर लिया है। आज गांव वाले क्या कारोबार करें किस तरह से अपना निर्वाह करें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज सभापति बन कर सारे गांव की जमींन पर लोग कब्जा करना चाहते हैं। कहीं पर हरिजनों को नहीं मिलती है। कोई अपने रिश्तेदार को दे देता है। गवर्नमेंट उनकी चकबन्दी करने जा रही है उनकी तरफ अपनी निगाह सरकार कर रही है। १९५२ में जितनी जमींन लिखी हुई थी और जितनी जमींन खाली थी उनको चकबन्दी करके चरागाह के लिये निकाल दिया जाय। मैंने देखा है कि ५० के बाद कितनी परती जमींन थी जहां पर गायें चरा करती थीं लेकिन उनको लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है। नारा लगाते हैं गो-बध बन्द करने का लेकिन जो लोग गो-बध बन्द करने का नारा लगाते हैं वह चरागाहों को जोतना चाहते हैं। चमार नहीं जोतता है, यह नहीं हो सकता है कि किसी और को दूसरे के खेत दे दिये जायं। मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट यह कर रही है कि जिसके पास जो खेत है उसको वह दे दिया जाय। हमारे अफसर सुल्तानपुर में चकबन्दी कर रहे हैं। वहां की जो प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज हमारे सामने आती है उनका ध्यान रखते हुये हम संशोधन करते चलते हैं। हमारी गवर्नमेंट जनता की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जब कभी जनता को कोई कष्ट होगा वह उसके अनुसार कानून में संशोधन करेगी, नये कानून बनायेगी। यह मनु का कानून नहीं है। यह प्रजातन्त्रवाद है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में हमेशा चेन्ज हुआ करती है। आज अगर हम इस मिनिस्टर को बदलेंगे तो कल उसको। जमाने में साथ साथ बदलते जायेंगे। धन धरती का प्रश्न हम जमाने को देख कर ही लाये। लेकिन जब हम बांटने लगते हैं तो जोरावर वर्मा जी भी उसमें विरोध करते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि चकबन्दी करेंगे। एक जगह लोगों के खाते हो जायंगे तो मुनाफा अधिक होगा। एक खेत इधर है दूसरा उधर है। जब तक वह दूसरे खेत पर जाता है एक खेत उसका बरबाद हो जाता है। इसलिये जब चकबन्दी हो जायगी तो उसका एक ही लड़का ईख को भी रखा लेगा और जोन्हरी को भी। हमारे दोस्त क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन कोई सजेशन नहीं देते। जो एक्चुअल बात हो उसी को कहना चाहिए। कहा जाता है कि यह बात नहीं है लेकिन परिभाषा उसमें मौजूद है, अगर उन्होंने पढ़ा होता तो ऐसी बात वे न कहते। उपाध्यक्ष महोदय, हमें नारा नहीं लगाना है, काम करना है। नाउ दी टाइम हैज कम टु मार्च आन। इफ यू कम दैन इट इज आल राइट, इफ यू० डू नाट कम वी शैल मार्च ऐलोन। इसी तरह हमने जमींदारी अबोलीशन किया और अब चकबन्दी करने जा रहे हैं।

[श्री शिवनारायण]

आपके लिये कहीं जगह नहीं है इसलिये आप परेशान होते हैं । गवर्नमेंट जो कर रही है वह मुनासिब कर रही है।

अब सरकार से मैं एक बात कहना चाहता हूं गांवों में जो बटवारों के झगड़े हैं उनको अलहदा लिया जाय। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं बेवायें हैं और उनका भतीजा कहता है कि उसके खेत हमारे पास कर दिये जायं तो इस बात का ख्याल कर लिया जाय। आप अपने आफीसरों से कहें कि गांव वालों की और मुखिया लोगों की इस बारे में सलाह ले लें। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये कि जनता हमसे किसी प्रकार से नाराज हो। हम ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि सरकार के केवल एक विभाग को छोड़कर सब विभागों में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। आफीसर लोग रात दिन काम कर रहे हैं। प्रेक्टिकल काम हो रहा है, हम झगड़ा नहीं करते हैं, हम काम करना चाहते हैं। हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है, हमें गवर्नमेंट चलाना है, लेकिन आप घर फूंक तमाशा चाहते हैं, सरकार जो चकबन्दी विधेयक लायी है वह मुनासिब है । मैं इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सरकार सही मानों में जल्द से जल्द इसको समाप्त कर दे और इसी में हमारे प्रदेश का कल्याण है।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---एक भाषण के बाद में मैं यह प्रस्ताव ले लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी श्री राजनारायण जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय रामनरेश शुक्ल ने यह कहा कि यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक है और उसको प्रवर समिति में भेजना अनुपयुक्त होगा, समय का नुकसान होगा और जहां चकबन्दी हो रही है उसमें भी विलम्ब के कारण नुकसान होगा। श्रीमन्, छोटा सा संशोधन विधेयक होता है और उससे भी यदि प्रांत की जनता का और खासकर जहां चकबन्दी होती है उससे नुक्सान पहुंचने वाला हो तो मैं तो जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा माननीय राम नरेश शुक्ल जी से और उनकी पार्टी के लोगों से कि उस पर तो और भी ज्यादा संजीगदी और गम्भीरता के साथ विचार करके तब निर्णय करना चाहिये। श्रीमन्, बहुत छोटा सा जहर होता है और उस जहर को कोई खा लेता है तो वह मर जाया करता है । उसी तरह से मैं समझता हूं कि यह विधेयक है माननीय मौर्य जी ने कहा है कि मूल अधिनियम से भी बदतर यह संशोधन विधेयक है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि मूल जो अधिनियम बनाया गया है और उसके बनाने के बाद बार-बार जो संशोधन होता चला जा रहा है वह संशोधन यही बतलाता है कि सरकार कुछ व्यक्ति विशेष के कारण या दल से प्रभावित होकर बारबार इस तरह के संशोधन लाती है। श्रीमन्, आप ख्याल करेंगे कि उसके उद्देश्य में कहा गया है "(२) ज्यों-ज्यों उक्त दोनों तहसीलों में काम आगे बढ़ा यह प्रतीत हुआ कि कार्य को और शीघ्रता से करने तथा विधि संबंधी भ्रम और उसके दुरुपयोग की समस्त संभावनाओं के निराकरण के लिये भी कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं। इसी प्रयोजन से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उद्देश्य और कारण जो इस विधेयक में प्रस्तुत किया गया है उसी से मैं माननीय उपमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये उद्देश्य और कारण ही बतलाते हैं कि जहां जहां चकबन्दी हो रही है उसमें कमियां और खामियां दिखलाई देती हैं और उन्हीं खामियों और कमियों को दूर करने के लिये संशोधन विधेयक लाया जाता है । क्या माननीय उपमंत्री जी यह बतला सकते हैं कि इस संशोधन विधेयक के बाद चकबन्दी पर फिर कोई दूसरा संशोधन विधेयक नहीं आयेगा । अगर वे यह कहने के लिये तैयार हों तब तो मैं यह कहने को तैयार हो सकता हूं कि जरा भी देर न होनी चाहिये और इसको तुरन्त पास हो जाना चाहिये । लेकिन मेरा ख्याल है कि माननीय उपमंत्री जी यह कहने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्रीमन्, जब जब दिक्कतें सरकार के पास आती हैं, या सरकार के अधिकारियों के पास आती हैं, तभी संशोधन लाया जाता है। मेरा यह कहना है कि अगर इस बिना पर कि जब-जब कठिनाइयां सामने आती हैं उसी बिना पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत होता है तो मैं तो यह कहूंगा कि जिन जिलों में चकबन्दी हो रही है उन जिलों के माननीय सदस्यों, और इस हाउस के कुछ माननीय सदस्यों और अधिकारियों की मिली जुली एक प्रवर समिति बनायी जाय जो दो चार दिनों में ही संशोधनों पर विचार विनिमय करके अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो मेरा विश्वास है कि ऐसा होने के बाद हर आदमी समर्थ हो सकता है कहने क लिये कि शीघ्र अब संशोधन न आवे। लेकिन इसको माननीय उपमंत्री जी मानने के लिये तैयार नहीं हैं। केवल दो ही वर्ष के अन्दर दो बार संशोधन लाये गये। श्रीमन्, जहां-जहां चकबन्दी हो रही है उसमें किसी गांव की चकबन्दी पूरी नहीं हो सकी है और तीसरी बार संशोधन लाने की तैयारी इस सदन में कर दी गयी है। मेरा विश्वास है कि उन दोनों तहसीलों में चकबन्दी समाप्त होने के पहले हो सकता है कि फिर संशोधन विधेयक लाना पड़े। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि अगर यह परिभाषा सही है और इस से माननीय मंत्री जी प्रभावित हैं तो जरूर उसको रखें। उपाध्यक्ष महोदय, इस में कहा गया है कि "भूमि जो उस वर्ष के, जिसमें क्षेत्र के संबंध में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी की गई हो ठीक पहले के कृषि वर्ष में बाग थी" माननीय मौर्य जी ने बहुत तफसील से इस विषय में विवेचना की। एक बात मैं भी कहना चाहता हूं और वह यह है कि पहले मूल अधिनियम में बाग चकबन्दी से अलग थे और फिर दूसरे संशोधन में बाग मिला दिये गये। श्री राम लखन मिश्र ने कहा है कि जब बाग चकबन्दी में ले लिये गये तो जहां-जहां चकबन्दी शुरू हुई वहां-वहां लोगों न बागों को लगाना शुरू कर दिया तो क्या मैं उनसे कुछ पूछ सकता हूं कि आज जो संशोधन बिल आया है उस से उन व्यक्तियों पर क्या यह असर नहीं पड़ेगा कि जहां चकबन्दी शुरू होने वाली है वहां बाग लगने लगें। आप जानते हैं कि सन् ५० में जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया तो उससे पहले ही जब ऐसे कानून की चर्चा थी कि जमींदारी खत्म होगी तो मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि इसी प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन कानूनी और गैरकानूनी तरीके स किसानों से छीन ली गई जो नहीं छीननी चाहिये थी। तो क्या यह कहना उचित न होगा कि इस संशोधन से जहां पर बाग नहीं लगे हैं वहां पर दो चार साल तक जब तक चकबन्दी खत्म होगी तब तक इन चार पांच साल के अन्दर ऐसे लोग जो बड़ी-बड़ी जमीनों के रखने वाले हैं वह उन खेतों पर जिन पर झगड़ा है बाग लगा लेंगे और वह लगावें या न लगावें लेकिन कागज में इन्द्राज तो करा ही लेंगे। मुझे विश्वास है कि श्री राम लखन मिश्र हमारा साथ देंगे और हमारे संशोधन से सहमत होंगे। जब यहां जमींदारी संशोधन बिल पास हुआ था उस समय भी उन्होंने हमारे संशोधन का समर्थन किया था और मेरा विश्वास है कि जिस तरह से उस समय उन्होंने हमारे संशोधनों का समर्थन किया उसी तरह से वह इस समय भी खुलकर हमारा साथ देंगे अगर इस चीज को माना जाता है तो लाखों एकड़ जमीन इस प्रदेश में ऐसी होगी जिस पर लोग बाग लगाते जायंगे और यह समस्या ठीक से हल न हो सकगी। अगर माननीय उप-मंत्री जी इस समस्या को महसूस करते हैं तो वह इस बिल को अवश्य ही प्रवर समिति में भेजें।

दूसरे संशोधन को देखकर तो मुझे जरा सी प्रसन्नता जरूर हुई कि बाढ़ एवं कटाव की जमीन की चकबन्दी न होगी। प्रसन्नता मुझे इस माने में हुई कि मैं उस देहात का रहने वाला हूं जहां हर साल बाढ़ आती है और जमीन कटती रहती है। कुछ परेशानी हमारे ऐसे जनसेवकों की दूर होगी क्योंकि उनको और किसानों को इस प्रकार के कामों में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस संशोधन विधेयक में मंत्री जी ने यह शामिल कर लिया होता कि चरागाह की जमीन ऊसर जमीन और ताल तलैया की जमीन चकबन्दी में नहीं ली जायेगी। लेकिन जब इसके लिये नीचे देखता हूं कि ताल तलैया की जमीन ली जा रही है, चरागाह लिये जा रहे हैं वह जमीन जिस में खलिहान होते हैं उसको भी लेने की तैयारी कर रहे हैं तो मैं हैरत में पड़ता हूं कि आखिर इस संशोधन विधेयक को लाने का क्या कारण है? माल मंत्री चौधरी चरण सिंह सदन में इस समय नहीं है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उपमंत्री जी उनकी ओर से जवाब

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

देंगे। श्रीमन्, इसमें कहा गया है कि भूमि जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन गांव समाज में या स्थानिक अधिकारिकी में निहित हो उसकी भी चकबन्दी होगी। सन् १९५० के पहल कितनी जमीन गांव समाज की हो सकती थी और आज कितनी है, कितनी जमीन परती थी, कितने चरागाह थे। और आज कितने है मेरा ख्याल है उपमंत्री जी को अवश्य मालूम होगा। श्रीमन्, मैं भली प्रकार दावे के साथ और विशेषकर अपने जिले के संबंध में कह सकता हूं कि शायद ही कोई गांव समाज ऐसा हो जिसमें ५ एकड़ या १० एकड़ जमीन हो। ५० के बाद सारे ताल तलैया, चरागाह, खलिहान, कब-रिस्तान उन लोगों ने पटवारियों के कागज में अपने नाम लिखा लिये हैं जो इस वक्त भी ताल तलैया और खलिहान हैं। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के धारा २१२ में जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि इस तरह की जो सार्वजनिक जमीनें हैं उनके लिये नोटिस दे कर और गवाहियां ले कर गांव समाजों को दे सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उपमंत्री जी से कि जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है क्या उसके पास होने के बाद जिलाधीश उन जमीनों को गांव समाज को दे सकेगा। मेरा विश्वास है कि वह नहीं दे सकेगा। और एक भी केस आजमगढ़ जिले में नहीं है जहां दफा २१२ के अधीन कलेक्टर ने भूमि गांव समाज को दी हो। जब गांव समाज को ऐसी जमीन दी नहीं गई ह और कुछ व्यक्तियों के कब्ज में कागज में ह तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी चकबन्दी होगी तो किसके लिये होगी। माननीय शिवनारायण जी इस सदन में इस समय नहीं हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ होती है जब आदमी अपने देश और अपन प्रदश, अपनी सरकार और अपनी जनता की वफादारी को भूल जाता है। माननीय शिवनारायण जी आ गये हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक के पास हो जाने के बाद जरा वे बतायें कि जिस गांव के वे रहने वाले हैं उसमें गांव समाज से कितनी जमीन भूमिहीनों को मिलने वाली है। इसका जवाब शिवनारायण जी नहीं दे सकते। एक भी बिस्वा जमीन गांव समाज के पास नहीं है, जो भूमिहीनों को दी जा सके। या तो भूतपूर्व जमींदारों के पास है या उन लोगों के पास है जिनके पास जमीनें हैं। भूमिहीनों के पास जमीन नहीं है, गांव समाज के पास जमीन नहीं है, जो वितरित की जा सके तो इस चकबन्दी से उनको कैसे लाभ होने वाला है।

इसके अतिरिक्त भूमि की परिभाषा जो माननीय मौर्य जी ने की है मैं इसमें कोई संकोच नहीं करता कि उन्होंने निष्पक्ष हो कर उन लोगों की पैरवी की है जो सही माने में भूमिहीन हैं और उन लोगों की मुखालिफत की है जो मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन के बहाने अपनी जमीन को ले लेंगे और चकबन्दी नहीं होने देंगे और वैसी जमीन चकबन्दी में होने देंगे जो ऊसर होगी। मत्स्य संवर्द्धन और कुक्कुट पालन योजनायें वे अच्छी-अच्छी जमीनों पर चालू कर देंगे और उसके बाद माननीय शिवनारायण जी जानते होंगे कि मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन योजनाओं से हमारे प्रदेश में जो चल रही है उनसे उनको कितना लाभ हो रहा है। इस तरह से इस अधिनियम के पास होने के बाद हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। श्रीमन्, आप देखें इसमें लिखा है "सम्बद्ध खातेदार की जोत का भाग जो उसके मकान या अन्य तत्सम रचना का स्थल हो।" बहुत से लोग १० एकड़, ४ एकड़ या दो एकड़ जितनी औकात रहती है उसके मुताबिक जमीनों को घेर लेते हैं और उस चारदीवारी में खेती होती है, बाग भी लगाते हैं और इस तरह से उसकी भी चकबन्दी नहीं होगी। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फिर चकबन्दी किसकी होगी। जब इतनी सहूलियत उन लोगों को दी जाती है तो फिर गरीब आदमी उसमें पीसा जायगा।

माननीय पहलवान सिंह ने श्रीमन्, कहा कि इस सारे प्रदेश या देश में जमीन का बटवारा हो ही नहीं सकता। मैं क्या कहूं, माननीय पहिलवान सिंह जी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। वे कांग्रेस समिति के, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को नहीं पढ़ते, कांग्रेस कमेटियों के प्रस्ताव को नहीं पढ़ते। एक सीमा निर्धारित की है कि बगैर बटवारे के हमारे देश का कल्याण

नहीं है। लेकिन वे इसको इसलिये नहीं मानते कि संयोग से यह विभाग जिस व्यक्ति के हाथ में दिया गया है वह व्यक्ति सरकार के इरादे से नहीं, कांग्रेस के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने मन से इस सदन में ऐलान किया करते हैं कि जमीन के बटवारे की कोई समस्या इस प्रदेश में नहीं है। श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं.....

श्री चतुर्भुज शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से माफी चाहूंगा। इस विधेयक में कोई संशोधन नहीं है और काफी इस विधेयक पर बहस हो चुकी है। मैंने प्रार्थना भी की है माननीय विरोधी दल के नेता से कि वह इसमें ज्यादा से ज्यादा १० मिनट लगायेंगे और यह विधेयक पास कर दिया जायगा। कल भी बहुत सी चीजें आपने रख छोड़ी हैं। लिहाजा मैं यह संकल्प करता हूं कि जब तक यह विधेयक पास न हो यह सदन बैठे।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री राजनरायण के खड़े होने पर) मैं समझता हूं कि इसमें तो अब कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। यह समाप्त हो ही जायगा।

श्री राजनारायण--जब प्रश्न आ गया है तो उस पर विचार प्रकट करना ही चाहिये। मैं निवेदन कर दूं कि इस सदन के कार्यक्रम के संबंध में रामनारायण जी से और माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जी से काफी बातें हो चुकी हैं कि कौन-कौन से विधेयक आयेंगे। इस पर चर्चा हो चुकी है। अब माननीय मंत्री जी उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं तो हम तो उसमें असमर्थ हैं। फिर श्रीमन्, आप देखते हैं कि कल एप्रोप्रियेशन बिल पर जो भी सदन में चर्चा हुई उसकी दो चार लाइनें भी बाहर के पत्रों को नहीं जा पाई कि एप्रोप्रियेशन बिल पर क्या लोगों ने सम्मति प्रकट की समाचार पत्रों को भी बड़ी मुसीबत हो जाती है, यह पत्रकार लोग बैठते हैं सवेरे से और जब रोज-रोज ५ बजे के बाद समय बढ़ाया जाता है तो उनको बड़ी आपत्ति होती है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हम इसमें संशोधन देंगे और कुछ संशोधन हमारे लिख कर गये भी हैं। तो यह तर्क न रखा जाय कि संशोधन नहीं है। हम तो इस पर सामान्य विवाद किये हैं। आज समय समाप्त हो रहा है, हम इसलिये संशोधन देंगे बाद में और अगर कोई इस तरह का तर्क रखा जायगा तो हम उसे काटने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर समय इस तरह की बात रखना उचित नहीं है। हमारी तो सरकार से बातें हो चुकी हैं उसको मानना पड़ेगा ही लेकिन माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव उसके, उन बातों के विरुद्ध जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री चतुर्भुज शर्मा से) आप प्रेस नहीं करते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैं तो कहता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं तो बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं कहता हूं कि आप बैठ जायं। आपने मौका दे दिया कि वह एक संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत करें। वह पेश हो चुका है और मैं इस पर सदन की राय ले लूंगा।

श्री राजनारायण--फिर मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि आगे से सरकार से हमारी कोई बात चीत समय के बारे में नहीं होगी और उसके लिये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर इस तरफ कोई प्रस्ताव आयेगा, माननीय रामनरेश जी से जो हमारे सामने हैं और माननीय उपनेता सदन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम से कोई बात होती है तो उस पर कायम रहा जाय। अगर शक्तिबल का प्रयोग किया जायगा तो हमारी भी लाचारी होगी।

श्री उपाध्यक्ष--जो प्रस्ताव मेरे सामने है, उस पर सदन की राय लेना मेरा कर्त्तव्य है

श्री रामनारायण त्रिपाठी--आपका कर्तव्य तो है लेकिन उस प्रस्ताव की आज्ञा देना और न देना आपके अख्तियार में है। अगर ऐसा न होगा तो सरकार की धांधली को कौन बतायेगा। ऐसे समय में सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आ जाय और आप समय बढ़ाने की

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अनुमति दे दें तो हमारे साथ ज्यादती होगी। मेरी राय में तो आप इसकी अनुज्ञा ही न दें। दूसरे, प्वाइन्ट आफ आर्डर में रेज करता हूं कि इस समय ५ बजकर १ मिनट हो गया है....

श्री उपाध्यक्ष--लेकिन यह प्रस्ताव तो सदन के सामने आ चुका है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अनुज्ञा देने का ही तो प्रश्न था। आप अगर मजबूर करेंगे सदन छोड़ देने के लिये तो मजबूरी है।

श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, अब ५ बज चुके हैं और कोई प्रस्ताव इस समय नहीं लाया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष--यह प्रश्न उपस्थित किया जा चुका है और मैं १,२ मिनट का समय दे सकता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीय उपमंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और यह तो प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करने की कोई बात नहीं थी। मैं तो समझता हूं कि वैधानिक तरीके से इसको अस्वीकृत करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--बजाय इसके कि मैं इस पर कुछ कहूं आप आपस में बातें करके इसको तय कर लें। अगर समझौता हो सकता है तो ठीक है। आप सोच लें इसमें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का सवाल नहीं किया था, एक संकल्प प्रस्तुत किया था सदन में और मेरे खयाल में मैंने पहले दरख्वास्त भी कर दी थी माननीय विरोधी दल के नेता से और उसके लिये ५ मिनट से ज्यादा उनको कंसीडर करने के लिये भी दिये। मुझे मालूम होता है कि उनकी वह समझ में नहीं आया। यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, यह संकल्प है और इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर सदन की राय ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--एक संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत हो चुका है। मुझे सदन की राय लेना चाहिये।

प्रश्न यह है कि आज इस विषय पर.....

श्री राजनारायण--आप इस पर राय ले रहे हैं तो संशोधन लाने का भी मौका दीजिये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--प्वाइन्ट आफ आर्डर। अब आप खड़े हुये हैं तो दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष--इसके लिये समय नहीं है और संशोधन हर समय आ सकते हैं।

प्रश्न यह है कि आज सदन का समय बढ़ाया जाय जब तक कि यह विधेयक समाप्त न हो जाय।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--लेकिन वोटिंग ५ बजे के बाद हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं उस पर अपना फैसला दे चुका हूं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो समय बढ़ाना चाहिये तब प्रस्ताव आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--समय बढ़ाने के लिये ही प्रस्ताव हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम हुआ है कि माननीय राम सुन्दर पांडेय जब भाषण कर रहे थे तो माननीय उप-मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया अगर

आप देख लें रिपोर्ट तो मालूम होगा और तब न्याय होगा कि जब व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने कहा तब राम सुन्दर पांडेय जी बैठे। आप, जिस रिपोर्टर ने लिखा हो, उसकी रिपोर्ट देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आज सदन का समय इस विषय पर पूरा विचार होने तक बढ़ाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१०२
विपक्ष में--१५)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब तो प्रस्ताव पास हुआ और सदन विचार करेगा मगर चूंकि राम नरेश शुक्ल जी इस समय आ गये हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और उनके द्वारा इस सदन के नेता से और उप-नेता से कि माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी को जो सदन में वचन दिया गया था कि नियमित रूप से इस पर विचार होगा चकबन्दी पर और इस पर विचार हो जाने के बाद ही कोई दूसरा विधेयक लाया जा सकता है, सरकार की ओर से उस वायदे का हनन किया गया। तो मैं चाहूंगा कि अब तो इस सदन में कोई ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि जो कुछ भी वह चाहेंगे, बहुमत के बल पर करवा लेंगे। मगर यह आज हुआ क्यों? आज एक दूसरा हमारा तर्क और था कि आज तो इस पर सामान्य विवाद हुआ, हमको संशोधन देने का मौका मिला भी नहीं, और मैं संशोधन आज आपको दे रहा था और माननीय मन्त्री जी से भी मैंने निवेदन किया आपके द्वारा कि हम संशोधन दे रहे हैं, संशोधन देंगे और कल विचार करने के लिए संशोधन आयेंगे मगर सरकारी दल इस बात पर तुला हुआ था कि हम संशोधन भी न दे पायें ताकि सरकार की खामियां, उसकी कमियाँ अच्छी तरह से प्रकट भी न हो पायें। तो जब सरकार चाहती है, कि बिलकुल बहुमत के बल पर जो चाहे कर ले, तो ऐसी हालत में हमारे लिए इस सदन में उपस्थित रहना सम्भव नहीं है। इसलिए इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(इस अवसर पर विरोधी दल के सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

श्री चतुर्भुज शर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस छोटे से संशोधन के बारे में जो बहस यहां की गयी, वह ज्यादातर तो इस से ताल्लुक रखने वाली नहीं थी। विधेयक तो एक छोटा सा है, और उसमें कुछ त्रुटियां रह गयी हैं, उनको दूर करने की बाबत यह चीजें कही गयी हैं, ऐसी बातें तो वह थीं नहीं। इसलिए मैं ज्यादा जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। दो एक बातें, जो माननीय मौर्य जी ने कही थीं, उनका मैं जवाब थोड़ा सा देना चाहता हूं। खाते की और भूमि की परिभाषा में थोड़ा सा जो उनको गड़बड़ मालूम होता है, वह एक वजह से मेरे ख्याल में है कि चकबन्दी योजना और चकबन्दी दो चीजें हैं। चकबन्दी योजना तो जहां है, उस में तो रास्ता भी होगा, जैसा दफा १४ में दिया गया है, रास्ता बनाने के लिए जगह होगी, खलियान के लिए जगह होगी और चीजों के लिए जगह होगी, वह सारी चीजें चकबन्दी योजना में की जायंगी। तो जोतों का, कन्सालिडेशन एक बात है और सारे गांव को एक अच्छा रूप लाना, यह चकबन्दी योजना में आता है। तो जहां योजना है, वहां भूमि की परिभाषा करना जरूरी है, इसलिए भूमि की परिभाषा इसमें की गयी है, जोत की परिभाषा वहां जहां होल्डिंग्स का आता है, उसकी परिभाषा है। और जो उन्होने बात कही कन्सालिडेटर की वह तो उन्होंने मान लिया कि परिभाषा उसकी दी हुई है। बाकी जोरावर वर्मा जी ने जो बातें कहीं, उनमें एक तो उन्होंने यह कहा कि गरीबों को कोई जमीन नहीं मिलेगी। तो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि जमीन की मालियत के हिसाब से बटवारा होगा, तो उसमें उनको कम जमीन मिलने की गुंजाइश है। लेकिन उनको तो जो उनके खेत होंगे, उन्हीं के पास खेत मिलेंगे। एक से ज्यादा चक हो सकते हैं, किस्म जमीन के ऊपर तीन-तीन चक होंगे। तो जहां-कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, तो वह मालियत के हिसाब से होगा। तो यह चीज नहीं है, कि उनको जमीन कम मिले। दूसरी चीज उन्होंने यह कही थी जोरावर जी ने और मौर्य जी ने भी कही

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

थी कि गांव समाज की भूमि और लोकल अथारिटी की जो भूमि है, वह भी ले ली जायगी। तो ले लिये जाने का कहां सवाल है ? जो जमीन जिसकी है, जितनी है, उतनी उसको दी जायगी, वह चाहे लोकल अथारिटी की हो, चाहे गांव समाज की हो। जिसकी जितनी जमीन होगी, उतनी उसको मिलेगी ही। अगर गांव समाज की जमीन है, रास्ता है, तो वह तो रहेगा ही, उनके पास। लेकिन रास्ता अच्छा बनाने में रास्ता अगर किसी चक में पड़ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उसको सीधा करना है, तो सीधा रास्ता करके वह गांव समाज की मिल्कियत हो जायगी। तो इस लिए उनका जो कहना था वह मेरे ख्याल से अब वह समझ जायेंगे कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। फिर एक बात और कही गयी है। जोरावर वर्मा जी ने कहा कि लोग पैसे वाले जो हैं, वह दे लेकर जो चाहेंगे, वह करवा लेंगे। मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय वर्मा जी अगर इस काम को देखेंगे कि कितना अच्छा इसमें काम हुआ है, उसकी सराहना किसानों के मुंह से सुनेंगे। तो उनकी जो धारणा है, ऐसी नहीं रहेगी। इस कन्सालिडेशन के काम में हम इतनी सख्ती से काम कर रहे हैं, पर यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी तक कोई ऐसी बात हमें सुनने में नहीं आयी कि किस-किस में ज्यादा करप्शन है, या अगर कहीं भी, हमें मालूम होता है, तो हम लेखपाल, सुपरवाइजर, कानूनगो को एक दम सर्विस से अलहादा कर देते हैं। इस तरह से मुजफ्फरनगर में दो लेखपाल और एक कन्सालिडेटर डिस्मिस हुए और सुल्तानपुर में भी करीब-करीब १२ आदमियों का डिस्मिसल हुआ था और कार्यवाही हुई। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में ६ आदमियों अलहदा किया गया या और सजा दी गयी। हम यह बिलकुल पक्का इरादा रखते हैं। कि किसी तरह से भी इसमें लेन देन का सवाल न आने पाये। जहां काम हुआ है, मुजफ्फरनगर या सुल्तानपुर में, वह इस बात का सबूत है कि कितनी ईमानदारी से काम होता है, कितनी मेहनत से काम होता है, और कितना काम होता है, जहां चकबन्दी शुरू होती है, वहां सारे कागजात की दुरुस्ती करनी, सर्वे करना, मिल्कियत लगाना और फिर जो उसमें किसी तरह से दोष या कमी हो, डिस्प्यूट्स हों, उनको दूर करना, जो इकट्ठा जोत कराना चाहते हैं, एक जगह खाता कराना चाहते हैं, उनको अलग करना, जोकि अलहदा कराना चाहते हैं, उनको अलहदा करना, कितनी सहूलियतें दी जा रही हैं ?

एक बात यह कही गयी कि खर्चा ज्यादा पड़ता है। आठ दस आने की बात मुझे तो मालूम नहीं, माननीय सदस्य को ज्यादा मालूम है, लेकिन ३ रुपया फी एकड़ अगर खर्चा है, यह इस बात का सबूत है कि जहां हर जिले से और हर जगह से माननीय सदस्य यहां कहते हैं कि हमारे यहां चकबन्दी जरूर की जाय और अगर यह खर्चा ज्यादा होता और जो देने वाले इसके लिए तैयार नहीं होते, तो फिर वह आकर यहां तकाजा नहीं करते। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह इतनी पापुलर चीज है कि इसके लिए जगह-जगह से माननीय सदस्य आकर इसकी डिमान्ड करते हैं और एक जिले में जहां भी शुरू कर दी गयी तो हर आदमी चाहता है कि उसकी तहसील पहले ली जाय। तो जहां तक खर्चे का ताल्लुक है, वह सारे काम को देख कर ज्यादा नहीं है, बल्कि कम ही हुआ है और कम से कम खर्चे में काम चलाया जा रहा है।

एक बात और कही गयी कि पहले डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैण्ड हो जाय, तब चकबन्दी की जाय। इसके माने यह हैं कि इस काम को रोक दिया जाय। तो पहले तो इसीमें बहस होगी कि यह पास हो और फिर यदि पास हो गया, तो फिर एग्जिक्यूशन हो, इसमें भी काफी देर लगेगी। क्योंकि डिस्ट्रिब्यूशन आफ होल्डिंग्स की तमाम डिस्प्यूट्स हैं। और यह इस सूबे में इतनी बड़ी समस्या है भी नहीं। खैर, इसमें सिद्धान्ततः तो कोई विरोध नहीं है। डिस्ट्रिब्यूशन आफ होल्डिंग्स न हों, यह हम नहीं कहते। इसके लिए सीलिंग फिक्स होगी। कांग्रेस ने भी इस चीज को मान लिया है कि सीलिंग फिक्स हो। डिस्ट्रिब्यूशन (बटवारे) की ऐसी समस्या है जिसको हमें हल करना है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि चकबन्दी, जो किसानों के लाभ का काम है, जिसके लिए किसान लालायित है, उसको रोक दें। और पहले डिस्ट्रिब्यूशन हो, तो यह सही नहीं मालूम होता है। इसकी बाबत जो बातें कही गयी, उनमें मैं समझता हूं

कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके लिए इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता हो। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह जो संशोधन में ९ क्लाजेज हैं, इसमें अमेंडमेंट भी कोई नहीं आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--इसमें कुछ अमेंडमेंट आये हैं, मैं उनपर विचार कर रहा हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैं तो अर्ज कर रहा था कि इसमें जो हमारे पास एजेंडा है, कल तक कोई संशोधन नहीं आया। वह इस बात का सबूत है कि इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं थी कि कोई माननीय सदस्य उसमें अमेंडमेंट देते। यह भी नहीं है कि किसी माननीय सदस्य ने यह विधेयक नहीं देखा। खैर आना, न आना दूसरी चीज थी, लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि कोई बात ऐसी नहीं कही गयी जिसकी बिना पर सिलेक्ट कमेटी में उसपर ज्यादा विचार होता। जो आम बातें कही गयीं वह तो सिलेक्ट कमेटी में भी आ चुकीं। जो चीजें कही गयी वह ऐसी नहीं है कि उन सब पर सेलेक्ट कमेटी में विचार हो। सब कुछ सोच समझ कर जो लीगल डिफेक्टस थे उनको रिमूव (दूर) करने के लिए यह चीज रखी गयी।

तो ऐसा कोई खास फायदा इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने से नहीं होगा। इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक पर विचार करेगा और उसे पास करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को सम्मति प्रदान की जाय कि प्रवर समिति में भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम' १९५३ की (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३ के : उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३ का संशोधन।

(१) खंड (२) में वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए जोत में निम्नलिखित सम्मिलित न होगी :--

(१) भूमि जो उस वर्ष के, जिसमें क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी की गयी हो, ठीक पहले के कृषि वर्ष में बाग थी ;

(२) भूमि जिसमें पानी की बाढ़ आती हो अथवा जिसका अत्यन्त कटाव होता हो (subject to fluvial action or intensive soil erosion)"

(२) खंड (२-क) में शब्द "और इसके अन्तर्गत धारा ४३ की उपधारा के अधीन स्थापित उप-समिति भी है" के स्थान पर शब्द "और इसके अन्तर्गत धारा ४३ की उपधारा (१) के अधीन संगठित उप-समिति तथा उक्त धारा की उप-धारा (१-क) के अधीन नामांकित समिति भी है" रख दिये जायं।

(३) खंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित नये उप-खंड (३-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(३-क)—"चकबन्दीकर्त्ता" (Consolidator) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन चकबन्दीकर्त्ता के कर्त्तव्यों के पालन करने के हेतु धारा ४२ के अधीन नियुक्त करे, और

(४) वर्तमान खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(५) "भूमि" (Land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण (horticulture) तथा पशुपालन (animal husbandry) जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन (pisciculture) और कुक्कुट पालन (poultry farming) भी है, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए हो और इसके अन्तर्गत निम्नांकित भी हैं :—

(क) सम्बद्ध खातेदार की जोत का भाग जो उसके मकान या अन्य तत्सम रचना (other similar structure) का स्थल (site) हो,

(ख) भूमि जो समय विशेष पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन गांव समाज अथवा स्थानिक आधिकारिकी (local authorty) में निहित हों।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम, ५, १९५४ की धारा १०-ख का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १०-ख में—

शब्द "जहां तक कि ऐसा करना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, चकबन्दी अधिकारी भी इसे कार्यान्वित करेगा" के स्थान पर शब्द "जहां तक ऐसा करना चकबन्दी की सामान्य योजना का ध्यान रखते हुए व्यवहार्य (practicable) हो, चकबन्दी अधिकारी इसे कार्यान्वित करेगा।" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा २८ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

कब्जा दिलाना (Delivery of Possession)

"२८—सहायक चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों को जिसमें भूमि प्रबन्धक समिति भी सम्मिलित है, जिसे या जिन्हें, चक अथवा भूमियां प्रदिष्ट (allotted) की गयी हों, प्रदिष्ट जोत अथवा भूमियों का वास्तविक रूप से कब्जा (actual physical possession) दिलायेगा, और ऐसा करने में उसे अपमान (contempt) प्रतिरोध (resistance) तथा ऐसी ही अन्य बातों के सम्बन्ध में वे अधिकार (powers) प्राप्त होंगे, जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के सम्पादन (execution) करने में दीवानी न्यायालय (Civil Court) कर सकते हैं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रामित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर ऐ

चक या भूमियों पर खड़ी फसलों को पालने-पोसने (tend) और एकत्रित करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा, जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निर्णय न करे कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जायगा।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि उन दशाओं में जब कोई व्यक्ति पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के अनुसार खड़ी फसलों को पालने पोसने (tend) तथा एकत्र करने का अधिकारी हो तो वह उस व्यक्ति को, जिसे भूमि प्रदिष्ट की गयी हो, भूमि के प्रयोग के लिए फसल के प्रकार का ध्यान रखते हुए ऐसे प्रतिकर का देनदार होगा, जो नियत किया जाय।"

श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई संशोधन पेश करना नहीं चाहता हूं क्योंकि विरोधी पार्टी वाक आउट कर गयी है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५--धारा २९ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा २९ का संशोधन।

"(१) यदि धारा २८ के अधीन खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाय तो, सहायक चकबन्दी अधिकारी, उस भूमि के खातेदार द्वारा जिसे कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फसलों के सम्बन्ध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा। उक्त खातेदार कब्जा करने के दिनांक से नौ मास के भीतर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिससे या जिनसे कब्जा संक्रामित किया गया हो, ऐसा प्रतिकर देगा और ऐसा न करने की दशा में उससे ऐसा प्रतिकर मालगुजारी के बकाये के रूप में (as arrears of land revenue) वसूल किया जा सकेगा।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६--मूल अधिनियम की धारा ४२ में :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में खंड (१) से पहले निम्नलिखित नये उपखंड (क-१) के रूप में रख दिया जाय :--

"(क-१) चकबन्दीकर्त्ता (Consolidator)" ; और

(२) उपधारा (२) और ३ में शब्द "चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दीकर्त्ता" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४३ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा ४३ में उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (१-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(१-क) किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिस पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७-क की उपधारा (२) प्रवृत्त होती हो, चकबन्दी समिति में सदस्यों की वह संख्या होगी, जो पांच से कम न हो अथवा ग्यारह से अधिक न हो जो कि नियत की जाय और उन्हें कलेक्टर सम्बद्ध स्थानिक अधिकारिकी (local authority) के चेयरमैन या प्रेसीडेंट से परामर्श करने के पश्चात् संबद्ध क्षेत्र के निवासियों में से नामांकित करेगा तथा उनकी वे अर्हताएं (qualifications) होंगी जो नियत की जायं।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४९ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ४९ में शब्द "दीवानी न्यायालय" के स्थान पर शब्द "दीवानी अथवा माल न्यायालय" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ५४ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) के—

(१) वर्तमान खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ण) इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार को दिये जाने वाले अथवा उससे वसूल किये जाने वाले प्रतिकर के अवधारण की रीति तथा सिद्धान्त;"

(२) खंड (दद) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ददद) के रूप में रख दिया जाय:

"(ददद) धारा १२ की उपधारा (४) धारा २२ तथा धारा ३६ के अधीन मध्यस्थ (arbitrator) द्वारा अभिदेशों (references) के निस्तारण (disposal) से सम्बद्ध प्रक्रिया"; और

(३) खंड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (नन) के रूप में रख दिया जाय:

"(नन) चकबन्दी समिति के सदस्यों का कार्यकाल तथा उनके द्वारा स्थानों का रिक्त होना।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करन का, उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४।

विधेयक

यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय; उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४।

इसलिये भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलाएगा। संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा--उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३० मार्च, १९५५

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९० पर)

सूची नं० १

कृषि—(अ) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में अच्छे किस्म के बीज तथा अच्छी खाद और कृषि यंत्रों का वितरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

तहसील	रबी	खरीफ	सूपर-फासफेट	हरी तथा रसायनिक खाद	यन्त्र
	मन	मन	टन	मन	
सदर ..	८,२१९	८३८	७	५६५	१,१२९
फूलपुर ..	७,४०२	८७५	५	३०९	२६५
मोहम्मदाबाद	८,७१४	९९६	४	१८९	१३८
लालगंज ..	५,७१६	१,०१०	७	२२९	४५
सगड़ी ..	६,७५१	१,२२३	७	६४५	१०१
घोसी ..	६,९१९	२,५३८	८	११९	१५१

इसके अलावा अच्छी पैदावार के लिये प्रत्येक तहसील में कुल ५६,२१२ क्षेत्र प्रदर्शन दिये गये। बागवानी की उन्नति के लिये सदर तहसील में ५९,०९,३९३ फल के वृक्ष लगाये गये। फूलपुर तहसील में ५५,७८३, मोहम्मदाबाद तहसील में ५१,१००, लालगंज तहसील में ३९,८९४, सगड़ी तहसील में ५८,४४१ और घोसी तहसील में ४०,४२६।

सिंचाई—(ब) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिये तहसील मोहम्दाबाद और तहसील फूलपुर में गूलों का निर्माण हुआ है, जिसके बनाने में ८,००० रु० व्यय हुआ। सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र घोसी में सिंचाई योजना पर १,३३,९०० रु० व्यय हुआ। इस योजना के अन्तर्गत ३ सहकारी नलकूप और १,००० पक्के कुओं के बनाने की स्वीकृति दी गई है।

पशु-पालन—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लालगंज तहसील में एक नया अस्पताल बनाया गया है, इस योजना के अन्तर्गत ५,००० रु० की लागत के यन्त्र खरीदे गये, जिसमें से तहसील सदर में १,५०० रुपये के, तहसील फूलपुर में १,००० रु०, तहसील मोहम्मदाबाद में १,००० रु० और तहसील घोसी में १,५०० रुपये के, तहसील घोसी में २३ भेड़ें वितरित की गईं और इस पर कुल ८०० रु० खर्च हुआ।

सहकारिता—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तहसील लालगंज में सहकारी खेती की योजना है और अब तक इस पर कुल खर्च ३,७५० रु० है। इसके अलावा १९० और सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं, जिसमें से तहसील सदर में ३२, तहसील फूलपुर में ३०, तहसील मुहम्मदाबाद में ३१, तहसील लालगंज में ३५ और सगड़ी में २५ और घोसी में ३७ हैं। ११ सहकारी बीज गोदाम भी स्थापित किये गये हैं जिनमें से सदर में २, फूलपुर में १, तहसील लालगंज में २, सगड़ी में २ और तहसील घोसी में ४ हैं।

सहकारी भट्ठे—६५ सहकारी भट्ठे की भी स्थापना की गई है, जिसमें से सदर में १०, फूलपुर में ६, मुहम्मदाबाद में १०, तहसील लालगंज में ११, तहसील सगड़ी में ७ और घोसी में २१ हैं।

घरेलू उद्योग-धंधे—गुड़ विकास योजना के लिये ८३,२७९ रु० की तकावी दी गई है, जिसका ब्योरा यह है कि तहसील सदर का १३,३९०, फूलपुर तहसील को २५,४७४ रुपया, मोहम्मदाबाद तहसील को १८,१९६ रुपया, लालगंज तहसील को १२,११६ रु०, सगड़ी तहसील को ६,०३० रु० और घोसी को ८,०७३ रु० की तकावी दी गई।

सार्वजनिक निर्माण—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा १,७७,७२२ रु० सड़कों के निर्माण में व्यय किया गया।

यातायात—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में यातायात की योजना को प्रोत्साहित करने के लिये २१ सड़कें इस योजना में ली गई हैं। जिसमें से ६ तहसील फूलपुर में, ३ मोहम्मदाबाद तहसील में, ६ लालगंज तहसील में, २ सगड़ी तहसील में और ४ घोसी तहसील में हैं।

शिक्षा—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फूलपुर तहसील में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसील में जूनियर हाई स्कूल में जनरल साइन्स की कक्षाओं को खोलने में २२,००० रु० खर्च हुआ, तहसील सदर में २,२०० रु०, तहसील फूलपुर में ४,४०० रु०, तहसील मोहम्मदाबाद में ४,४०० रु०, तहसील लालगंज में ४,४००, रु०, तहसील सगड़ी में २,२०० रु० और तहसील घोसी में ४,४०० रु० व्यय हुआ।

चिकित्सा—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तहसील सदर में अस्पताल की इमारत को अच्छा बनाने में २९,४०६ रु० व्यय हुआ। इस अस्पताल के लिये एक एक्सरे मशीन भी खरीदी गई है। इसके अलावा ५ और चिकित्सालय खोले गये हैं, जिनमें से तहसील सदर में २, तहसील फूलपुर में २ और तहसील घोसी में १ हैं। हर एक चिकित्सालय में एक डाक्टर और एक कम्पाउन्डर है। तहसील मुहम्मदाबाद और तहसील लालगंज में एक-एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित हुये हैं। प्रत्येक तहसील में आंख के रोगियों का इलाज करने के लिये १,४०० रु० फी तहसील की दर से व्यय हुआ है। इससे ५,३४३ रोगिओं का इलाज हुआ है।

जन स्वास्थ्य—२०० खाने रखने वाली अलमारियां प्रत्येक तहसील को बिना मूल्य लिये वितरित की गई हैं। तहसील मोहम्मदाबाद और लालगंज और सगड़ी में एक एक जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

हरिजन—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा के ऊपर तथा अच्छे पानी अथवा अच्छे मकानों के सुधार के लिये प्रत्येक तहसील में कुल १,२४,१२३ रु० व्यय हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

तहसील	छात्र वृत्ति		अच्छे पानी की सुविधा	अच्छे मकानों की सुविधा
	हरिजन	पिछड़ी जाति	रु०	रु०
सदर ..	१२,१९७	३,७८६	८,६२५	६८०
फूलपुर ..	४,५३६	१,२७१	७,९४५	६८०
मोहम्मदाबाद ..	६,७५६	१,२९२	५,५२५	६८०
लालगंज ..	२,४४२	९७०	४,७४५	६८०
सगड़ी ..	६,००३	१,३०७	४,३१५	६८०
घोसी ..	१४,५०५	२,६९८	९,७०५	६८०

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र घोसी में जो रुपया योजनाओं पर खर्च हुआ है उसका विवरण निम्नलिखित है :—

		रु०	आ०	पा०
(१)	कृषि और पशुपालन ..	२,८३,६४३	६	०
(२)	सिंचाई	१,३३,९००	०	०
(३)	भूमि को उपजाऊ बनाना.. ..	३०,००९	६	०
(४)	जन-स्वास्थ्य और गांव की सफाई ..	९९,२२५	१५	३
(५)	शिक्षा	५८,७२७	०	६
(६)	समाज शिक्षा	५१,३३८	१२	४
(७)	यातायात (Communication) ..	१,४२,३८०	१४	६
(८)	घरेलू उद्योग धंधे	७३,२२६	५	०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९० पर)

आजमगढ़ जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होने वाले शेष कार्यों की सूची

सूची नं० २

क्रमसंख्या	कार्य का नाम	सदर		फूलपुर		मोहम्मदाबाद			लालगंज			सगरी			घोसी			
		नम्बर	रु०	नम्बर	रु०	नम्बर	रु०	आ०	नम्बर	रु०	आ०	नम्बर	रु०	आ०	नम्बर	रु०	योग	रु०
१	पुलिया ..	४३	५,२३९	७	२,२०२	२२	८,९९७	१२	५७	९,३६०	४	२	९,३६०	४	१०	२,६६०	१६७	५३,२९७
२	अस्पताल इमारत	–	–	–	–	–	–		–	–		१	५३५		–	–	१	५३५
३	पुल ..	१	७,०००	३	१३,०००	–	–		१	५,१००	०	१	२,०००	०	–	–	६	२७,१००
४	सड़क ..	–	–	३	८,५००	२	१,८००	०	–	–		–	–		–	–	५	१०,३००
५	बीज गोदाम	–	–	–	–	१	१,५००	०	–	–		–	–		–	–	१	१,५००
६	भट्टे ..	१	६५	१	२,०००	१	२,८००	०	–	–		–	–		–	–	३	४,८६६
७	हरिजन ..	–	–	२	३८०	२	५५५०	०	२	८०	०	–	–		–	–	६	१,०१५
	कुल योग ..		२२,३०४		२६,०८२		१५,६५२	-१२		२०,०१८			११,८९५	–४		२,६६०		९८,६१२

पी०एस० यू० पी०—ए० पी० १२ एल० ए० १९५५—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा